



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

भारिबैं /2014-15/55

गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं. 381/03.02.001/2014-15

1 जुलाई 2014

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार/धारण करने वाली)
कंपनियाँ

महोदय,

मास्टर परिपत्र -"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार
या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"

जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। [22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं.डीएनबीएस.193/डीजी\(वीएल\)-2007](#) में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2014 तक अद्यतन हैं, पुनः नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई अधिसूचना बैंक की वेब साइट (<http://www.rbi.org.in>) पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,

(के के वोहरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

गैर बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 2 री मंजिल, संतर 1, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई-400 005
फोन:22182526, फैक्स:22162768 ई-मेल:helpdnbs@rbi.org.in

Department of Non Banking Regulation, Central Office, 2nd Floor, Centre I, WTC, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005
Tel No:22182526, Fax No:22162768 Email :helpdnbs@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

विषय सूची

| पैरा नं: | विवरण |
|----------|---|
| 1 | संक्षिप्त नाम, निदेशों का प्रारंभ और उनकी प्रयोज्यता |
| 2 | परिभाषा |
| 3 | आय निर्धारण |
| 4 | निवेशों से प्राप्त आय |
| 5 | लेखांकन मानक |
| 6 | निवेशों का लेखांकन |
| 7 | मांग/सूचना ऋण से संबंधित नीति की आवश्यकता |
| 8 | परिसंपत्ति वर्गीकरण |
| 9 | प्रावधानीकरण अपेक्षा |
| 10 | तुलनपत्र में प्रकटीकरण |
| 11 | एनबीएफसी द्वारा लेखा-परीक्षा समिति का गठन |
| 12 | लेखा वर्ष |
| 13 | तुलनपत्र की अनुसूची |
| 14 | सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन |
| 15 | सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत करना |
| 16 | पूँजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षा |
| 17 | एनबीएफसी के अपने वर्जित शेयरों पर ऋण |
| 18 | ऋण/निवेश का संकेंद्रण |
| 19 | निदेशक,लेखा परीक्षक आदि के पता में परिवर्तन संबंधी सूचना की प्रस्तुति |
| 20 | मूलभूत संरचना ऋण से संबंधित मानदण्ड |
| 21 | छूट |
| 22 | व्याख्या |
| 23 | निरसन और छूट |
| 24 | शाखा सूचना विवरणी की प्रस्तुति |
| | परिशिष्ट |

भारतीय रिज़र्व बैंक
गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
सेंटर-1, विश्व व्यापार केंद्र
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई-400 005

अधिसूचना सं. डीएनबीएस.193/डीजी (वीएल)-2007

दिनांक 22 फरवरी 2007

भारतीय रिज़र्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर, और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से नीचे दिए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों से संबंधित निदेश जारी करना जरूरी है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 अक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसकी ओर से प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 31 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी.119/डीजी (एसपीटी)/98 में दिए गए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश 1998 का अधिक्रमण करते हुए सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार/धारण न करनेवाली प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को इसके पश्चात निर्दिष्ट निदेश देता है।

संक्षिप्त नाम, निदेशों का प्रारंभ और उनकी प्रयोज्यता

1. (1) इन निदेशों को "गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण न करनेवाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" के नाम से जाना जाएगा।

(2) ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(3) (i) इन निदेशों के प्रावधान, आगे खंड (ii), (iii) तथा (iv) में यथा

उल्लिखित को छोड़कर, निम्नलिखित पर लागू होंगे:

("सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार/धारण न करनेवाली प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसमें अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) वित्त कंपनी शामिल है"।)¹

(ii) इन निदेशों के पैराग्राफ 16 तथा 18 के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(ए) कोई ऋण कंपनी;

(बी) कोई निवेश कंपनी;

(सी) कोई परिसंपत्ति वित्त कंपनी;

जो संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा राशि न लेनेवाली कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी नहीं है।

(iii) ये निदेश, निवेश कंपनी होने के नाते किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगे;

¹ 12 फरवरी 2010 की अधिसूचना सं.डीएनबीएस 213/सीजीएम(एसआर) 2010 द्वारा जोड़ा गया.

बशर्ते कि वह

(ए) अपने समूह/नियंत्रण/सहायक कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश रखती हो और ऐसे धारण के बही मूल्य उसकी कुल परिसंपत्तियों के नब्बे प्रतिशत से कम न हो और वह ऐसी प्रतिभूतियों में क्रय-विक्रय न करती हो;

(बी) सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार/धारण न करती हो; तथा

(सी) संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा राशि न लेनेवाली कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी नहीं है।

तथापि, ऐसी निवेश कंपनियों पर पैराग्राफ 16 एवं 18 के प्रावधान लागू होंगे जो संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा राशि न लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है।

(iv) पैराग्राफ 19 के प्रावधानों को छोड़कर, ये निदेश सरकारी कंपनी होने के नाते ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के अंतर्गत परिभाषित है और सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार/धारण नहीं करती है।*

²(v) यह निदेश कोर निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2011(जिन्हें बाद में कोर निवेश कंपनी (CICs) निदेश कहा गया है) में संदर्भित कोर निवेश कंपनी वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगी, जो कोर निवेश कंपनी निदेश के खण्ड (ज) के उप पैराग्राफ (1) के पैराग्राफ 3 में परिभाषित प्रणालीगत महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनी नहीं है।

(vi) इन निदेश के पैराग्राफ 15, 16 तथा 18 के प्रावधान कोर निवेश कंपनी निदेश में पारिभाषित प्रणालीगत महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनी पर लागू नहीं होंगे बशर्ते कोर निवेश कंपनी वार्षिक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करती है तथा कोर निवेश कंपनी निदेश में निहित पूंजी आवश्यकताओं तथा लाभ अनुपात के आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।

³(vii) “इन निदेशों के पैराग्राफ 18 का प्रावधान एनबीएससी-एमएफआई पर लागू नहीं होंगे जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-लघु वित्तीय संस्थाएं(रिजर्व बैंक) निदेश 2011 में परिभाषित है।

01 अप्रैल 2012 से पैराग्राफ 8 तथा 9 का प्रावधान एनबीएससी-एमएफआई पर लागू नहीं होंगे।

*12दिसंबर 2006 के परिपत्र सं:गैबैपवि.नीति.प्रभा/कंपरि.सं.86/03.02.089/2006-07 में सरकारी कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे सरकार के परामर्श से अगिर बैंकिंग वित्तीय कंपनी संबंधी विनियमन के विभिन्न तत्वों के अनुपालन के लिए कार्य योजना तैयार करें और भारतीय रिजर्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत करें।

² 5 जनवरी 2011 की अधिसूचना सं.डीएनबीएस(पीडी)221/सीजीएम (यूएस)-2011 द्वारा जोड़ा गया ।

³ 2 दिसम्बर 2011 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.पीडी.सं.235/सीजीएम (यूएस)2011 द्वारा जोड़ा गया।

परिभाषा

2. (1) इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
- (i) "विघटित मूल्य(break-up value)" का अर्थ है इक्विटी पूंजी तथा आरक्षित निधि, जिसे अमूर्त परिसंपत्तियों एवं पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि के रूप में घटाया गया है, व निवेशिती (इनवेस्टी) कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित किया गया है;
 - (ii) "वहन लागत(carrying cost)" का अर्थ है परिसंपत्तियों का बही मूल्य और उस पर उपचित ब्याज किंतु जो प्राप्त न हुआ हो;
 - (iii) "वर्तमान निवेश(current investment)" का अर्थ है ऐसा निवेश जिसे तुरंत भुनाया जा सके और निवेश करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि तक धारित न किए जाने के लिए हो;
 - (iv) "संदिग्ध परिसंपत्तियों "का अर्थ है-
 - (ए) मीयादी ऋण, अथवा
 - (बी) पट्टा परिसंपत्ति, अथवा
 - (सी) किराया खरीद परिसंपत्ति, अथवा
 - (डी) कोई अन्य परिसंपत्ति,जो 18 महीने से अधिक अवधि तक अवमानक परिसंपत्ति बनी रही हो;
 - (v) "अर्जन मूल्य" का अर्थ है इक्विटी शेयरों का वह मूल्य जिसकी गणना करने के बाद करोत्तर लाभों के औसत तथा अधिमानी लाभांश को घटाते हुए तथा असाधारण एवं गैर-आवर्ती मदों को समायोजित करते हुए तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए की गई हो और उसे निवेशिती कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित किया गया हो तथा जिसे निम्नलिखित दर पर पूंजीकृत किया गया हो:
 - (ए) प्रमुखतः विनिर्माण कंपनी के मामले में, आठ प्रतिशत
 - (बी) प्रमुखतः व्यापार कंपनी के मामले में, दस प्रतिशत; और
 - (सी) एनबीएफसी सहित किसी अन्य कंपनी के मामले में, बारह प्रतिशत;

टिप्पणी

यदि निवेशिती कंपनी घाटे वाली कंपनी है तो अर्जन मूल्य शून्य पर लिया जाएगा;

- (vi) "उचित मूल्य" का अर्थ है अर्जन मूल्य और विघटित मूल्य का औसत;
- (vii) "संमिश्र ऋण(hybrid debt)" का अर्थ है ऐसा पूंजीगत लिखत जिसमें इक्विटी तथा ऋण की कतिपय विशेषताएं हों;

"(viiए) "अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) वित्त कंपनी का अर्थ उस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से है जो अपनी कुल परिसंपत्तियों के न्यूनतम 75% को इंफ्रास्ट्रक्चर ऋणों में लगाती हो"⁴

⁵ उधारदाता (यथा एनबीएफसी) द्वारा किसी उधारकर्ता को इंफ्रास्ट्रक्चर के निम्नलिखित उप-क्षेत्रों में एक्सपोजर के लिए प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा 'इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण' के रूप में मान्य होगी:

| क्र. सं. | श्रेणी | 'इंफ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्र | |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | परिवहन | i | सड़क तथा पुल |
| | | ii | पत्तन ¹ |
| | | iii | अंतरदेशीय जल मार्ग |
| | | iv | हवाई अड्डा |
| | | v | रेलवे ट्रैक, सुरंग, छोटे पुल, पुल ² |
| | | vi | शहरी सार्वजनिक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर) |
| 2. | ऊर्जा | i. | बिजली उत्पादन |
| | | ii. | विद्युत पारेषण |
| | | iii. | बिजली वितरण |
| | | iv. | तेल की पाइपलाइनें |
| | | v. | तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा ³ |
| | | vi. | गैस पाइपलाइनें ⁴ |
| 3. | जल तथा सफाई व्यवस्था (सैनीटेशन) | i. | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन |
| | | ii. | जल आपूर्ति पाइपलाइनें |
| | | iii. | जलशोधन कारखाने |
| | | iv. | सीवेज संग्रह, शोधन और निपटान प्रणाली |
| | | v. | सिंचाई (बांध, नहर, तटबंधन इत्यादि) |
| | | vi. | चक्रवात जलनिकासी प्रणाली |
| | | vii | स्लरी पाइपलाइनें सिंचाई (बांध, नहर, तटबंधन इत्यादि) चक्रवात जलनिकासी प्रणाली स्लरी पाइपलाइनें |
| 4. | दूर संचार | i. | दूरसंचार (जड़ नेटवर्क) ⁵ |
| | | ii. | दूरसंचार टॉवर |

⁴ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का विस्तृत परिभाषा [12 फरवरी 2010 की अधिसूचना सं:डीएनबीएस 213/सीजीएम\(एसआर\) 2010](#) में दिया गया है जिसके अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी अर्थात जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:

i. गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि नहीं स्वीकार अथवा नहीं धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निदेश 2007 के पैरा 2(viii) में वर्णित अपनी कुल परिसंपत्तियों का न्यूनतम 75% को इंफ्रास्ट्रक्चर ऋणों में लगाती हो।

ii. उसके पास निवल स्वाधिकृत निधियां 300 करोड़ रुपये या अधिक होंगी।

iii. उसकी न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग "ए" या क्रिसिल, फिच,केयर, इक्रा की समतुल्य रेटिंग या अन्य मान्यताप्राप्त रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त समतुल्य रेटिंग होगी।

iv. सीआरएआर का 15% (जिसमें से न्यूनतम 10% टियर 1 पूंजी से होंगी)।

⁵ [29 नवम्बर 2013 की अधिसूचना सं.गैबैपवि.266/पीसीजीएम\(एनएसवी\)2013](#) द्वारा शामिल किया गया।

| | | | |
|----|---|-------|---|
| | | iii. | दूरसंचार एवं टेलीकॉम सेवाएं |
| 5. | सामाजिक तथा व्यावसायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर | i. | शैक्षणिक संस्थाएं (पूजी स्टॉक) |
| | | ii. | अस्पताल (पूजी स्टॉक) ⁶ |
| | | iii. | तीन-सितारा या उच्च श्रेणी वर्गीकृत होटल जो 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित हैं। |
| | | iv. | औद्योगिक पार्क, एसईजेड, पर्यटन सुविधाएं तथा कृषि बाजार |
| | | v. | उर्वरक (पूजी निवेश) |
| | | vi. | शीतागार सहित कृषि तथा बागवानी संबंधी उत्पादों के लिए उत्पादनोत्तर भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर |
| | | vii. | टर्मिनल बाजार |
| | | viii. | मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं |
| | | ix. | प्रशीतन श्रृंखला ⁷ |
| | | x. | भारत के किसी भी स्थान में तथा किसी भी स्टार रेटिंग के साथ रु 200 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत ⁸ वाले प्रत्येक होटल |
| | | xi. | रु 300 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत ⁸ वाले प्रत्येक कन्वेंशन सेंटर |

नोट

1. कैपिटल ड्रेजिंग सम्मिलित है।
2. सहयोगी टर्मिनल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे लदान/उतराई टर्मिनल, स्टेशन तथा भवन सम्मिलित हैं।
3. कच्चे तेल का सामरिक भंडारण सम्मिलित है।
4. नगर गैस वितरण नेटवर्क सम्मिलित है।
5. ब्राडबैंड/इंटरनेट उपलब्ध कराने वाले ऑप्टिक फाइबर/केबिल नेटवर्क सम्मिलित हैं।
6. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पराचिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा केंद्र सम्मिलित हैं।
7. कृषि तथा संबंधित उत्पादों, समुद्री उत्पादों एवं मांस के संरक्षण तथा भंडारण के लिए फार्म के स्तर पर प्री-क्लिंग के लिए शीत गृह सुविधा सम्मिलित है।
8. इस परिपत्र की तारीख से भावी प्रभाव के साथ लागू होगा तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना हेतु उपलब्ध होगा; पात्र लागत में भूमि की कीमत तथा लिज़ (पट्टा) प्रभार शामिल नहीं होगा किंतु निर्माण के दौरान का ब्याज शामिल होगा।

⁶(viii ए) एनबीएफसी-एमएफआई से यह अभिप्रेत है कि जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत लाईसेंस प्राप्त से अलग) जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो. :

- i. न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि ₹ 5 करोड़ (देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई को न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि ₹ 2 करोड़ रखने की आवश्यकता है)
- ii. “”अर्हक स्वरूप “में इसकी की निवल आस्तियां 85% से कम नहीं होना चाहिए.

⁶ 2 दिसम्बर 2011 की अधिसूचना सं:डीएनबीएस.पीडीनं:235/सीजीएम(यूएस)-2011 द्वारा जोड़ा गया

उक्त ii के लिए “ निवल आस्तियों” से तात्पर्य है नकद तथा बैंक बैलेंस और पूंजी बाजार लिखतों के अतिरिक्त कुल आस्तियां

वह ऋण “ अर्हक आस्ति”होगा, जो निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करता है:-

- i. ग्रामिण क्षेत्र में ₹ 60,000/- तक के पारिवारिक आय या अर्ध शहरी तथा शहरी में क्षेत्र ₹1,20,000/- तक के पारिवारिक आय वाले उधारकर्ता को एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा ऋण दिया जाये.
 - ii. पहले चरण में ऋण राशि ₹ 35,000/- से अधिक नहीं हो तथा क्रमबद्ध अगले चरण में ₹ 50,000/- से अधिक नहीं हो.
 - iii. उधारकर्ता की कुल ऋण ग्रस्तता ₹ 50,000/- से अधिक नहीं हो;
 - iv. बिना पूर्वभुगतान दण्ड के साथ ₹ 15000/- से अधिक की ऋण राशि के लिए ऋण अवधि 24 माह से कम नहीं हो.
 - v. ऋण बिना कोलेटरल (संपार्श्विक जमानत) के दिया जाना चाहिए;
 - vi. आय सृजन के कार्यकलापों के लिए प्रदान की गई राशि, लघु वित्त संस्था द्वारा दिए गए कुल ऋण के ⁷[75प्रतिशत] से कम नहीं होना चाहिए;
 - vii. उधारकर्ता की इच्छानुसार ऋण को साप्ताहिक ,पाक्षिक या मासिक किश्तों में चुकाया सकता है .
- “(viiiबी) ⁸गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टर अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ के खण्ड (एफ) में परिभाषित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसका फैक्टरिंग कारोबार में वित्तीय परिसंपत्तियां कुल परिसंपत्तियों का कम से कम 75 प्रतिशत हो और फैक्टरिंग कारोबार से उत्पन्न आय इसके सकल आय के 75 प्रतिशत से कम न हो और जिसे फैक्टरिंग विनियम अधिनियम, 2011 की धारा 3 के उप धारा (1) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

(viiiसी) ⁹ गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) अर्थात बैंक द्वारा जारी “निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश”¹⁰ में संदर्भित जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली एनबीएफसी से है जो लागू विनियामक आदेशों के तहत अनुमत सीमा तह, भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्य किसी वित्तीय विनियामक द्वारा विनियामित बैंकिंग कंपनी के शेयर अथवा इस समूह की अन्य वित्तीय सेवा संस्थाओं के शेयर पर अधिकार होगा।

(ix) "हानि वाली परिसंपत्ति" का अर्थ है:

(ए) ऐसी परिसंपत्ति जिसे एनबीएफसी द्वारा अथवा उसके आंतरिक या बाह्य लेखा-परीक्षकों द्वारा अथवा एनबीएफसी के निरीक्षण के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा हानि वाली परिसंपत्ति के रूप में उस सीमा तक पहचाना गया है जिस सीमा तक एनबीएफसी द्वारा बट्टे खाते नहीं डाला गया है; और

⁷ 03 अगस्त 2012 का गैबैपवि(नीप्र)कंपरि.सं.300/03.10.038/2012-13 द्वारा शामिल किया गया।

⁸ 14 सितम्बर 2012 की अधिसूचना सं.डीएनबीएस.251/सीजीएम(यूएस)-2012 द्वारा जोड़ा गया।

⁹ 07 अप्रैल 2014 की अधिसूचना गैबैपवि(नीप्र)274/सीजीएम(एनएसवी)2014

¹⁰ http://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=28191

- (बी) ऐसी परिसंपत्ति जो प्रतिभूति मूल्य में या तो क्षरण के कारण अथवा प्रतिभूति की अनुपलब्धता अथवा उधारकर्ता के धोखाधड़ीपूर्ण कृत्य या चूक के कारण वसूल न हो पाने की संभावित खतरे से (विपरीत रूप से) प्रभावित हो;
- (x) "दीर्घावधि निवेश" का अर्थ है वर्तमान निवेश से इतर निवेश;
- (xi) "निवल परिसंपत्ति मूल्य" का अर्थ है किसी खास योजना के संबंध में संबंधित म्युचुअल फंड द्वारा घोषित अद्यतन निवल परिसंपत्ति मूल्य;
- (xii) "निवल बही मूल्य" का अर्थ है
- (ए) किराया खरीद परिसंपत्ति के मामले में, अतिदेयों तथा प्राप्य भावी किस्तों की कुल राशि, जिनमें से अपरिपक्व वित्त प्रभारों की रकम घटाई गई हो तथा इन निदेशों के पैराग्राफ 9(2)(i) के प्रावधानों के अनुसार आगे और घटाई गई हो;
- (बी) पट्टाकृत परिसंपत्ति के मामले में, प्राप्य राशि के रूप में लेखाकृत पट्टे के अतिदेय किरायों के पूंजीकृत अंश की कुल रकम और पट्टे की परिसंपत्ति का मूल्यांकित बही मूल्य जिसे पट्टा समायोजन खाते की रकम में समायोजित किया गया है।
- (xiii) 'अनर्जक परिसंपत्ति' (इन निदेशों में "एनपीए" नाम से संदर्भित) का अर्थ है:
- (ए) ऐसी परिसंपत्ति जिस पर ब्याज छह या उससे अधिक महीने से अतिदेय हो;
- (बी) अदत्त ब्याज-सहित ऐसा मीयादी ऋण, जिसकी किस्त छह या उससे अधिक महीने से बकाया हो अथवा जिस पर ब्याज की रकम छह या उससे अधिक महीने से अतिदेय हो;
- (सी) ऐसा मांग अथवा सूचना ऋण, जो मांग या सूचना की तारीख से छह महीने या उससे अधिक समय से अतिदेय हो अथवा जिस पर ब्याज की रकम छह महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो;
- (डी) ऐसा बिल जो छह महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो;
- (ई) अल्पावधि ऋण/अग्रिम के रूप में 'अन्य चालू परिसंपत्तियां' शीर्ष के अंतर्गत कर्ज से संबंधित ब्याज अथवा प्राप्य राशि से होने वाली आय, जो छह महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो;
- (एफ) परिसंपत्तियों की बिक्री या दी गई सेवाओं के लिए अथवा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित कोई बकाया, जो छह महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो;
- (जी) पट्टा किराया और किराया खरीद किस्त, जो 12 महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो गई हो;
- (एच) ऋणों, अग्रिमों और अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में (खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित), एक ही उधारकर्ता/लाभार्थी को उपलब्ध करायी गयी ऋण सुविधाओं (उपचित ब्याज-

सहित) के अंतर्गत शेष बकाया राशि जब उक्त ऋण सुविधाओं में से कोई एक अनर्जक परिसंपत्ति बन जाए.

बशर्ते पट्टा और किराया खरीद लेनदेन के मामले में, एनबीएफसी ऐसे प्रत्येक खाते को उसकी वसूली स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करें;

(xiv) "स्वाधिकृत निधि" से तात्पर्य है चुकता ईक्विटी पूंजी, अधिमानी शेयर जो अनिवार्यतः ईक्विटी में परिवर्तनीय हों, मुक्त आरक्षित निधियां, शेयर प्रीमियम खाते में शेष और पूंजीगत आरक्षित निधि जो परिसंपत्ति के बिक्री आगमों से होनेवाले अधिशेष को दर्शाती है, परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित आरक्षित निधियों को छोड़कर, संचित हानि राशि, अमूर्त परिसंपत्तियों का बही मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय को यथा घटाकर, यदि कोई हो;

(xv) "मानक परिसंपत्ति" का अर्थ ऐसी परिसंपत्ति है जिसकी चुकौती या मूल रकम या ब्याज के भुगतान में कोई चूक न हुई हो और जिसमें किसी प्रकार की समस्या न हो और न ही उस कारोबार के सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम हो;

(xvi) "अवमानक परिसंपत्ति" का अर्थ है:

- (ए) ऐसी परिसंपत्ति जिसे अधिक-से-अधिक 18 महीने की अवधि के लिए अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;
- (बी) ऐसी परिसंपत्ति जिसके ब्याज और/अथवा मूलधन से संबंधित करार की शर्तों का परिचालन शुरू होने के बाद पुनःसौदाकृत अथवा पुनर्निर्धारित अथवा पुनर्संरचनाकृत शर्तों के अंतर्गत संतोषजनक निष्पादन के एक वर्ष की समाप्ति तक पुनः सौदा किया गया हो अथवा शर्तें पुनर्निर्धारित अथवा शर्तों की पुनर्संरचना की गई हो:

बशर्ते अवमानक परिसंपत्ति के रूप में मूलसंरचना ऋण का वर्गीकरण इन निदेशों के पैराग्राफ 20 के प्रावधानों के अनुसार होगा;

(xvii) "गौण ऋण" का अर्थ है पूर्णतः चुकता लिखत, जो गैर-जमानती होता है और अन्य ऋणदाता के दावों के अधीन होता है और प्रतिबंधित खण्डों से मुक्त होता है और धारक के अनुरोध पर अथवा एनबीएफसी के पर्यवेक्षी प्राधिकारी की सहमति के बिना विमोच्य नहीं होता है। ऐसे लिखत का बही मूल्य निम्नानुसार पुनर्भुनाई के अधीन होगा:

| <u>लिखतों की शेष परिपक्वता अवधि</u> | <u>बट्टा दर</u> |
|---|-----------------|
| (ए) एक वर्ष तक | 100% |
| (बी) एक वर्ष से अधिक किंतु दो वर्ष तक | 80% |
| (सी) दो वर्ष से अधिक किंतु तीन वर्ष तक | 60% |
| (डी) तीन वर्ष से अधिक किंतु चार वर्ष तक | 40% |
| (ई) चार वर्ष से अधिक किंतु पांच वर्ष तक | 20% |

ऐसी भुनाई का मूल्य टियर-1 पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक न हो;

- (xviii) "पर्याप्त हित" का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभभोगी हित धारिता, जिस पर अदा की गई रकम कंपनी की चुकता पूंजी अथवा भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है;
- (xix) 'संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा राशि न लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' का अर्थ ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से है जो सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार/धारण नहीं करती तथा पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दिखाए गए अनुसार जिसकी कुल परिसंपत्तियां 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक हैं।
- (xx) "टियर-I पूंजी" का अर्थ ऐसी स्वाधिकृत निधि से है जिसमें से अन्य एनबीएफसी के शेयरों और शेयरों, डिबेंचरों, बाण्डों, बकाया ऋणों और अग्रिमों में, जिनमें किराया खरीद तथा किए गए पट्टा वित्तपोषण एवं सहायक कंपनियों तथा उसी समूह की कंपनियों में रखी जमाराशियां शामिल हैं, स्वाधिकृत निधि के दस प्रतिशत से अधिक निवेश, सकल रूप में, घटाया गया है:[और ¹¹ संपूर्ण प्रणाली और संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रति वर्ष जारी बेमियादी ऋण लिखत, पिछले लेखा वर्ष के 31 मार्च को ऐसी कंपनी की समग्र टियर I पूंजी के 15% की सीमा से अनधिक,"]
- (xxi) "टियर -II पूंजी" में निम्नलिखित शामिल है:
- (ए) उनसे इतर अधिमानी शेयर जो इक्विटी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय है;
- (बी) 55 प्रतिशत की भुनाई /घटी दर पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि;
- (सी) सामान्य प्रावधान एवं उस सीमा तक हानि आरक्षित निधि जो किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के मूल्य में वास्तविक कमी अथवा उसमें जातव्य संभावित हानि के कारण नहीं है और ये अप्रत्याशित हानि की पूर्ति के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक और एक चौथाई प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध रहती हैं;¹²
- (डी) संमिश्र (हाइब्रिड) ऋण पूंजी लिखत;
- (ई) गौण ऋण; और ¹³
- (एफ) संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जारी बेमियादी ऋण लिखत जो टियर I पूंजी में शामिल होने की पात्रता से अधिक हैं।

जिसकी सीमा सकल राशि, टियर-I पूंजी से अधिक न हो।

- (2) इसमें प्रयुक्त अन्य शब्द अथवा अभिव्यक्तियों, जो यहां परिभाषित नहीं हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार्यता (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 में परिभाषित की गई है, का अर्थ

¹¹ 29 अक्टूबर 2008 की अधिसूचना सं: डीएनबीएस (पीडी)202/सीजीएम(पीके)2008 द्वारा जोड़ा गया

¹² 17 जनवरी 2011 की अधिसूचना सं: डीएनबीएस.223/सीजीएम(युएस)2011 द्वारा जोड़ा गया

¹³ 29 अक्टूबर 2008 की अधिसूचना सं: डीएनबीएस (पीडी)202/सीजीएम(पीके)2008 द्वारा जोड़ा गया

वही होगा जो उक्त अधिनियम अथवा उक्त निदेशों में है। कोई अन्य शब्द अथवा अभिव्यक्ति, जो उक्त अधिनियम या उक्त निदेशों में परिभाषित नहीं है, का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में उनसे अभिप्रेत है।

आय निर्धारण

3. (1) आय निर्धारण मान्यताप्राप्त लेखा सिद्धांतों पर आधारित होगा।
- (2) ब्याज/बट्टा-सहित आय अथवा एनपीए पर किसी अन्य प्रभार को गणना में तभी लिया जाएगा जब वह वास्तव में प्राप्त हो गया हो। ऐसी कोई भी आय जिसकी गणना परिसंपत्ति के अनर्जक बनने से पहले कर ली गई हो और वसूली न गई हो तो उसे उसमें से घटा दिया जाएगा।
- (3) किराया खरीद परिसंपत्तियों के संबंध में, जहां किस्त 12 महीने से अधिक समय से अतिदेय है, आय के रूप में उनकी गणना तभी की जाएगी जब किराया प्रभार वास्तव में प्राप्त हो जाएं। ऐसी कोई भी आय जिसे परिसंपत्ति के अनर्जक बनने से पूर्व लाभ और हानि खाता में जमा के रूप में ले लिया गया है और जिसकी वसूली नहीं हुई है, उसे पलट (रिवर्स कर) दिया जाएगा।
- (4) पट्टा वाली परिसंपत्तियों के संबंध में, जहां पट्टा किराया 12 महीने से अधिक समय तक अतिदेय हों, आय के रूप में उनकी गणना तभी की जाएगी जब पट्टा किराया वास्तव में प्राप्त हो गए हों। पट्टा किराया की वह निवल राशि जो परिसंपत्ति के गैर-निष्पादक होने से पूर्व लाभ और हानि खाते में ले ली गई है और जिसकी वसूली नहीं हुई है, पलट (रिवर्स कर) दी जाएगी।

स्पष्टीकरण

इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, 'निवल पट्टा किराया' का अर्थ है सकल पट्टा किराया जो लाभ-हानि खाते में नामे/जमा, पट्टा समायोजन खाते से समायोजित किया गया हो और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की अनुसूची XIV के अंतर्गत लागू दर पर मूल्यांकन के रूप में घटाया गया हो।

निवेशों से प्राप्त आय

4. (1) कंपनी निकायों के शेयरों और पारस्परिक निधियों की यूनिटों के लाभांश से होने वाली आय की गणना नकदी के आधार पर की जाएगी;

बशर्ते कंपनी निकाय द्वारा उसकी वार्षिक आम बैठक में इस प्रकार के लाभांश घोषित किए जाने पर कंपनी निकायों के शेयरों पर लाभांश से होने वाली आय की गणना उपचय के आधार पर की जाए और एनबीएफसी का भुगतान प्राप्त करने से संबंधित अधिकार स्थापित हो जाए।
- (2) कंपनी निकायों के बाण्डों एवं डिबेंचरों तथा सरकारी प्रतिभूतियों/बाण्डों से होने वाली आय की गणना उपचय के आधार पर की जाए

बशर्ते इन लिखतों पर ब्याज दर पूर्व-निर्धारित हो और ब्याज का भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो और वह बकाया न हो।

- (3) कंपनी निकायों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों से होने वाली आय, ब्याज भुगतान और मूलधन की चुकौती जो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत हो, उसकी गणना उपचय के आधार पर की जाए।

लेखांकन मानक

5. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इन निदेशों में "आइसीएआइ" नाम से उल्लिखित) द्वारा जारी लेखांकन मानक और मार्गदर्शी नोट का पालन उस सीमा तक किया जाएगा जहां तक वे इन निदेशों से बेमेल न हों।

निवेशों का लेखांकन

6. (1)(ए) प्रत्येक एनबीएफसी का निदेशक मण्डल अपनी निवेश नीति तैयार करेगा और उसे कार्यान्वित करेगा;
- (बी) इस निवेश नीति में कंपनी का मण्डल निवेश को चालू तथा दीर्घावधि निवेश में वर्गीकृत करने से संबंधित मानदण्ड का उल्लेख करेगा;
- (सी) प्रत्येक निवेश करते समय प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों को चालू एवं दीर्घावधि में वर्गीकृत किया जाएगा;
- (डी) (i) तदर्थ आधार पर कोई अंतर-श्रेणी अंतरण नहीं किया जाएगा;
- (ii) आवश्यक होने पर, मण्डल के अनुमोदन से अंतर-श्रेणी अंतरण प्रत्येक छमाही के प्रारंभ में ही पहली अप्रैल अथवा पहली अक्टूबर को किया जाएगा;
- (iii) निवेश को चालू से दीर्घावधि एवं दीर्घावधि से चालू श्रेणी में बही मूल्य पर अथवा बाजार मूल्य पर जो भी कम हो, शेयरवार अंतरित किया जाएगा;
- (iv) यदि कोई मूल्यांश है तो प्रत्येक शेयर में उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाएगा और यदि कोई मूल्यवृद्धि होती है तो उसे नज़रअंदाज़ किया जाएगा;
- (v) अंतर-श्रेणी अंतरण के समय, यहां तक कि एक ही श्रेणी के शेयरों के मामले में भी किसी शेयर का मूल्यांश अन्य शेयर की मूल्यवृद्धि के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा,
- (2) मूल्यांकन के उद्देश्य से, उद्धृत चालू निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों के समूह में रखा जाएगा, अर्थात्
- (ए) ईक्विटी शेयर,
- (बी) अधिमानी शेयर,
- (सी) डिबेंचर और बाण्ड,
- (डी) खज़ाना बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियां,
- (ई) पारस्परिक निधियों की यूनितें, और
- (एफ) अन्य।

प्रत्येक श्रेणी हेतु उद्धृत चालू निवेश का मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा। इस प्रयोजन से, प्रत्येक श्रेणी का निवेश शेयर-वार देखा जाएगा और प्रत्येक श्रेणी के सभी निवेशों की लागत एवं बाजार मूल्य को एकीकृत किया जाएगा। यदि श्रेणी विशेष का सकल बाजार मूल्य उस श्रेणी की सकल लागत से कम है, तो निवल मूल्यांकन के लिए प्रावधान किया जाएगा अथवा लाभ-हानि खाते में उसे प्रभारित किया जाएगा। यदि श्रेणी विशेष का सकल बाजार मूल्य उस श्रेणी की सकल लागत से अधिक है, तो निवल वृद्धि को नजरअंदाज किया जाएगा। एक श्रेणी के निवेश के मूल्यांकन को अन्य श्रेणी की मूल्यवृद्धि के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा।

- (3) चालू निवेशों के रूप में अनुद्धृत ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन लागत अथवा अलग-अलग मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा। तथापि, एनबीएफसी, आवश्यक समझने पर, शेयरों के अलग-अलग मूल्य के स्थान पर उचित मूल्य रख सकती हैं। जहां निवेश प्राप्त कंपनी के पिछले दो वर्ष के तुलनपत्र उपलब्ध नहीं हैं, वहां ऐसे शेयरों का मूल्यांकन एक रूप मात्र पर किया जाएगा।
- (4) चालू निवेशों की प्रकृति के अनुद्धृत अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन लागत अथवा अंकित मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा।
- (5) अनुद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों या सरकारी गारंटीकृत बाण्डों में निवेशों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।
- (6) पारस्परिक निधि की यूनिटों में चालू स्वरूप के अनुद्धृत निवेशों का मूल्यांकन पारस्परिक निधि द्वारा प्रत्येक विशिष्ट योजना के संबंध में घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर किया जाएगा।
- (7) वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।
- (8) दीर्घवधि निवेश का मूल्यांकन आइसीएआइ द्वारा जारी लेखा मानक द्वारा किया जाएगा।

टिप्पणी आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण के प्रयोजन से अनुद्धृत डिबेंचरों को मीयादी ऋण के रूप में अथवा अन्य ऋण सुविधाओं के रूप में माना जाएगा जो इस प्रकार के डिबेंचरों की अवधि पर निर्भर करेगा।

मांग/सूचना ऋण से संबंधित नीति की आवश्यकता

7. (1) मांग/सूचना ऋण दे रही/देने का इरादा रखने वाली प्रत्येक एनबीएफसी के निदेशक मण्डल को कंपनी के लिए एक नीति तैयार करनी होगी और उसे कार्यान्वित करना होगा;
- (2) इस नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शर्तों का निर्धारण किया जाएगा:
 - (i) एक अंतिम तारीख जिसके भीतर मांग अथवा सूचना ऋण की चुकौती की मांग की जा सकेगी या सूचना भेजी जा सकेगी;
 - (ii) मांग अथवा सूचना ऋण की मंजूरी देते समय, यदि ऐसे ऋणों को वापस मांगने अथवा वापसी की सूचना देने हेतु अंतिम तारीख ऋण की मंजूरी की तारीख से एक वर्ष बाद की निर्धारित की गई है तो मंजूरी देने वाला अधिकारी लिखित रूप में उसके विशेष कारणों का उल्लेख करेगा;

- (iii) ब्याज की दर जो ऐसे ऋणों पर देय होगी;
- (iv) इन ऋणों पर यथानिर्धारित ब्याज या तो मासिक अथवा तिमाही अंतराल पर देय होगा;
- (v) मांग अथवा सूचना ऋण मंजूर करते समय, यदि कोई ब्याज निर्धारित नहीं किया गया है अथवा यदि किसी अवधि के लिए ऋण स्थगन (मोरेटोरियम) किया गया है तो मंजूरी देने वाला अधिकारी उसके विशेष कारणों का उल्लेख करेगा;
- (vi) ऋण के निष्पादन की समीक्षा हेतु एक अंतिम तारीख का निर्धारण, जो ऋण मंजूरी की तारीख से छह महीने से अधिक न हो;
- (vii) इन मांग अथवा सूचना ऋणों को तब तक नवीकृत नहीं किया जाएगा जब तक आवधिक समीक्षा से यह पता न चले कि मंजूरी की शर्तों का संतोषजनक अनुपालन किया जा रहा है।

परिसंपत्ति वर्गीकरण

8. (1) प्रत्येक एनबीएफसी, स्पष्ट रूप से परिभाषित ऋण कमज़ोरियों (क्रेडिट वीकनेस) की डिग्री एवं वसूली हेतु संपार्श्विक जमानत पर निर्भरता की सीमा को ध्यान में रखते हुए, पट्टा/किराया खरीद परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमों तथा किसी अन्य प्रकार के ऋण को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करें, अर्थात्

- (i) मानक परिसंपत्तियां,
- (ii) अवमानक परिसंपत्तियां,
- (iii) संदिग्ध परिसंपत्तियां, और
- (iv) हानि वाली परिसंपत्तियां।

(2) उपर्युक्त परिसंपत्तियों की श्रेणी, मात्र पुनर्निर्धारण किए जाने के कारण पदोन्नत नहीं की जाएगी, जब तक परिसंपत्तियां अनर्जक पदोन्नति के लिए अपेक्षित शर्तें पूरा नहीं करतीं।

प्रावधानीकरण अपेक्षा

9. प्रत्येक एनबीएफसी, किसी खाते के अनर्जक होते जाने, उसके अनर्जक हो जाने के बीच लगने वाले समय, जमानत राशि की वसूली तथा उस समय में प्रभारित जमानती राशि के मूल्य में हुए क्षरण को ध्यान में रखकर अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली परिसंपत्तियों के लिए निम्नानुसार प्रावधान करेंगी

खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित ऋण, अग्रिम और अन्य ऋण सुविधाएं- (1) खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित ऋणों, अग्रिमों और अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया जाएगा:

| | |
|----------------------------|---|
| (i) हानिवाली परिसंपत्तियां | समस्त परिसंपत्ति बट्टे खाते डाली जाएगी। यदि किसी कारण से परिसंपत्तियों को बहियों में बने रहने दिया जाता है तो बकाया के लिए 100% प्रावधान किया जाए; |
| (ii) संदिग्ध परिसंपत्तियां | (ए) अग्रिम के उस भाग के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाएगा जो उस जमानत के वसूलीयोग्य मूल्य से पूरा नहीं होता है जिसका एनबीएफसी के पास वैध आश्रय है। वसूली योग्य मूल्य का आकलन वास्तविक आधार पर किया जाना है; |
| | (बी) उपर्युक्त मद (क) के साथ-साथ, परिसंपत्ति के संदिग्ध बने रहने की अवधि को देखते हुए जमानती |

| | |
|--|--|
| | भाग के 20% से 50% तक के लिए (अर्थात् बकाया का आकलित वसूली योग्य मूल्य) निम्नलिखित आधार पर प्रावधान किया जाएगा: |
|--|--|

जिस अवधि तक परिसंपत्ति को

प्रावधान का प्रतिशत

संदिग्ध माना गया

| | |
|----------------------------|--|
| एक वर्ष तक | 20 |
| एक से तीन वर्ष तक | 30 |
| तीन वर्ष से अधिक | 50 |
| (iii) अवमानक परिसंपत्तियां | कुल बकाया के 10% का सामान्य प्रावधान किया जाएगा। |

(2) पट्टा और किराया खरीद परिसंपत्तियां- किराया खरीद और पट्टेवाली परिसंपत्तियों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया जाएगा:

(i) किराया खरीद परिसंपत्तियां

किराया खरीद परिसंपत्तियों के संबंध में, कुल बकाया (अतिदेय और भविष्य की किस्तों को मिलाकर) को निम्नानुसार घटाकर प्रावधान किया जाएगा

(ए) लाभ-हानि खाता में वित्त प्रभार जमा नहीं करके और अपरिपक्व वित्त प्रभार के रूप में आगे ले जा करके; तथा

(बी) विचाराधीन (प्रतिभूतिगत) परिसंपत्ति के हासित मूल्य से।

स्पष्टीकरण : इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए,

- (1) परिसंपत्ति के हासित मूल्य की गणना आनुमानिक (नोशनल) आधार पर परिसंपत्ति की मूल लागत में सीधे क्रम पद्धति (स्ट्रेट लाइन मेथड) से 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष मूल्योंस की दर से घटाकर की जाएगी; और
- (2) पुरानी परिसंपत्तियों के मामले में, मूल लागत वह लागत होगी जो उस परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए व्यय की गई वास्तविक लागत होगी।

(ii) किराया खरीद और पट्टाकृत परिसंपत्तियों हेतु अतिरिक्त प्रावधान

किराया खरीद और पट्टाकृत परिसंपत्तियों के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान निम्नानुसार किया जाएगा:

| | |
|--|-------------------------------|
| (ए) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 12 महीने तक अतिदेय हो | शून्य |
| (बी) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 12 महीने से अधिक किंतु 24 महीने तक अतिदेय हो | निवल बही मूल्य का 10 प्रतिशत |
| (सी) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 24 महीने से अधिक किंतु 36 महीने तक अतिदेय हो | निवल बही मूल्य का 40 प्रतिशत |
| (डी) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 36 महीने से अधिक किंतु 48 महीने तक अतिदेय हो | निवल बही मूल्य का 70 प्रतिशत |
| (ई) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 48 महीने से अधिक समय से अतिदेय हो | निवल बही मूल्य का 100 प्रतिशत |

(iii) किराया खरीद/पट्टाकृत परिसंपत्ति की अंतिम किस्त की नियत तारीख से 12 महीने का समय समाप्त हो जाने पर समस्त निवल बही मूल्य का पूरा प्रावधान किया जाएगा।

टिप्पणी

- (1) किराया खरीद करार के अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा एनबीएफसी में रखी गई जमानत राशि/भार्जिन राशि अथवा जमानती राशि को यदि करार के अंतर्गत समान मासिक किस्तें निर्धारित करते समय हिसाब में नहीं लिया गया है, तो उसे उक्त खण्ड (i) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान में से घटाया जाए। किराया खरीद करार के अनुसरण में उपलब्ध अन्य किसी भी जमानत राशि को उक्त खण्ड (ii) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान से ही घटाया जाएगा।
- (2) पट्टा करार के अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा एनबीएफसी में जमानत के तौर पर रखी गई राशि तथा पट्टा करार के अनुसरण में उपलब्ध अन्य किसी जमानत का मूल्य, दोनों को उक्त खण्ड (ii) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान से ही घटाया जाएगा।
- (3) यह स्पष्ट किया जाता है कि एनपीए के लिए आय का निर्धारण और प्रावधानीकरण, विवेकपूर्ण मानदण्डों के दो अलग पहलू हैं और मानदंडों के अनुसार कुल बकायों के एनपीए पर प्रावधान करने की आवश्यकता है साथ ही संदर्भाधीन पट्टाकृत परिसंपत्ति के हासिल बही मूल्य का, पट्टा समायोजन खाते में शेषराशि को, यदि कोई हो, समायोजित करने के बाद, प्रावधान किया

जाएगा। यह तथ्य कि एनपीए पर आय का निर्धारण नहीं किया गया है, प्रावधान न करने के कारण के रूप में नहीं माना जाएगा।

- (4) इन निदेशों के पैरा (2)(1)(xvi)(ख) में संदर्भित परिसंपत्ति जिसके लिए पुनः बातचीत (रिनिगोशिएट) की गई अथवा जिसे पुनर्निर्धारित किया गया, अवमानक परिसंपत्ति मानी जाएगी अथवा यह उसी श्रेणी में बनी रहेगी जिस श्रेणी में वह पुनः बातचीत अथवा पुनर्निर्धारण के पूर्व, जैसा भी मामला हो, संदिग्ध अथवा हानिवाली परिसंपत्ति के रूप में थी। ऐसी परिसंपत्तियों के लिए यथा लागू प्रावधान तब तक किया जाता रहेगा जब तक यह उन्नत श्रेणी में न बदल जाए।
- (5) पैरा 10 के उप पैरा (2) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार एनबीएफसी द्वारा तुलनपत्र तैयार किया जाए।
- (6) 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद लिखे गए सभी वित्तीय पृष्ठों के लिए किराया खरीद परिसंपत्तियों पर लागू प्रावधान उन पर भी लागू होंगे।
- (7) ¹⁴ एनबीएससी-एमएफआई के मामले में, यदि अग्रिम निम्न आय वर्ग के आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) द्वारा रक्षित(कवर) है तथा गारंटीकृत अग्रिम अर्जनक हो बन जाती है, तो गारंटीकृत भाग के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। गारंटीकृत भाग के अतिरिक्त शेष बकाया राशि को अनर्जक अग्रिमों के लिए मौजूदा दिशानिदेश के अनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए।

“9क. प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अतिदेय मानक परिसंपत्तियों के 0.25 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान करना है, जिसकी गणना निवल अनर्जक परिसंपत्तियों में नहीं की जानी है। मानक परिसंपत्तियों के लिए किए गए प्रावधान को सकल अग्रिमों से नहीं घटाना है किंतु तुलन पत्र में अलग से "मानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान " में दर्शाया जाना है।¹⁵

तुलनपत्र में प्रकटीकरण

10. (1) प्रत्येक एनबीएफसी अपने तुलनपत्र में अलग से उपर्युक्त पैरा 9 के अनुसार किए गए प्रावधानों को आय अथवा परिसंपत्तियों के मूल्य से घटाए बिना प्रकट करेंगी।

- (2) प्रावधानों का उल्लेख विशेष रूप से निम्नलिखित पृथक खाता शीर्षकों के अंतर्गत किया जाएगा:
 - (i) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान; तथा
 - (ii) निवेशों में मूल्यांकन हेतु किए गए प्रावधान।

¹⁴ 1 जनवरी 2014 की अधिसूचना सं. गैबैपवि.267/पीसीजीएम(एनएसवी)2014 द्वारा शामिल किया गया।

¹⁵ [17 जनवरी 2011 की अधिसूचना सं. 223/सीजीएम\(युएस\)-2011](#)

- (3) इन प्रावधानों को एनबीएफसी द्वारा धारित सामान्य प्रावधान एवं हानिगत आरक्षित निधि, यदि कोई हो, से समायोजित नहीं किया जाएगा।
- (4) इन प्रावधानों को प्रत्येक वर्ष लाभ-हानि खाता में नामे डाला जाएगा। सामान्य प्रावधान एवं हानिगत आरक्षित निधि शीर्ष के अंतर्गत धारित अधिशेष प्रावधान, यदि कोई हो, के साथ उन्हें समायोजित किए बिना पुनरांकित किया जाए।
- ¹⁶“(5) संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने तुलनपत्र में निम्नलिखित ब्योरे प्रकट करेगी-
- (i) जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी - अनुपात (CRAR)
- (ii) रियल इस्टेट सेक्टर(स्थावर संपदा क्षेत्र) के संबंध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों जोखिम; तथा
- (iii) परिसंपत्तियों एवं देयताओं का परिपक्वता पैटर्न।”]

एनबीएफसी द्वारा लेखा-परीक्षा समिति का गठन

11. एनबीएफसी जिसकी परिसंपत्तियां पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक हैं, एक लेखा-परीक्षा समिति का गठन करेगी जिसमें उसके निदेशक मण्डल के कम से कम तीन सदस्य होंगे।

स्पष्टीकरण I: कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 292-क के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार गठित लेखा-परीक्षा समिति इस पैरा के प्रयोजनार्थ लेखा-परीक्षा समिति होगी।

स्पष्टीकरण II: इस पैरा के अंतर्गत गठित लेखा-परीक्षा समिति को वही शक्तियां, कार्य एवं कर्तव्य प्राप्त होंगे, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 292-क में दिए गए हैं।

लेखा वर्ष

12. प्रत्येक एनबीएफसी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपना तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा तैयार करेगी। जब कभी कोई एनबीएफसी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने तुलनपत्र की तारीख बढ़ाने का इरादा करती है, तो इसके लिए उसे कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना चाहिए

इसके अतिरिक्त, उन मामलों में भी जिनमें बैंक तथा कंपनी रजिस्ट्रार ने समय बढ़ाने की मंजूरी दी है, एनबीएफसी वर्ष के 31 मार्च को एक प्रोफार्मा तुलनपत्र (बिना लेखा परीक्षित) और उक्त तारीख को देय सांविधिक विवरणियां बैंक को प्रस्तुत करेगी। ¹⁷प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी तुलन पत्र की तारीख से तीन माह के अंदर उसे अंतिम रूप दे देगी”

तुलनपत्र की अनुसूची

¹⁶ 1 अगस्त 2008 की अधिसूचना सं:डीएनबीएस 200/सीजीएम(पीके)2008 द्वारा जोड़ा गया

¹⁷ 01 दिसम्बर 2010 की अधिसूचना सं:डीएनबीएस 218/सीजीएम(युएस) -2010 द्वारा जोड़ा गया

13. प्रत्येक एनबीएफसी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित अपने तुलनपत्र के साथ, संलग्नक में दी गई अनुसूची में ब्योरे संलग्न करेगी।

सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन

14. प्रत्येक एनबीएफसी सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन उसके सीएसजीएल खाते या उसके डिमैट खाते के जरिए कर सकती है।

बशर्ते कोई भी एनबीएफसी सरकारी प्रतिभूति में कोई लेनदेन किसी दलाल के जरिए भौतिक रूप में नहीं करेगी।

सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत करना

15. प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को अपने सांविधिक लेखापरीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह (कंपनी) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का ¹⁸(कारोबार) कर रही है जिसके लिए उसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-झक के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र रखना आवश्यक है। सांविधिक लेखा परीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के लिए प्राप्त कर गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को "तुलनपत्र को अंतिम रूप देने की तारीख से एक माह के भीतर"¹⁹ किन्तु हर हालत में संबंधित वर्ष के 30 दिसंबर से अनधिक अवधि के भीतर," प्रस्तुत किया जाए जिसके अंतर्गत कंपनी का पंजीकरण है। ऐसे प्रमाणपत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की परिसंपत्ति/आय के स्वरूप का उल्लेख भी होगा जिसके कारण कंपनी परिसंपत्ति वित्त कंपनी, निवेश कंपनी या ऋण कंपनी के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पात्र हुई।

²⁰"एनबीएफसी-एमएफआई के लिए, ऐसे प्रमाणपत्र में यह भी प्रदर्शित होगा कि 02 दिसम्बर 2011 का अधिसूचना सं:डीएनबीएस.पीडी.सं:234/सीजीएम (यूएस)-2011 में एनबीएफसी-एमएफआई श्रेणी हेतु निर्धारित शर्तें कंपनी द्वारा पूर्ण की जाती हैं।"

²¹गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टर के लिए, फैक्टरिंग अधिनियम की धारा 3 के तहत, ऐसे प्रमाणपत्र में प्रमाणपत्र धारण करने की आवश्यकता दर्शायेगी। प्रमाण पत्र फैक्टरिंग परिसंपत्ति और आय , अधिनियम के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी –फैक्टर के रूप में वर्गीकृत होने के लिए निर्धारित सभी शर्तों का पूर्ण अनुपालन और न्यूनतम पूंजीकरण नियम का अनुपालन को भी दर्शायेगी। यदि एफडीआई प्राप्त नहीं कर लिया गया है तो।

¹⁸ 19 अक्टूबर 2006 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.81/03.05.002/2006-07 में यह स्पष्ट किया गया था कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान(एनबीएफआई) का कारोबार अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45झ(क) में निहित वित्तीय संस्थान का कारोबार करने वाली कंपनी की गतिविधियां से है। इस प्रयोजन के लिए 8 अप्रैल 1999 का प्रेस प्रकाशनी 1998-99/1269 में मूल कारोबार की परिभाषा का अवलोकन किया जा सकता है।

¹⁹ 22 अक्टूबर 2009 की अधिसूचना सं:डीएनबीएस 209/सीजीएम(एएनआर) -2009 द्वारा जोड़ा गया

²⁰ 2 दिसम्बर 2011 की अधिसूचना सं: डीएनबीएस 235/सीजीएम(यूएस) -2011 द्वारा जोड़ा गया

²¹ 23 जुलाई 2012 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.पीडी.सं.247/सीजीएम(यूएस) द्वारा जोड़ा गया।

पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षा

16. (1) जमा राशि न लेने वाली संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रत्येक एनबीएफसी, 1 अप्रैल, 2007 से टियर -I और टियर II पूंजी पर आधारित न्यूनतम पूंजी अनुपात बनाए रखेगी, जो तुलनपत्र में उसकी सकल जोखिम भारित परिसंपत्तियों और तुलनपत्र से इतर मर्दों²² के जोखिम समायोजित मूल्य के दस प्रतिशत से कम नहीं होगा। "ऐसा प्रतिशत 31 मार्च 2010 के अंत में 12% एवं 31 मार्च 2011 के अंत में 15% से कम नहीं होगा।"

(2) टियर II पूंजी का जोड़, किसी भी समय, टियर I पूंजी के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(3) ²³मुख्य रूप से स्वर्ण आभूषण के जमानत के बदले ऋण देने के कारोबार में संलिप्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (ऐसे ऋण उनकी कुल परिसंपत्ति का 50% या अधिक है) को 01 अप्रैल 2014 तक टीयर I

स्पष्टीकरण

तुलनपत्र की परिसंपत्तियों के संबंध में

(1) इन निदेशों में, प्रतिशत भार के रूप में व्यक्त ऋण जोखिम की मात्रा तुलनपत्र की परिसंपत्तियों के लिए है। अतः, परिसंपत्तियों के जोखिम समायोजित मूल्य की गणना के लिए प्रत्येक परिसंपत्ति/मद को संबंधित जोखिम भार से गुणा किया जाएगा ताकि परिसंपत्तियों का जोखिम समायोजित मूल्य निकाला जा सके। न्यूनतम पूंजी अनुपात की गणना हेतु इस प्रकार आकलित जोखिम भार के सकल (aggregate) को हिसाब में लिया जाएगा। जोखिम भारित परिसंपत्ति की गणना निधि प्रदत्त (funded) मर्दों के भारित सकल के रूप में निम्नानुसार किया जाएगा:

भारित जोखिम परिसंपत्तियां- तुलनपत्र में दी गई मर्दों के संबंध में

| | <u>प्रतिशत भार</u> |
|---|--------------------|
| (i) बैंकों में मीयादी जमा एवं उनके पास जमा प्रमाणपत्र-सहित नकदी और बैंक शेष | 0 |
| (ii) निवेश | |
| (क) अनुमोदित प्रतिभूतियां [नीचे (ग) के अलावा] | 0 |
| (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बांड | 20 |
| (ग) सरकारी वित्तीय संस्थाओं की मीयादी जमाजमा प्रमाणपत्र/बांड | 100 |
| (घ) सभी कंपनियों के शेयर तथा सभी कंपनियों के डिबेंचर/बांड/ वाणिज्य पत्र एवं सभी म्युचुअल फंड की यूनितें | 100 |
| (iii) चालू(current) परिसंपत्तियां | |
| (क) किराए पर स्टॉक (निवल बही मूल्य) | 100 |

²² 26 मई 2009 की अधिसूचना सं:डीएनबीएस 206/सीजीएम(एएसआर) -2009 द्वारा जोड़ा गया

²³ 21 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.242/सीजीएम(यूएस)-2012 द्वारा जोड़ा गया

| | |
|--|-----|
| (ख) अंतर-कंपनी ऋण/जमा | 100 |
| (ग) कंपनी ही द्वारा धारित जमाराशियों की पूरी जमानत पर ऋण और अग्रिम | 0 |
| (घ) स्टाफ को ऋण | 0 |
| (ङ) अन्य जमानती ऋण और अग्रिम जिन्हें अच्छा पाया गया है | 100 |
| (च) खरीदे/भुनाए गए बिल | 100 |
| (छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | 100 |
| (iv) <u>अचल परिसंपत्तियां (मूल्यांस घटाने के बाद)</u> | |
| (क) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां (निवल बही मूल्य) | 100 |
| (ख) परिसर | 100 |
| (ग) फर्नीचर और फिक्सचर | 100 |
| (v) <u>अन्य परिसंपत्तियां</u> | |
| (क) स्रोत पर काटे गए आय कर (प्रावधान घटाकर) | 0 |
| (ख) अदा किया गया अग्रिम कर (प्रावधान घटाकर) | 0 |
| (ग) सरकारी प्रतिभूतियों पर देय (इयू) ब्याज | 0 |
| (घ) अन्य (स्पष्ट किया जाए) | 100 |

टिप्पणी

- (1) घटाने का कार्य केवल उन्हीं परिसंपत्तियों के संबंध में किया जाए जिनमें मूल्हास अथवा अशोधय तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किए गए हों।
- (2) निवल स्वाधिकृत निधि की गणना के लिए जिन परिसंपत्तियों को स्वाधिकृत निधि से घटाया गया है उस पर भार 'शून्य' होगा।
- (3) जोखिम भार लगाने के प्रयोजन से किसी उधारकर्ता के समग्र निधिक जोखिम की गणना करते समय, ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उधारकर्ता के खाते में कुल बकाया अग्रिमों से नकदी मार्जिन/प्रतिभूति जमा/जमानती राशि रूपी संपार्श्विक प्रतिभूति, जिसकी मुजरायी(set off) के लिए अधिकार उपलब्ध है, का समायोजन कर सकती हैं।"
- (4) ²⁴हटाया गया
- (5) ²⁵ निम्न आय वर्ग वाले आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट द्वारा गारंटीकृत ऋण के लिए, एनबीएफसी-एमएफआई गारंटीकृत भाग के लिए शून्य जोखिम भार निर्धारित करें। गारंटीकृत भाग के अतिरिक्त शेष बकाया ऋण के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम भार प्राभावी होगा।

²⁶तुलनपत्र से इतर मर्दे

- (2) ²⁷हटाया गया

ए. सामान्य

²⁴ 26 दिसम्बर 2011 की अधिसूचना डीएनबीएस.पीडी.सं238/सीजीएम(यूएस)-2011 द्वारा हटाया गया

²⁵ 01 जनवरी 2014 की अधिसूचना गैबैपैव.नीप्र.सं.267/पीसीजीएम(एनएसवी)2014 द्वारा शामिल किया गया।

²⁶ 26 दिसम्बर 2011 की अधिसूचना डीएनबीएस.पीडी.सं238/सीजीएम(यूएस)-2011 द्वारा शामिल किया गया।

²⁷ 26 दिसम्बर 2011 की अधिसूचना डीएनबीएस.पीडी.सं238/सीजीएम(यूएस)-2011 द्वारा हटाया गया

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, कुल जोखिम भारित तुलनपत्र से इतर ऋण एक्सपोजर को बाजार संबंधी जोखिम भारित राशि और गैर - बाजार संबंधी तुलनपत्र से इतर मदों को जोखिम भारित राशि के योग के रूप में गणना करेगी. तुलनपत्र से इतर मदों की जोखिम भारित राशि, जिससे ऋण एक्सपोजर की शुरुआत होती है उसकी गणना निम्नलिखित दो चरण प्रक्रिया से की जायेगी.

(ए) लेन देन की अनुमानित राशि को ऋण परिवर्तन हेतु विशेष घटक द्वारा गुणा करके अथवा वर्तमान जोखिम प्रक्रिया लागू करके, समान ऋण राशि में परिवर्तित किया जाता है; तथा

(बी) समान ऋण राशि को जोखिम भार द्वारा गुणा करने पर परिणाम स्वरूप एक्सपोजर का निम्न प्रतिशत लागू होगा जैसे केन्द्र/राज्य सरकार के लिए शून्य, बैंकों के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 100 प्रतिशत .

बी. गैर बाजार संबंधी तुलन पत्र से इतरमदें

i. गैर बाजार संबंधी तुलनपत्र से इतरमदों से संबंधित समान ऋण राशि का निर्धारण विशिष्ट व्यवहार की अनुबंधित राशि को उचित ऋण परिवर्तन घटक (सीसीएफ)से गुणा करके निर्धारित की जायेगी.

| क्रम. | लिखत | ऋण परिवर्तन घटक |
|-------|--|-----------------|
| i. | वित्तीय और अन्य गारंटियां | 100 |
| ii. | शेयर/डिबेंचर की हामिदारी दायित्व | 50 |
| iii. | आंशिक रूप से भुगतान किये गये शेयर /डिबेंचर | 100 |
| iv. | बिलों का बट्टाकरण /पुनर्भुनाई | 100 |
| v. | किये गये पट्टा अनुबंध किंतु हस्ताक्षर हेतु शेष | 100 |
| vi. | बिक्री और पुनर्खरीद अनुबंध और वसूली अधिकार सहित परिसंपत्ती की बिक्री जहाँ ऋण जोखिम एनबीएफसी के साथ होती है। | 100 |
| vii. | अग्रेषित परिसंपत्ति खरीद, अग्रेषित जमाराशि और आंशिक रूप से भुगतान किये गये शेयर और प्रतिभूतियां, जो प्रतिबद्धताओं की विशिष्टता से घटाकर प्रतिनिधित्व करता हैं | 100 |
| viii. | गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की प्रतिभूतियों को उधार में देना या एनबीएफसी द्वारा प्रतिभूतियों को अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप प्रविष्टी करना, जैसी घटनाओं का रिपो प्रकार के व्यवहारों में उदय होता हैं। | 100 |
| ix. | अन्य प्रतिबद्धताएँ (अर्थात् अतिरिक्त सुविधाएँ और क्रेडिट लाईन) मूल परिपक्वता के साथ एक वर्ष तक एक वर्ष से अधिक | 20 50 |
| x. | ²⁸ हटाया गया ²⁹ समरूप प्रतिबद्धताएं जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा बिना किसी पूर्व | 0 |

²⁸ 1 अगस्त 2012 की अधिसूचना सं.डीएनबीएस(पीडी) 249/सीजीईम(यूएस)-2012 द्वारा हटाया गया

| | | |
|-------|--|-----|
| | सूचना और बिना किसी शर्त के किसी भी समय रद्द किया जा सकेगा या जो उधारकर्ता के ऋण पात्रता में गिवारट के कारण स्वतः रद्द होने के लिए प्रभावी होंगी।' | |
| xi.. | अधिग्रहण करने वाली संस्था के बहियों से लिया गया वित्त | |
| | (i) बिना शर्त लिया गया वित्त | 100 |
| | (ii) सशर्त लिया गया वित्त नोट:जैसा कि प्रति-पक्ष एक्सपोजर , जोखिम भार से निर्धारित की जायेगी, यह सभी उधारकर्ताओं के लिए 100 प्रतिशत होगा या सरकारी गारंटी कवर होने पर शून्य प्रतिशत होगा. | 50 |
| xii. | मानक परिसंपत्ति लेन-देन के प्रतिभूतिकरण के लिए चल निधि प्रदान करने की प्रतिबद्धता | 100 |
| xiii. | तीसरे पक्ष द्वारा मानक परिसंपत्ति के लेन-देन के प्रतिभूतिकरण के लिए दूसरी हानी क्रेडिट वृद्धि उपलब्ध कराना | 100 |
| xiv. | अन्य प्रासंगिक देनदारियां (उल्लेख किया जाये) | 50 |

नोट:

- परिवर्तन घटक लागू करने के पहले नकदी मार्जिन/ जमा राशियां घटायी जायेगी
- जहां गैर बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतरमर्दे अनाहरित या आंशिक रूप से अनाहरित निधि आधारित सुविधा है प्रतिबद्ध अनाहरित राशि को तुलन पत्र से इतर गैर बाजार से संबंधित ऋण एक्सपोजर की प्रतिबद्धता की गणना करते समय उसमें समाहित किया जाना चाहिए, गैर बाजार से संबद्ध तुलनपत्र से इतर ऋण एक्सपोजर का अधिकतम अप्रयुक्त भाग परिपक्वता की बाकी अवधि के दौरान रेखांकित किया जा सकता है. प्रतिबद्धता का कोई भी आहरित हिस्सा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तुलनपत्र के ऋण एक्सपोजर का हिस्सा बन सकती है.

³⁰ उदाहरणार्थ :

एक बड़ी परियोजना के लिए ₹ 700 करोड़ की मियादी ऋण स्वीकृत की गई जिसे तीन वर्ष की समयावधि में चरणक्रम में आहरण किया जा सकता है। स्वीकृति की शर्तों के अनुसार तीन चरण में आहरण की अनुमति है- प्रथम चरण में ₹ 150 करोड़, द्वितीय चरण में ₹ 200 करोड़ तथा तृतीय चरण में ₹ 350 करोड़, जिसमें उधारकर्ता को नियत औपचारिकतायें पूरा करने के बाद II और III चरण के तहत आहरण के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त करना होगा। यदि उधारकर्ता द्वारा I चरण के तहत ₹ 50 करोड़ का आहरण किया जा चुका है तब केवल I चरण के अनाहरित भाग के लिए गणना की जाएगी जो कि ₹ 100 करोड़ है। यदि I चरण को एक वर्ष के अंदर

²⁹ 1 अगस्त 2012 की अधिसूचना सं.डीएनबीएस(पीडी) 249/सीजीईम(यूएस)-2012 द्वारा जोड़ा गया

³⁰ 1 अगस्त 2012 की अधिसूचना सं.डीएनबीएस(पीडी) 249/सीजीईम(यूएस)-2012 द्वारा जोड़ा गया

पूरा किया जाता है तब सीसीएफ 20% होगा तथा यदि यह एक वर्ष से अधिक समय के लिए है तब सीसीएफ 50 प्रतिशत लागू होगा।

सी. बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर मदें

i. जोखिम भारित तुलन पत्र से इतर ऋण एक्सपोजर की गणना करते समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर सभी मदों (ओटीसी डेरिवेटिव्स और प्रतिभूति वित्त पोषण लेनदेन जैसे कि रिपो/रिवर्स रिपो/सीबीएसओ आदि) के लिए शामिल किया जाना चाहिए.

ii. बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर मदों पर ऋण जोखिम की लागत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की नकदी प्रवाह से अनुबंध द्वारा निर्धारित किये जाने के अनुसार प्रतिपक्ष द्वारा चूक करने की स्थिति प्रतिस्थापित करती है। अनुबंध की परिपक्वता पर और आधारभूत लिखत के प्रकार में दरों की अस्थिरता के अन्य हालात पर यह निर्भर होगा.

iii. बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर मदों में समाविष्ट होंगी :

ए. ब्याज दरों का अनुबंध – एकल मुद्रा अदला-बदली ब्याज दर सहित, आधार अदला-बदली, अग्रिम दर अनुबंध तथा भविष्य ब्याज दर;

बी. अनुबंध में स्वर्ण को शामिल करते हुए, विदेशी मुद्रा अनुबंधन – में शामिल क्रॉस मुद्रा अदला-बदली (क्रॉस मुद्रा में ब्याज की अदला-बदली की दरें भी शामिल हैं) अग्रिम विदेशी मुद्रा अनुबंध, मुद्रा फ्युचर्स, मुद्रा विकल्प ;

सी. ऋण चूक अदला-बदली और

डी. बाजार से संबंधित अन्य कोई अनुबंध विशेषकर भारतीय रिजर्व बैंक अनुमति प्राप्त जो ऋण जोखिम को उत्पन्न करती हो. अन्य .

iv. पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए निम्नलिखित छूट की अनुमति है -

ए. विदेशी मुद्रा (स्वर्ण के अतिरिक्त) अनुबंध जिसमें मूल परिपक्वता अवधि 14 कैलेंडर दिन या कम है: और

बी. फ्युचर्स और विकल्प के बाजारों में लेनेदेन होने वाले लिखत जो दैनिक मार्क टू मार्केट और मार्जिन भुगतान के अधिन है.

v. केंद्रीय प्रतिपक्षों के एक्सपोजर (सीसीपी), डेरिवेटिव लेनदेन के कारण और प्रतिभूति वित्तपोषण लेनेदेन (जैसे संपार्श्विकीकृत उधार और उधार प्रतिबद्धताएं- सीबीएसओ, रिपो) के विरुद्ध प्रतिपक्ष के जोखिम के लिए शेष शून्य एक्सपोजर मूल्य माना जायेगा. जैसा कि सीसीपी की उनके प्रतिपक्षों के लिए एक्सपोजर्स पूरी तरह से दैनिक आधार पर संपार्श्विकीकृत परिकल्पित किया जाता है जिससे सीसीपी की ऋण जोखिम एक्सपोजर्स को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

vi. सीसीपी के साथ संपार्श्विकीकृत रूप में रखे गए कारपोरेट प्रतिभूतियों पर सीसीएफ का 100 लागू होंगे तथा और उसके फलस्वरूप तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर्स को सीसीपी के स्वरूप में उचित जोखिम भार नियत किया जायेगा। भारतीय समासोधन निगम लिमिटेड

(सीसीआईएल) के मामले में, जोखिम भार 20 प्रतिशत होगा और अन्य सीसीपी के लिए जोखिम भार 50 प्रतिशत होगा.

vii. डेरिवेटिव लेनदेनों के संबंध में प्रतिपक्ष के लिए कुल ऋण एक्सपोजर की गणना नीचे दी गई वर्तमान एक्सपोजर पद्धति के अनुसार किया जाएगा:

डी. वर्तमान एक्सपोजर पद्धति

बाजार से संबंधित तुलनपत्र से इतर लेनदेनों की ऋण समानार्थी राशि की गणना में वर्तमान एक्सपोजर पद्धति का उपयोग होता है जो ए) वर्तमान ऋण एक्सपोजर और बी) संभावित भविष्य के ऋण एक्सपोजर अनुबंध का योग है.

ए). वर्तमान ऋण एक्सपोजर को एकल प्रतिपक्ष के संबंध में सभी अनुबंधों के साथ सकल सकारात्मक मार्क टू मार्केट मूल्य के योग के रूप में परिभाषित किया गया है. (विविध अनुबंधों का उसी प्रतिपक्ष के साथ सकारात्मक और नकारात्मक मार्क टू मार्केट मूल्य निवल नहीं होना चाहिये). वर्तमान एक्सपोजर पद्धति बाजार के इन अनुबंधों का मार्किंग द्वारा वर्तमान ऋण एक्सपोजर की आवधिक गणना करना आवश्यक है.

बी) संभावित भविष्य ऋण एक्सपोजर का निर्धारण सभी अनुबंधों के प्रत्येक काल्पनिक मूलधन राशि को गुणा करके किया जाता है, चाहे वह अनुबंध शून्य हो, नीचे दर्शाये प्रासंगिक एड ऑन घटक द्वारा सकारात्मक या नकारात्मक बाजार मूल्य को वहीं पर अंकित मूल्य के स्वरूप और लिखत के परिपक्वता के अवशिष्ट के अनुसार हो.

| ब्याज दर संबंधित, विनिमय दर संबंधित और सोने से संबंधित डेरिवेटिव के लिए क्रेडिट रूपांतरण घटक | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| | क्रेडिट रूपांतरण घटक (%) | |
| | ब्याज दर के अनुबंध | विनिमय दर के अनुबंध और सोना |
| एक वर्ष या कम | 0.50 | 2.00 |
| एक वर्ष से अधिक से पांच वर्ष तक | 1.00 | 10.00 |
| पांच वर्ष से अधिक | 3.00 | 15.00 |

i. मूलधन के बहुविध लेनदेन के साथ अनुबंध के लिए, अनुबंध में भुगतान हेतु शेष संख्या से एड ऑन घटकों को गुणा करना होता है.

ii. बकाया एक्सपोजर के निपटान के लिए संरचित अनुबंध हेतु निम्नलिखित विनिर्दिष्ट भुगतान तारीख तथा ऐसी शर्तें पुनः कायम की जाए जहां अनुबंधों का बाजार मूल्य इन विनिर्दिष्ट तारीखों को शून्य हो जाए तथा अगामी पुनः कायम तारीख तक अवशिष्ट परिपक्वता को समय के बराबर बनाया जाए. तथापि ब्याज दरों के अनुबंधों के मामलों में जहां अवशिष्ट परिपक्वता की अवधि एक वर्ष से

अधिक है और उक्त पात्रताओं को पूर्ण करती है वहां सीसीएफ या एड ऑन घटक 1.0 प्रतिशत के स्तर के अधीन होंगे.

iii. संभावित ऋण एक्सपोजर की गणना एकल चल मुद्रा/चल ब्याज दर की अदला-बदली के लिए नहीं की जायेगी; इन अनुबंधों पर ऋण एक्सपोजर का मूल्यांकन केवल उनके मार्क टू मार्केट मूल्य के आधार पर होंगी।

iv. संभावित भविष्य एक्सपोजर 'स्पष्ट काल्पनिक राशि' के बदले 'प्रभावशाली आधार पर होनी चाहिए. प्रसंगवश विनिर्दिष्ट काल्पनिक राशि, संरचना की लेनदेन से उत्तोलित या बढ़ाई गई है तो प्रभावशाली काल्पनिक राशि का उपयोग संभावित भविष्य एक्सपोजर के निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए. जैसे 1 मिलियन यूएसडी का कथित काल्पनिक राशि दो बार के आंतरिक दर भुगतान के आधार पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के उधार ब्याज दर की प्रभावशाली काल्पनिक राशि 2 मिलियन यूएसडी बन जायेगी.

³¹ "ई. ऋण चूक अदला-बदली (सीडीएस) के लिए ऋण परिवर्तन घटक :

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित कंपनी बांडों पर अपनी ऋण जोखिम के बचाव के लिए उनको केवल ऋण सुरक्षा खरीद की अनुमति है. वर्तमान श्रेणी या स्थायी श्रेणी में बांड धारण किया गया हो. इन एक्सपोजरों के लिए पूंजी भार निम्नलिखित होंगे:

(i) वर्तमान श्रेणी में धारित और सीडीएस द्वारा बचाव किए गए कार्पोरेट बांडों के लिए ऋण सुरक्षा का अधिकतम 80% तक एक्सपोजर जोखिम बचाव को मान्यता की अनुमति होगी, जहां सीडीएस तथा बचाव बांड के बीच कोई असमानता न हो. अतः गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कार्पोरेट बांड के लिए लागू पूंजी प्रभार का 20% तक के विस्तार को पूंजी प्रभार के रखरखाव के लिए जारी रखेंगी. एक्सपोजर मूल्य द्वारा बांड मूल्य का 20% बाजार मूल्य पर लेते हुए तथा जारी करने वाली संस्था के जोखिम भार को उससे गुणा करके इसे प्राप्त किया जा सकता है. इसके अलावा, प्राप्त सीडीएस स्थिति प्रतिपक्ष जोखिम के लिए पूंजी प्रभार को आकर्षित करेगी, जिसकी गणना 100 प्रतिशत लागू ऋण परिवर्तन घटक द्वारा किया जाएगा तथा सुरक्षा बिक्रेता पर लागू जोखिम भार के रूप में लागू होंगे जैसे बैंकों के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 100 प्रतिशत.

(ii) स्थायी श्रेणी में धारित और सीडीएस द्वारा बचाव किए गए कार्पोरेट बांडों के लिये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अंतर्निहित परिसंपत्ति हेतु पूर्ण सुरक्षा और उसपर किसी पूंजी के रखरखाव की अनावश्यकता की पहचान करेंगी, जहां सीडीएस तथा बचाव बांड के बीच कोई असमानता न हो. सुरक्षा बिक्रेता के एक्सपोजर द्वारा एक्सपोजर पूरा प्रतिस्थापित हो जाएगा तथा सुरक्षा बिक्रेता पर लागू जोखिम भार के रूप में लागू होंगे जैसे बैंकों के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 100 प्रतिशत".

एनबीएफसी के अपने शेयरों पर ऋण वर्जित

17. (1) कोई भी एनबीएफसी अपने शेयरों पर ऋण नहीं देगी।

(2) इन निदेशों के लागू होने की तारीख को किसी एनबीएफसी द्वारा उसके शेयरों पर दिए गए ऋण की बकाया राशि को चुकौती अनुसूची के अनुसार एनबीएफसी द्वारा वसूला जाएगा।

³¹ 30 दिसम्बर 2011 की अधिसूचना डीएनबीएस.पीडी.सं:240/सीजीएम(यूएस)-2011 द्वारा जोडा गया

³²17ए “एकल उत्पाद के जमानत पर ऋण प्रदान करना- स्वर्ण आभूषण”

ए. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को

- i. ³³स्वर्ण आभूषण की संपार्श्विक जमानत के बदले स्वीकृत ऋण के लिए एलटीवी अनुपात 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए”

बशर्ते अधिकतम अनुमत ऋण राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से आभूषणों का मूल्य केवल उसमें निहित स्वर्ण के आंतरिक मूल्य पर निर्धारित किया जाए तथा इसमें अन्य लागत घटकों को शामिल नहीं किया जाए। निदेश के पैराग्राफ 17 सी (1) में निहित के अनुसार सोने की आंतरिक मूल्य की गणना की जाए।”

- ii. अपने तुलन पत्र के कुल परिसंपत्ति में ऐसे ऋणों के प्रतिशत का उल्लेख करना होगा।

बी. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बुलियन/अपरिष्कृत सोना (प्राइमरी गोल्ड) तथा सोने के सिक्कों के बदले कोई ऋण मंजूर नहीं करेंगी। ³⁴अपरिष्कृत सोना (प्राइमरी गोल्ड), स्वर्ण बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, सोने के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की इकाइयों (ईटीएफ) और सोना म्युचुअल फंड की यूनिटों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए एनबीएफसी द्वारा कोई अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा।

³⁵ “स्वर्ण के स्वामित्व का सत्यापन

17बी. अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया था कि स्वर्ण आभूषणों के स्वामित्व के प्रति संतुष्टि के लिए एनबीएफसी बोर्ड से अनुमोदित नीति लागू करें तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित केवाईसी दिशानिदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये और ग्राहक बनाते समय उचित सावधानी रखे। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि उधारकर्ता द्वारा एक बार अथवा संचयी तौर पर 20 ग्राम से अधिक स्वर्ण आभूषणों को गिरवी रखकर ऋण लेने के मामले में, एनबीएफसी को आभूषणों के स्वामित्व का सत्यापन कर उसे अपने अभिलेख में रख होगा। स्वामित्व के सत्यापन की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा मंजूर नीति के तहत बनाया जाए।” ³⁶ गिरवी रखे आभूषणों के स्वामित्व का सत्यापन के लिए मूल रसीद की आवश्यकता नहीं है किंतु एक उचित दस्तावेज़ बनाना होगा जिससे स्वामित्व निर्धारित हो सके, विशेषकर जहां उधारकर्ता द्वारा एक बार अथवा संचयी तौर पर 20 ग्राम से अधिक स्वर्ण आभूषणों को गिरवी रखकर ऋण लेने के एक और प्रत्येक मामले में। एनबीएफसी को इस संबंध में अपने बोर्ड से अनुमोदित समग्र ऋण नीति पर स्पष्ट नीति निदेश रखना होगा।

³² 21 मार्च 2012 की अधिसूचना डीएनबीएस.पीडी.सं:241/सीजीएम(यूएस)-2011 द्वारा जोड़ा गया

³³ [8 जनवरी 2014 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि\(नीप्र\)270/पीसीजीएम\(एनएसवी\)2014](#) द्वारा प्रतिस्थापित।

³⁴ [27 मई 2013 का डीएनबीएस.सीसी.पीडी.सं.326/03.10.01/2012-13](#) द्वारा जोड़ा गया।

³⁵ 16 सितम्बर 2013 की अधिसूचना सं.264 गैबैंपवि.नीप्र द्वारा जोड़ा गया।

³⁶ [8 जनवरी 2014 की अधिसूचना सं.270/गैबैंपवि.नीप्र](#) द्वारा प्रतिस्थापित।

“गिरवी के रूप रखे गए स्वर्ण मूल्य का मानकीकरण - एलटीवी अनुपात की गणना करने के लिए

17सी (1). गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा गिरवी के रूप में रखे गए स्वर्ण आभूषणों मूल्य निम्नलिखित पद्धति से निकाला जाए

- i. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा गिरवी के रूप में रखे गए स्वर्ण आभूषणों का मूल्य निर्धारण बंबई बुलियन एसोसिएशन लिमिटेड (बीबीए) द्वारा 22 कैरेट सोने के लिए पूर्व के 30 दिनों की क्लोजिंग कीमत का औसत होगा।
- ii. यदि सोने की शुद्धता 22 कैरेट से कम होती है तो एनबीएफसी को इसे 22 कैरेट की कीमत के समान इसका रूपांतरण करना होगा और सोने का सही वजन बताना होगा। अन्य शब्दों में, कम शुद्धता वाले स्वर्ण आभूषणों की कीमत अनुपात में तय करना होगा।

गिरवी के रूप में सोने को स्वीकार करते समय, एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ता को अपने पत्र शीर्ष में सोने की परख, शुद्धता (कैरेट के रूप में) तथा वजन के संबंध में प्रमाण पत्र देना होगा।³⁷ [एनबीएफसी को मोचन पर विवाद से स्वयं की रक्षा के लिए चेतावनी को शामिल करना होगा, परंतु शुद्धता का प्रमाणपत्र अधिकतम अनुमत ऋण राशि तथा नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य दोनों के निर्धारण के लिए लागू होगा।”]

(2) नीलामी

ए. गिरवी रखे गये स्वर्ण आभूषणों की नीलामी उसी शहर अथवा तालुका में आयोजित की जाए जिस शहर अथवा तालुका में ऋण देने वाली शाखा अवस्थित है।

बी. स्वर्ण की नीलामी करते समय एनबीएफसी को गिरवी रखे गए आभूषणों के आरक्षित मूल्य की घोषणा करना होगा। गिरवी रखे गये स्वर्ण आभूषणों की आरक्षित मूल्य बंबई बुलियन एसोसिएशन लिमिटेड (बीबीए) द्वारा 22 कैरेट सोने के लिए पूर्व के 30 दिनों की क्लोजिंग कीमत के 85% से कम नहीं होना चाहिए तथा कैरेट के संबंध में कम शुद्धता वाले आभूषणों के मूल्य को अनुपात में कम किया जाए।

सी. एनबीएफसी के लिए यह अनिवार्य होगा कि नीलामी से प्राप्त मूल्य तथा बकाया अतिदेय का पूर्ण विवरण देना होगा तथा समायोजन करने पर यदि कोई राशि ऋण से अधिक और उपर होती है तो उसका भुगतान उधारकर्ता को करना होगा।

डी. एनबीएफसी को अपने वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण खातों की संख्या, बकाया राशि, मूल्य प्राप्ति तथा नीलामी में क्या उसकी किसी सहायक कंपनी ने भाग लिया था आदि सहित किये गये नीलामी का विवरण के संबंध में घोषणा अनिवार्य रूप से करना होगा।“

³⁷ [8 जनवरी 2014 की अधिसूचना सं.270 गैबेंपवि.नीप्र](#) द्वारा शामिल किया गया।

“स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋण देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपनायी जाने वाली सुरक्षा और सुरक्षा उपाय

17 डी (1). स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋण देने का कारोबार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इनकी प्रत्येक शाखाओं में जहां स्वर्ण जमानत स्वीकार की जाती है वहां सुरक्षित तिजोरी तथा कार्यशील डिपाजिट वॉल्ट के प्रति पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सहित आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह उधारकर्ताओं के लिए सुविधा तथा जमानत के रूप में स्वीकृत स्वर्ण के लिए सुरक्षा होगा।

(2). स्वर्ण आभूषणों की पर्याप्त सुरक्षा तथा तिजोरी सहित स्टोरेज व्यवस्था के बिना कोई नई शाखा/एं नही खोली जाएंगी।”

“संख्या में एक हजार से अधिक शाखाएं खोलने के लिए

17 ई. एनबीएफसी के लिए 1000 से अधिक शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। तथापि पहले से ही 1000 से अधिक शाखाओं वाली एनबीएफसी को अतिरिक्त शाखा विस्तार के लिए बैंक से पूर्व अनुमति लेना होगा। इसके अतिरिक्त गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों के लिए न्यूनतम सुरक्षा सुविधा तथा स्वर्ण आभूषणों के लिए स्टोरेज सुविधा के बिना किसी नई शाखा को खोलने की अनुमति नहीं है।”

ऋण/निवेश का संकेंद्रण

18. (1) 1 अप्रैल, 2007 को और उस तारीख से संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेनेवाली कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

(i) निम्नलिखित को ऋण नहीं देगी:

- (ए) किसी एक उधारकर्ता को अपनी स्वाधिकृत निधि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक; तथा
 - (बी) किसी एक उधारकर्ता समूह को अपनी स्वाधिकृत निधि के पचीस प्रतिशत से अधिक;
- (ii) निम्नलिखित निवेश नहीं करेगी:

- (ए) अन्य कंपनी के शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक; और
- (बी) एक समूह की कंपनियों के शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के पचीस प्रतिशत से अधिक;

(iii) निम्नलिखित से अधिक ऋण नहीं देगी और निवेश नहीं करेगी (ऋण/निवेश मिलाकर)

(ए) किसी एक पार्टी को अपनी स्वाधिकृत निधि के पचीस प्रतिशत से; और

(बी) किसी एक समूह की कंपनियों को अपनी स्वाधिकृत निधि के चालीस प्रतिशत से।

बशर्ते अन्य कंपनी के शेयरों में निवेश के संबंध में उक्त अधितम सीमा संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेनेवाली किसी एनबीएफसी पर उस सीमा तक लागू नहीं होगी जिस सीमा तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, लिखित रूप में, विशेष रूप से बीमा कंपनी की ईक्विटी पूंजी में निवेश के संबंध में अनुमति दी गई हो।

बशर्ते यह और भी कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिसंपत्ति वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत जमाराशि न लेनेवाली संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण कोई एनबीएफसी, आपवादिक परिस्थितियों में, किसी एक पार्टी

या पार्टियों के एक समूह के लिए ऋण/निवेश संकेंद्रण के संबंध में उपर्युक्त अधिकतम सीमा को, अपने बोर्ड के अनुमोदन से, अपनी स्वाधिकृत निधि के 5 प्रतिशत तक पार कर सकती है।

³⁸बशर्ते यह और भी कि संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा राशि न लेनेवाली कोई गैर-वित्तीय कंपनी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, जो सार्वजनिक निधियां स्वीकार नहीं करती है, निर्धारित उच्चतम सीमा में आशोधन के लिए बैंक को आवेदन दे सकती है।

स्पष्टीकरण इस परंतुक के प्रयोजन से 'सार्वजनिक निधि' में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सार्वजनिक जमाराशियों, वाणिज्य पत्रों, डिबेंचरों, अंतर-कंपनी जमाराशियों तथा बैंक वित्त के माध्यम से जुटाई गई निधियां शामिल होंगी।

(2) संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेनेवाली प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी एकल पार्टी/पार्टियों के एकल समूह के प्रति ऋण जोखिम के बारे में एक नीति तैयार करेगी।

(3) ³⁹ एनओएफएचसी द्वारा धारित एनबीएफसी को

- i. प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह संस्थान अथवा प्रवर्तक समूह के साथ व्यक्तिगत संबद्ध अथवा एनओएफएचसी के किसी एक्सपोजर (इक्विटी में निवेश/डेट पूंजी लिखत सहित निवेश तथा क्रेडिट) में भाग लेना नहीं है।
- ii. एनओएफएचसी के तहत किसी वित्तीय संस्था के इक्विटी/डेट पूंजी लिखत में निवेश नहीं करना है।
- iii. अन्य एनओएफएचसी के इक्विटी लिखतों में निवेश नहीं करना है।

स्पष्टीकरण: इस पैराग्राफ में अभिव्यक्त 'प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह के लिए प्रयोजनों का अर्थ, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश" के अनुबंध-1 में निहित उस अभिप्राय में उन लोगो के लिए निर्दिष्ट अर्थ से है।

टिप्पणी

- (1) उपर्युक्त सीमाओं के निर्धारण के लिए, तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर को पैराग्राफ 16 में स्पष्ट किए गए परिवर्तन कारकों का इस्तेमाल करते हुए ऋण जोखिम में बदल दिया जाएगा।
- (2) इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए डिबेंचरों में किए गए निवेश को ऋण के रूप में माना जाएगा, न कि निवेश के रूप में।
- (3) ऋण/निवेश से संबंधित ये अधिकतम सीमाएं स्वयं की एनबीएफसी समूह तथा अन्य उधारकर्ताओं/निवेशिनी कंपनी के समूह पर लागू होगी।

निदेशकों, लेखा परीक्षकों आदि के पता में परिवर्तन संबंधी सूचना की प्रस्तुति

³⁸ 09जुलाई 2010 की अधिसूचना सं.डीएनबीएस (पीडी)214/सीजीएम(युएस)-2010 द्वारा जोड़ा गया

³⁹ 7अप्रैल 2014 की अधिसूचना सं.गैबैपवि(नीप्र)274/सीजीएम(एनएसवी)-2014 द्वारा जोड़ा गया।

19. सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार/धारण न करनेवाली प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी निम्नलिखित में किसी प्रकार का परिवर्तन होने की सूचना एक माह के भीतर देगी:

- (ए) पंजीकृत/कंपनी (कापरेट) कार्यालय के डाक का पूरा पता, टेलीफोन नं. तथा फैक्स नंबर;
- (बी) कंपनी के निदेशकों के नाम तथा आवासीय पते;
- (सी) उसके प्रधान अधिकारियों के नाम एवं पदनाम;
- (डी) कंपनी के लेखा परीक्षकों के नाम तथा उनके कार्यालय के पते;
- (ई) कंपनी की ओर हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षरों के नमूने।

यह सूचना वह भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को देगी, जैसा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमा राशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 की द्वितीय अनुसूची में बताया गया है।

⁴⁰ अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) वित्त कंपनी के लिए अपेक्षाएं-

19ए. एक "अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) वित्त कंपनी"

- (i) जनता से जमा राशियाँ स्वीकार नहीं करेगी;
- (ii) के पास निवल स्वाधिकृत निधियाँ 300 करोड़ रुपए या अधिक होंगी;
- ⁴¹(iii) की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग "ए" या क्रिसिल, फिच, केयर, इक्रा, ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिकवर्क) या समतुल्य रेटिंग अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अन्य मान्यताप्राप्त रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त समतुल्य रेटिंग होगे;
- (iv) की जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) 15% होगा (जिसमें से न्यूनतम 10 % बिन्दु टियर 1 पूंजी से होगी)।]

मूलभूत संरचना ऋण से संबंधित मानदण्ड

20. (1) इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित ऋण और निवेश के लिए एक्सपोजर सीमा बढ़ाया जाना

संपूर्ण की प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण एनबीएफसी इन निदेशों के पैरा 18 के प्रावधान के अनुसार ऋण/निवेश मानदंडों के केंद्रीकरण को एक पार्टी के लिए 5 प्रतिशत और पार्टियों के एक समूह के लिए 10 प्रतिशत की सीमा तक पार कर सकती है, यदि अतिरिक्त एक्सपोजर मूलभूत संरचना ऋण और/अथवा निवेश के कारण हो।

⁴² (1ए) अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) वित्त कंपनियाँ उक्त निदेश के पैरा 18 में वर्णित क्रेडिट मानदण्डों के संक्रेदन को निम्न सीमा तक पार कर सकती हैं :

- (i) ऋण देने के संबंध में
 - (ए) किसी एक उधारकर्ता को अपनी स्वाधिकृत निधियों के दस प्रतिशत बिन्दु तक; तथा
 - (बी) किसी एक उधारकर्ता समूह को अपनी स्वाधिकृत निधियों के पंद्रह प्रतिशत बिन्दु तक;
- (ii) ऋण देने और निवेश करने (ऋण/निवेश मिलाकर) के संबंध में
 - (ए) किसी एक पार्टी को अपनी स्वाधिकृत निधियों के पांच प्रतिशत बिन्दु तक; और

⁴⁰ [12 फरवरी 2010 की अधिसूचना सं. गैबैपवि.213/सीजीएम\(एएसआर\)2010](#) द्वारा जोड़ा गया।

⁴¹ [11 मई 2012 की अधिसूचना डीएनबीएस\(पीडी\)244/सीजीएम\(यूएस\)-2012](#) द्वारा जोड़ा गया।

⁴² [12 फरवरी 2012 की अधिसूचना सं. गैबैपवि\(नीप्र\)213/सीजीएम\(एएसआर\)2010](#) द्वारा जोड़ा गया।

(बी) पार्टियों के एक समूह को अपनी स्वाधिकृत निधियों के दस प्रतिशत बिन्दु तक;]

(13) एएए रेटिंग वाले प्रतिभूतिकृत पेपर में निवेश के लिए जोखिम भार

मूलभूत संरचना सुविधा से संबंधित "एएए" रेटिंग वाले प्रतिभूतिकृत पेपर में निवेश पर पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए 50 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाएगा जिसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

- (i) मूलभूत संरचना सुविधा से आय नकदी पैदा होती है, जो प्रतिभूतिकृत पेपर की सर्विसिंग/चुकोती सुनिश्चित करती है;
- (ii) अनुमोदित ऋण साख एजेंसियों में से किसी एक द्वारा दी गई रेटिंग चालू और वैध है।

स्पष्टीकरण

जिस रेटिंग पर भरोसा किया गया है वह मौजूदा और वैध समझी जानी चाहिए, यदि रेटिंग निर्गम के खुलने की तारीख से एक महीने से अधिक समय की नहीं है, और रेटिंग एजेंसी से रेटिंग का औचित्य निर्गम खुलने की तारीख से एक वर्ष से अधिक का नहीं है, और रेटिंग पत्र तथा रेटिंग औचित्य दोनों प्रस्ताव दस्तावेज का हिस्सा हों।

- (iii) द्वितीयक बाजार अभिग्रहण के मामले में निर्गम में, एएए रेटिंग लागू है और संबंधित रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन से उसकी पुष्टि की जाती है।
- (iv) प्रतिभूतिकृत पेपर एक अर्जक परिसंपत्ति है।

⁴³(3) पीपीपी और पोस्ट वाणिज्यिक परिचालन तारीख (सीओडी) परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्तियां के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों का जोखिम भार 50 प्रतिशत होगा, जिन्होंने न्यूनतम एक वर्ष का संतोषजनक वाणिज्यिक परिचालन पूरा कर लिया हो।”

" गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भागीदारी फर्म में भागीदार नहीं बनना "

20 ए. ⁴⁴(1) कोई भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भागीदारी फर्म में पूंजी अंशदान नहीं करेगी अथवा ऐसे फर्म में भागीदार नहीं बनेगी.

(2) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो पहले से ही भागीदारी फर्म में पूंजी अंशदान किया है अथवा भागीदारी फर्म का भागीदार है, वे भागीदारी फर्म से शीघ्र निकासी करें।

(3) ⁴⁵ इस संबंध में इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया जाता है कि;

(ए) उपर्युक्त भागीदारी फर्म में सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) भी शामिल है।

(बी) इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त प्रतिबंध व्यक्तियों के एसोसिएशन के लिए भी लागू हैं; क्योंकि इनकी प्रकृति भागीदारी फर्म के समान है।

⁴³ 30 मई 2012 की अधिसूचना सं:डीएनबीएस(पीडी)246/सीजीएम(यूएस) द्वारा जोड़ा गया

⁴⁴ 30 मार्च 2011 की अधिसूचना सं: डीएनबीएस 228/सीजीएम (यूएस)2011 द्वारा जोड़ा गया

⁴⁵ 11 जून 2013 की अधिसूचना सं:डीएनबीएस(पीडी) 256/सीजीएम(सीआरएस)2013 द्वारा जोड़ा गया

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जो पहले से एलएलपी/व्यक्तियों के एसोसिएशन में पूंजी का अंशदान कर चुकी हैं अथवा एलएलपी/व्यक्तियों के एसोसिएशन की भागीदार हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि एलएलपी/व्यक्तियों के एसोसिएशन से शीघ्र निकासी करें।

46“अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए मानदंड”

“20बी. एनबीएफसी द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए मानदंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए संशोधित तथा अनुबंध- 2 में विनिर्दिष्ट नियमों के तर्ज पर किया जाएगा।”

छूट

21. भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि किसी कठिनाई को टालने अथवा किसी अन्य उचित एवं पर्याप्त कारण से ऐसा आवश्यक समझता है, तो वह किसी एनबीएफसी अथवा एनबीएफसी की श्रेणी को इन निदेशों के सभी अथवा किसी प्रावधान के अनुपालन के लिए और समय प्रदान कर सकता है अथवा या तो सामान्य रूप से या किसी विशिष्ट अवधि के लिए छूट दे सकता है, जो उन शर्तों के अधीन होगा जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक उन पर लगाए।

व्याख्या

22. इन निदेशों के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजन से, भारतीय रिज़र्व बैंक यदि आवश्यक समझता है, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के बारे में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी प्रावधान की दी गई व्याख्या अंतिम होगी और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगी।

निरसन और छूट

23. (1) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 इन निदेशों द्वारा निरसित माना जाएगा।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उप-खंड (1) में निदेशों के अंतर्गत जारी कोई परिपत्र, अनुदेश, आदेश एनबीएफसी उसी प्रकार से लागू रहेंगे जैसे वे ऐसे निरसन से पहले ऐसी कंपनियों पर लागू होते थे।

“शाखा सूचना/ब्रांच इंफो” की प्रस्तुति

24. ⁴⁷“प्रभावी 30 जून 2013 से, रु 50 करोड़ से अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनुबंध में उपलब्ध विनिर्दिष्ट फार्मेट में प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर तथा 31 दिसम्बर से संबंधित तिमाही की समाप्ति के 10 दिनों के अंदर शाखा सूचना/ब्रांच इंफो पर तिमाही विवरणी भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत करना होगा जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गैर

⁴⁶ 23 जनवरी 2014 की अधिसूचना सं.गैबैपवि(नीप्र)सं.272 द्वारा जोड़ा गया।

⁴⁷ 03 सितम्बर 2013 की अधिसूचना सं.गैबैपवि(नीप्र):262/2013-14 द्वारा जोड़ा गया।

बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 की दूसरी सूची के अनुसार कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अवस्थित है। विवरणी को <https://cosmos.rbi.org.in> पर उपलब्ध फार्मेट में ऑन लाइन प्रस्तुत किया जाए।

(ii) “शाखा सूचना/ब्रांच इंफो” विवरणी का फार्मेट अनुबंध II में दिया गया है।

(वी. लीलाधर)

उप गवर्नर

जमा न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
के तुलन-पत्र की अनुसूची
(गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकरण या धारण)
कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक)
निदेश, 2007 के पैरा 13 के अनुसार अपेक्षित)

(लाख रुपए में)

| ब्योरे | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| देयताएं पक्ष | | |
| 1 | <p>गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम जिनमें इन पर उपचित पर न चुकाया गया ब्याज शामिल है:</p> <p>(क) डिबेंचर जमानती गैर-जमानती (जनता की जमाराशि* की परिभाषा से बाहर)</p> <p>(ख) आस्थगित ऋण</p> <p>(ग) मीयादी ऋण</p> <p>(घ) अंतर-कंपनी ऋण और उधार</p> <p>(ड.) वाणिज्यिक पत्र</p> <p>(च) अन्य ऋण (उनका स्वरूप बताएं)</p> <p>* कृपया नीचे का नोट 1 देखें</p> | <p>बकाया राशि</p> <p>अतिदेय राशि</p> |
| परिसंपत्तियां पक्ष | | |
| | | बकाया राशि |
| (2) | <p>प्राप्य बिलों-सहित ऋणों और अग्रिमों का अलग-अलग विवरण [नीचे (4) में शामिल के अलावा]-</p> <p>(क) जमानती</p> <p>(ख) गैर-जमानती</p> | |
| (3) | <p>एएफसी गतिविधियों के लिए गणना की जानेवाली पट्टेवाली परिसंपत्तियों तथा किराये पर स्टाक और अन्य परिसंपत्तियों का अलग-अलग विवरण</p> <p>(i) विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टा किराया समेत पट्टा परिसंपत्तियां</p> <p>(क) वित्तीय पट्टे</p> <p>(ख) परिचालन पट्टे</p> <p>(ii) विविध देनदारों के अंतर्गत किराया प्रभार समेत किराए पर स्टाक</p> <p>(क) किराए पर परिसंपत्तियां</p> | |

| | | |
|-----|--|--|
| | <p>(ख) पुनःधारित परिसंपत्तियां</p> <p>(iii) एएफसी गतिविधियों के लिए गणना किए जानेवाले अन्य ऋण</p> <p>(क) ऐसे ऋण जिनमें परिसंपत्तियां पुनः धारित की गईं</p> <p>(ख) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त ऋण</p> | |
| (4) | <p>निवेशों का अलग-अलग ब्योरा</p> <p>चालू निवेश</p> <p>1. <u>उद्धृत (कोटेड)</u></p> <p>(i) शेयर (क) इक्विटी (ख) अधिमान</p> <p>(ii) डिबेंचर और बांड</p> <p>म्यूचुअल फंडों की यूनितें सरकारी प्रतिभूतियां अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।)</p> <p>2. <u>अनुद्धृत (अनकोटेड)</u></p> <p>(i) शेयर (क) इक्विटी (ख) अधिमान</p> <p>(ii) डिबेंचर और बांड</p> <p>म्यूचुअल फंडों की यूनितें सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।)</p> | |
| | <p>दीर्घावधि निवेश</p> <p>1. <u>उद्धृत (कोटेड)</u></p> <p>(i) शेयर (क) इक्विटी (ख) अधिमान</p> <p>(ii) डिबेंचर और बांड</p> <p>म्यूचुअल फंडों की यूनितें सरकारी प्रतिभूतियां अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।)</p> <p>2. <u>अनुद्धृत (अनकोटेड)</u></p> <p>(i) शेयर (क) इक्विटी (ख) अधिमान</p> <p>(ii) डिबेंचर और बांड</p> <p>म्यूचुअल फंडों की यूनितें सरकारी प्रतिभूतियां अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।)</p> | |

| | | | | |
|-----|--|--|----------------------------|-----|
| (5) | उपर्युक्त (2) एवं (3) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूहवार वर्गीकरण कृपया नीचे का नोट 2 देखें | | | |
| | श्रेणी | राशि - प्रावधानों को घटाकर | | |
| | | जमानती | गैर-जमानती | कुल |
| | 1. संबंधित पक्ष ** | | | |
| | (क) सहायक कंपनियां | | | |
| | (ख) उसी समूह की कंपनियां | | | |
| | (ग) अन्य संबंधित पक्ष | | | |
| | 2. संबंधित पक्ष के अलावा अन्य | | | |
| | कुल | | | |
| 6. | शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों) में किए गए समस्त निवेशों (चालू और दीर्घावधि) का निवेशक समूहवार वर्गीकरण कृपया नीचे का नोट 3 देखें | | | |
| | श्रेणी | बाजार मूल्य/अलग-अलग या उचित मूल्य या निवल परिसंपत्ति मूल्य | बही मूल्य (प्रावधान घटाकर) | |
| | 1. संबंधित पक्ष ** | | | |
| | (क) सहायक कंपनियां | | | |
| | (ख) उसी समूह की कंपनियां | | | |
| | (ग) अन्य संबंधित पक्ष | | | |
| | 2. संबंधित पक्ष के अलावा अन्य | | | |
| | कुल | | | |

** आइसीएआइ के लेखा मानक के अनुसार (कृपया नोट 3 देखें)

7. अन्य जानकारी

| ब्योरा | राशि |
|--|------|
| (i) सकल अनर्जक परिसंपत्तियां | |
| (क) संबंधित पक्ष | |
| (ख) संबंधित पक्ष के अलावा अन्य | |
| (ii) निवल अनर्जक परिसंपत्तियां | |
| (क) संबंधित पक्ष | |
| (ख) संबंधित पक्ष के अलावा अन्य | |
| (iii) ऋण की संतुष्टि में / की पूर्ति हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियां | |

नोट

1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशियां स्वीकार्यता (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के पैरा 2(1)(xii) में यथापरिभाषित।
2. गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमा राशि स्वीकरण या धारण न करनेवाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 में यथा निर्धारित प्रावधान मानदंड लागू होंगे।
3. निवेश तथा अन्य परिसंपत्तियों के साथ-साथ ऋण की संतुष्टि में /की पूर्ति हेतु अधिगृहीत अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यांकन-सहित सभी पर आइसीएआइ द्वारा जारी सभी लेखा मानक और निर्देश नोट लागू होंगे। फिर भी, उद्धृत निवेशों के संबंध में बाजार मूल्यों और अनुद्धत निवेशों के अलग-अलग/उचित मूल्य/निवल परिसंपत्ति मूल्यों का खुलासा किया जाना चाहिए, भले ही उपर्युक्त (4) में इन्हें दीर्घावधि या चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।

Xxx

| एनबीएफसी शाखा संसूचना | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|------------|------|------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|
| मान्य फार्म | | | | | एडिट फार्म | | | | |
| शाखा जोड़े | | | शाखा हटाये | | | | | | |
| कंपनी का नाम | | कंपनी कूट संख्या (जैसा भारिबैं द्वारा दिया गया है) | | | | | | | |
| क्रम | शाखा नाम | शाखा पता | शहर | जिला | राज्य | खोलने की तारीख (दि/माह/वर्ष) | बंद करने की तारीख | सार्वजनिक जमाराशि(*) रु लाख में | रिमार्क |
| | | | | | | | | | |

निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित दिशानिर्देश

परिभाषाएं

I. प्रवर्तक

प्रवर्तक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो अपने रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में यथापरिभाषित) सहित, वोटिंग ईक्विटी शेयरों में अपने स्वामित्व के आधार पर एनओएफएचसी का प्रभावी नियंत्रण रखता है और इसमें, जहां भी लागू हो, वे सभी संस्थाएं शामिल हैं जो प्रवर्तक समूह का हिस्सा हैं।

II. प्रवर्तक समूह

‘प्रवर्तक समूह’ में शामिल हैं:

(i) प्रवर्तक

(ii) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में यथापरिभाषित प्रवर्तक के रिश्तेदार; और

(iii) यदि प्रवर्तक कोई कारपोरेट निकाय हो तो;

(ए) ऐसे कारपोरेट निकाय की सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी;

(बी) कोई भी कारपोरेट निकाय जिसमें प्रवर्तक ईक्विटी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत या उससे अधिक धारण करता है या जो प्रवर्तक की ईक्विटी शेयर पूंजी का 10% या उससे अधिक धारण करता हो;

(सी) ऐसा कोई कारपोरेट निकाय जिसमें व्यक्तियों का समूह या कंपनियां या उन दोनों का मिश्रण उस कारपोरेट निकाय में 20 प्रतिशत या उससे अधिक ईक्विटी शेयर पूंजी धारण करता हो तथा प्रवर्तक की ईक्विटी शेयर पूंजी का भी 20 प्रतिशत या उससे अधिक धारण करता है;

(डी) प्रवर्तक के साथ संयुक्त उद्यम (एएस 23 के अनुसार यथापरिभाषित);

(ई) प्रवर्तक का सहयोगी (एएस 27 के अनुसार यथापरिभाषित);

(एफ) प्रवर्तक से संबंधित पक्ष (एएस 18 के अनुसार यथापरिभाषित); और

(iv) यदि प्रवर्तक कोई व्यक्ति हो तो:

(ए) कोई कारपोरेट निकाय जिसमें ईक्विटी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत या अधिक प्रवर्तक द्वारा या प्रवर्तक के किसी रिश्तेदार द्वारा या किसी फर्म द्वारा या हिन्दू अविभक्त परिवार द्वारा जिसमें प्रवर्तक या उसके निकट रिश्तेदारों में से एक या एक से अधिक सदस्य हों, धारण किया जाता है।

(बी) कोई कारपोरेट निकाय जिसमें उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट कारपोरेट निकाय ईक्विटी शेयर पूंजी का दस प्रतिशत या उससे अधिक धारण करता है।

(सी) कोई हिन्दू अविभक्त परिवार या फर्म जिसमें प्रवर्तक और उसके निकट संबंधियों की समग्र शेयरधारिता कुल शेयरधारिता के दस प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है; और

(v) सभी व्यक्ति जिनकी शेयरधारिता प्रोस्पेक्टस में 'प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता' शीर्ष के अंतर्गत प्रकट करने के उद्देश्य से समेकित की जाती है।

(vi) जहां प्रवर्तक एक कारपोरेटर निकाय है वहां क, ख, ग, घ, ङ, च में और जहां प्रवर्तक कोई व्यक्ति है वहां क, ख, ग में उल्लिखित हस्तियों के साथ समान ब्रांड नाम वाली संस्थाएं;

बशर्ते किसी वित्तीय संस्था, अनुसूचित बैंक, विदेशी संस्थागत निवेशक या म्यूचुअल फंड को केवल इस तथ्य के कारण प्रवर्तक समूह नहीं माना जाएगा कि इस प्रकार की संस्था द्वारा प्रवर्तक की ईक्विटी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत या उससे अधिक धारण किया गया है।

एनबीएफसी द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर मानदंड

1. यह विवेकपूर्ण मानदंड सीडीआर पद्धति के तहत उन सभी पर सहित सभी पुनर्रचना पर लागू होगी। सीडीआर पद्धति और एसएमई कर्ज पुनर्रचना के लिए संस्थागत/संगठनात्मक संरचना, बैंकों पर लागू 1 जुलाई 2013 का डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.1/21.04.048/2013-14 के अनुबंध 4 के अनुसार लागू होंगे। यह अनुबंध -3 में दिया गया है।

2. प्रमुख अवधारणाएं

इन मानदंडों में प्रयोग की गई प्रमुख अवधारणाएं अनुबंध -2 में वर्णित हैं।

3. कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं

3.1 एनबीएफसी द्वारा वित्त पोषित सभी परियोजनाओं के लिए, परियोजना की वित्तीय पूर्णता के समय परियोजना की 'समाप्ति की तारीख' तथा ' वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तारीख (डीसीसीओ)' को स्पष्ट रूप से अलग उल्लेख होना चाहिए तथा इसे औपचारिक रूप से विलेखित किया जाना चाहिए। इसे ऋण मंजूर करते समय एनबीएफसी द्वारा मूल्यांकन नोट पर भी विलेखित किया जाना चाहिए।

3.2 परियोजना ऋण

विधिक और सरकारी अनुमोदन आदि में विलंब जैसे अन्य बाहरी कारणों से ऐसे कई मौके आते हैं जब परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब हो जाता है। इन सभी कारकों, जो प्रमोटरों के नियंत्रण के बाहर होते हैं, के चलते परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हो सकता है और साथ ही एनबीएफसी द्वारा ऋण को पुनर्रचित एवं पुनर्व्यवस्थित भी किया जा सकता है। तदनुसार, निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना ऋण के लिए आस्ति वर्गीकरण संबंधी मानदंडों में संशोधन वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने से पहले किया जाए।

इस प्रयोजन से सभी परियोजना ऋणों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा गया है

ए. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण

बी. गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण

इन निदेशों के उद्देश्य के लिए 'परियोजना ऋण' का तात्पर्य है ऐसा कोई मीयादी ऋण जो कोई आर्थिक उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार है।

3.3. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण

(i) किसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के ऋण को वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ होने से पहले वसूली के रिकार्ड के अनुसार किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि निम्नलिखित पैरा (iii) से (v) के अनुसार उसे पुनर्चित नहीं किया जाता और वह 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र नहीं हो जाता।

(ii) किसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि वह वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्ष के भीतर वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ नहीं कर पाता है भले ही वह वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित हो और जब तक कि नम्नलिखित पैरा (iii) से (v) के अनुसार पुनर्चित नहीं किया जाता और वह 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र नहीं हो जाता।

(iii) यदि 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किसी ऋण को आईआरएसी मानदंडों पर वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि (डीसीसीओ) से दो वर्ष के भीतर पुनर्चित किया जाता है तो उसे मानक आस्ति के रूप में बनाए रखा जा सकता है यदि वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि निम्नलिखित सीमाओं के भीतर निर्धारित की जाती है और इसके अलावा यदि पुनर्चित शर्तों के अनुसार खाते में ब्याज का भुगतान किया जाता रहा हो।

(ए) न्यायिक मामलों वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं

यदि उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि में बढ़ोतरी का कारण मध्यस्थता संबंधी कार्यवाही अथवा न्यायिक मामला हो तो अगले 2 वर्ष तक (पैरा 3.3.ii. में विनिर्दिष्ट के अनुसार समय सीमा में 2 वर्ष की मौजूदा वृद्धि के बाद अर्थात् कुल 4 वर्ष की समय वृद्धि)

(बी) प्रमोटरों के नियंत्रण से बाहर के कारणों से इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में हुआ विलंब

न्यायिक मामलों से इतर मामलों में 1 वर्ष तक (पैरा 3.3.(ii) में विनिर्दिष्ट के अनुसार समय सीमा में 2 वर्ष की मौजूदा बढ़ोतरी के बाद 1 वर्ष अर्थात् कुल 3 वर्ष की समय वृद्धि)

(iv) यह बात दोहराई जाती है कि उपर्युक्त पैरा 3.3. (ii) के अंतर्गत दी गयी छूट तभी लागू होगी जब आईआरएसी मानदंडों पर खातों की पुनर्चना से संबंधित उपबंधों का अनुपालन किया गया हो जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षा की गयी है कि पुनर्चना के लिए आवेदन वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्ष की समय सीमा समाप्त होने से पहले प्राप्त किया गया हो और खाता वसूली के रिकॉर्ड के अनुसार अभी भी मानक बना हुआ हो। अन्य लागू होने वाली शर्तें निम्नलिखित होंगी:

(ए) जिन मामलों में ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन लगाया गया हो उनमें एनबीएफसी को ऐसे पुनर्चित खातों से जुड़े उच्च जोखिम पर विचार करते हुए वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्ष से अधिक समय के बाद उपचित आधार पर आय दर्ज नहीं करनी चाहिए।

(बी) एनबीएफसी को ऐसे खातों के लिए उचित मूल्य में हास के प्रावधान के अतिरिक्त जब तक उन्हें मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत रखा जाता है, निम्नानुसार प्रावधान बनाए रखना चाहिए:

(v) यदि संशोधित डीसीसीओ, मूल डीसीसीओ के दो वर्षों की अवधि के अंदर होता है तो इन निदेशों के प्रयोजन के लिए डीसीसीओ की विस्तार सीमा को पुनर्चना के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां समान अथवा अल्प कालावधि (संशोधित पुनर्भुगतान के प्रारंभ तारीख तथा समाप्ति तारीख को शामिल करते हुए) द्वारा पुनर्भुगतान अवधि में अनुवर्ती शिफ्ट, जिसका विस्तार डीसीसीओ तक हो, उसे भी पुनर्चना के लिए विचार नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि ऋण की सभी अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय हों। ऐसे परियोजना ऋण को सभी संदर्भों के लिए मानक आस्ति माना जाएगा तथा यह मानक आस्ति के 0.25 प्रतिशत के प्रावधान को आकृष्ट करेंगे।

(vi) कार्यान्वयन के अधीन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना मामलों में, जहां वांछित शर्तों को पूरा करने हेतु

| ब्योरा | प्रावधानीकरण आवश्यकताएं |
|--|---|
| यदि संशोधित डीसीसीओ वित्तीय पूर्णता के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ से दो वर्षों के भीतर हो तो | <ul style="list-style-type: none"> 0.25 प्रतिशत |
| यदि डीसीसीओ दो वर्षों से अधिक तथा चार वर्षों तक अथवा मूल डीसीसीओ से तीन वर्षों तक विस्तार होता है, ऐसे विलम्ब के लिए कारणों पर निर्भर, जैसा भी मामला हो; | <p>प्रभावी 24 जनवरी 2014 से परियोजना ऋण पुनर्चना:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.00 प्रतिशत – ऐसे पुनर्चना की तारीख से संशोधित डीसीसीओ तक अथवा पुनर्चना की तारीख के 2 वर्षों से, जो भी बाद में हो। <p>23 जनवरी 2014 को वर्गीकृत परियोजना ऋण के स्टॉक का पुनर्चना:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 2.75 प्रतिशत – प्रभावी 31 मार्च 2014 से * 3.50 प्रतिशत - प्रभावी 31 मार्च 2015 से (2014-15 के चार तिमाहियों में बांटा गया) * 4.25 प्रतिशत - प्रभावी 31 मार्च 2016 से (2015-16 के चार तिमाहियों में बांटा गया) * 5 प्रतिशत - प्रभावी 31 मार्च 2017 से (2016-17 के चार तिमाहियों में बांटा गया) <p>* उक्त प्रावधान पुनर्चना की तारीख से संशोधित डीसीसीओ तक अथवा पुनर्चना की तारीख के 2 वर्षों तक, दो भी बाद में हो, लागू होगी।</p> |

रियायत प्राधिकारी के आभाव में नियत तारीख (रियायत करार में विनिर्दिष्ट के अनुसार) को शिफ्ट किया गया, वाणिज्यिक परिचालन को प्रारंभ करने की तारीख (डीसीसीओ) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन "पुनर्चना" के रूप में विचार नहीं किया जाए:

(ए) सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी निजी सहभागिता के अधीन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना;

(बी) ऋण का संवितरण किया जाना शेष है;

(सी) उधारकर्ता तथा उधारदाता के बीच अनुपूरक करार द्वारा प्रलेख किया गया वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की संशोधित तारीख, तथा;

(डी) परियोजना व्यवहार्यता को पुनः मूल्यांकन किया गया तथा प्रतिपूरक करार के समय सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त की गई।

3.4. गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण (वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर को छोड़कर)

(i) किसी गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के ऋण को वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ के पहले वसूली के रिकार्ड के अनुसार किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि निम्नलिखित पैरा (iii) से (iv) के अनुसार उसे पुनर्चित नहीं किया जाता और वह 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र नहीं हो जाता।

(ii) किसी गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि वह वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से एक वर्ष के भीतर वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ नहीं कर पाता है भले ही वह वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित हो और जब तक कि उसे निम्नलिखित पैरा (iii) से (iv) के अनुसार पुनर्चित नहीं किया जाता और वह 'आस्ति मानक' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र नहीं हो जाता।

(iii) गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के मामले में यदि वाणिज्यिक परिचालनों को प्रारंभ करने में विलंब वित्तीय क्लोजर के समय तयशुदा परियोजना समाप्त करने की तिथि से एक वर्ष से अधिक होता है तो एनबीएफसी वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि तय कर सकते हैं और खातों की पुनर्चना करके 'मानक' वर्गीकरण बनाए रख सकते हैं बशर्ते वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्षों की अवधि से अधिक न हो। अन्य बातों के साथ इसका यह तात्पर्य होगा कि पुनर्चित करने का आवेदन वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से एक वर्ष का समय पूरा होने से पहले तथा जब वसूली के रिकॉर्ड के अनुसार खाता अभी भी 'मानक' हो तब प्राप्त हुआ है। नीचे दी गयी अन्य शर्तें भी लागू होंगी

अन्य लागू होने वाली शर्तें निम्नलिखित होंगी:

(ए) जिन मामलों में ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन लगाया गया हो उनमें एनबीएफसी को ऐसे पुनर्चित खातों से जुड़े उच्च जोखिम पर विचार करते हुए वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से एक वर्ष से अधिक समय के बाद उपचित आधार पर आय दर्ज नहीं करनी चाहिए।

(बी) एनबीएफसी को ऐसे खातों के लिए उचित मूल्य में हास के प्रावधान के अतिरिक्त जब तक उन्हें मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत रखा जाता है, निम्नानुसार प्रावधान बनाए रखना चाहिए:

| ब्योरा | प्रावधानीकरण आवश्यकताएं |
|--|---|
| यदि संशोधित डीसीसीओ वित्तीय पूर्णता के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ से एक वर्षों के भीतर हो तो | <ul style="list-style-type: none"> • 0.25 प्रतिशत |
| यदि डीसीसीओ एक वर्ष से अधिक तथा वित्तीय पूर्णता के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ से दो वर्षों तक विस्तार होता है | <p>प्रभावी 24 जनवरी 2014 से परियोजना ऋण पुनर्चना:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.00 प्रतिशत – पुनर्चना की तारीख से दो वर्षों के लिए <p>23 जनवरी 2014 को वर्गीकृत परियोजना ऋण के स्टॉक का पुनर्चना:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 2.75 प्रतिशत – प्रभावी 31 मार्च 2014 से * 3.50 प्रतिशत – प्रभावी 31 मार्च 2015 से (2014-15 के चार तिमाहियों में बांटा गया) * 4.25 प्रतिशत - प्रभावी 31 मार्च 2016 से (2015-16 के चार तिमाहियों में बांटा गया) * 5 प्रतिशत - प्रभावी 31 मार्च 2017 से (2016-17 के चार तिमाहियों में बांटा गया) <p>* उक्त प्रावधान पुनर्चना की तारीख से 2 वर्षों के लिए लागू होगा। .</p> |

(iv) यदि संशोधित डीसीसीओ, मूल डीसीसीओ के दो वर्षों की अवधि के अंदर होता है तो इन निदेशों के प्रयोजन के लिए डीसीसीओ की विस्तार सीमा को पुनर्चना के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे

मालों में जहां समान अथवा अल्प कालावधि (संशोधित पुनर्भुगतान के प्रारंभ तारीख तथा समाप्ति तारीख को शामिल करते हुए) द्वारा पुनर्भुगतान अवधि में अनुवर्ती शिफ्ट, जिसका विस्तार डीसीसीओ तक हो, उसे भी पुनर्चना के लिए विचार नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि ऋण की सभी अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय हो। ऐसे परियोजना ऋण को सभी संदर्भों के लिए मानक आस्ति माना जाएगा तथा यह मानक आस्ति के 0.25प्रतिशत के प्रावधान को आकृष्ट करेंगे।

3.5. अन्य मुद्दे

- (i) परियोजना के दायरे एवं आकार में वृद्धि के कारण परियोजना के परिव्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप किसी परियोजना ऋण के चुकौती कार्यक्रम में किसी परिवर्तन को पुनर्चना नहीं माना जाएगा यदि:
 - (ए) परियोजना के दायरे और आकार में वृद्धि मौजूदा परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने से पहले होती है।
 - (बी) मूल परियोजना की परिकल्पित लागत में किसी प्रकार की बढ़ोतरी को छोड़कर लागत में अन्य वृद्धि मूल परिव्यय के 25% अथवा उससे अधिक है।
 - (सी) एनबीएफसी परियोजना के दायरे में वृद्धि को अनुमोदित तथा वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि निर्धारित करने से पहले परियोजना की व्यावहारिकता का पुनर्मूल्यांकन करता है।
 - (डी) पुनः रेटिंग के उपरांत (यदि पहले रेटिंग की गयी हो) नयी रेटिंग पिछली रेटिंग से एक से अधिक श्रेणी कम न हो।
- (ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए परियोजना ऋण सीआरई परियोजनाओं के लिए डीसीसीओ की सीमा विस्तार को पुनर्चना के रूप में विचार नहीं किया जाएगा, यदि संशोधित डीसीसीओ, मूल डीसीसीओ से एक वर्ष की समय अवधि के भीतर है तथा पुनर्भुगतान समय में शिफ्ट की संभावना को छोड़कर, अन्य नियम और शर्तों में परिवर्तन नहीं हो और समान और अल्प कालावधि में ऋण सेवार्थ का उस अवधि के साथ तुलना जिसके लिए डीसीसीओ विस्तारित किया गया था। ऐसे सीआरई परियोजना ऋण को , मानक आस्ति पुनर्चना हेतु लागू उच्च प्रावधानीकरण को आकृष्ट किए बिना, इस उद्देश्य के लिए सभी संबंधित में मानक आस्ति माना जाएगा। तथापि यदि यह पुनर्चित है तो सीआरई परियोजनाओं के लिए आस्ति वर्गीकरण लाभ उपलब्ध नहीं होगा।
- (iii) पुनर्चना के उक्त सभी मामलों में जहां विनियामक सहनशीलता को विस्तार दिया गया है वहां एनबीएफसी के बोर्ड को अपनी परियोजना तथा पुनर्चना योजना के व्यवहार्यता के प्रति स्वयं संतुष्ट करना होगा।

3.6. आय निर्धारण

- (i) एनबीएफसी को चाहिए कि वे कार्यान्वित की जा रही 'मानक' आस्ति के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं के संबंध में आय का हिसाब उपचय आधार पर करें।
- (ii) एनबीएफसी को चाहिए कि वे कार्यान्वित की जा रही 'अवमानक' आस्तियों के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं के संबंध में आय का हिसाब उपचय आधार पर न करें। वे नकदी आधार पर वसूली के बाद ही ऐसे खातों के संबंध में आय का हिसाब करें।

परिणामतः जिन एनबीएफसी ने पहले गलत ढंग से आय का निर्धारण किया है उन्हें चाहिए कि यदि मौजूदा वर्ष के दौरान इसे आय के रूप में निर्धारित कर दिया गया हो तो वे ब्याज को प्रतिवर्तित कर दें अथवा यदि पिछले वर्ष (वर्षों) में इसे आय के रूप में निर्धारित किया गया हो तो, उसके समतुल्य राशि के लिए प्रावधान कर दें। 'निधिक ब्याज' के रूप में निर्धारित आय की विनियामक प्रक्रिया और ईक्विटी, बेंचरों या किसी अन्य लिखत में परिवर्तन के बारे में एनबीएफसी को चाहिए कि वे निम्नलिखित का पालन करें।

(ए) निधिक ब्याज: अनर्जक आस्तियों के बारे में आय निर्धारण चाहे ऋण करार की शर्तों का पुनर्निर्माण/ पुनर्निर्धारण /पुनः समझौता के अधीन हो या नहीं, वसूली के बाद ही, कड़ाई से नकदी आधार पर न कि बकाया ब्याज की राशि को निधि में रखने पर किया जाना चाहिए। परंतु यदि, निधिक ब्याज की राशि को आय के रूप में निर्धारित किया गया हो तो, साथ ही साथ, समतुल्य राशि का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में ब्याज के निधीयन को यदि आय के रूप में निर्धारित किया गया हो तो उसके लिए पूर्णतः प्रावधान किया जाना चाहिए।

(बी) ईक्विटी, डिबेंचर या किसी अन्य लिखत में परिवर्तन : अन्य लिखतों में परिवर्तित बकाया राशि में सामान्यतः मूलधन और ब्याज के घटक शामिल होंगे। यदि ब्याज की बकाया राशि को ईक्विटी या किसी अन्य लिखत में परिवर्तित किया जाता हो और इसके कारण आय निर्धारित की जाती हो तो, इस रूप में निर्धारित आय की राशि के लिए पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार के आय निर्धारण के प्रभाव से बचा जा सके। इस प्रकार का प्रावधान उस राशि के अतिरिक्त होगा जो निवेश मूल्यन मानदंडों के अनुसार ईक्विटी या अन्य लिखतों के मूल्य में हास के लिए आवश्यक है। परंतु, यदि ब्याज को निर्दिष्ट भाव वाली ईक्विटी में परिवर्तित किया जाता है तो परिवर्तन की तारीख को ईक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज आय का निर्धारण किया जा सकेगा जो ईक्विटी में परिवर्तित ब्याज की राशि से अधिक नहीं होगा। इसके बाद इस प्रकार की ईक्विटी को 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा और उसका मूल्यन निम्न लागत या बाजार मूल्य पर किया जाएगा। अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में मूल और /या ब्याज डिबेंचरों में परिवर्तन के मामले में, ऐसे डिबेंचरों को उसी आस्ति वर्गीकरण में प्रारंभ से अनर्जक आस्ति के रूप में माना जाना चाहिए जो परिवर्तन के एकदम पहले ऋण पर लागू है तथा मानदंडों के अनुसार प्रावधान करना चाहिए। यह मानदंड जीरो कूपन बांडों या ऐसे अन्य लिखतों पर भी लागू होगा जो जारीकर्ता की देयता आस्थगित करना चाहते हैं। ऐसे डिबेंचरों पर, आय का निर्धारण केवल वसूली के आधार पर किया जाना चाहिए। वसूल न किये

गये ब्याज, जिसे डिबेंचरों या किसी अन्य नियत अवधिपूर्णता के लिखत में परिवर्तित किया गया है, के संदर्भ में आय का निर्धारण ऐसे लिखत के प्रतिदान पर ही किया जाना चाहिए। उपर्युक्त की शर्त पर, ऋण की मूल राशि के परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न इक्विटी शेयर या अन्य लिखत भी ऐसे लिखतों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मूल्यांकन मानदंडों की शर्त के अधीन होंगे।

4. पुनर्चित अग्रिमों के लिए सामान्य सिद्धांत और विवेकपूर्ण मानदंड

इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांत और विवेकपूर्ण मानदंड सभी अग्रिमों पर लागू हैं। इनमें वे उधारकर्ता भी शामिल हैं जो पैरा 7 में विनिर्दिष्ट आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक कार्रवाई के पात्र हैं।

4.1 अग्रिमों की पुनर्चना के लिए पात्रता मानदंड

4.1.1 एनबीएफसी 'मानक', 'अवमानक' और 'संदिग्ध' श्रेणियों में वर्गीकृत खातों की पुनर्चना कर सकते हैं।

4.1.2 एनबीएफसी पूर्व व्यापी प्रभाव से उधार खातों की अवधि का पुनर्निर्धारण/ऋण की पुनर्चना/ऋण की शर्तों में परिवर्तन नहीं कर सकते। जब कोई पुनर्चना प्रस्ताव विचाराधीन हो तब सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू रहेंगे। केवल इसलिए कि पुनर्चना प्रस्ताव विचाराधीन है, किसी आस्ति की पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्चना पैकेज के अनुमोदन की तारीख को आस्ति वर्गीकरण की जो स्थिति है वह पुनर्चना/अवधि के पुनर्निर्धारण/ऋण की शर्तों में परिवर्तन के बाद खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति निश्चित करने में प्रासंगिक होगी। यदि पुनर्चना पैकेज की मंजूरी में अनुचित विलंब होता है तथा इस बीच खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति में गिरावट आती है तो यह पर्यवेक्षीय चिंता का विषय होगा।

4.1.3 सामान्यतया पुनर्चना तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि ऋणकर्ता की औपचारिक सहमति/आवेदन द्वारा मूल ऋण करार में बदलाव/परिवर्तन न किया गया हो। तथापि उपयुक्त मामलों में एनबीएफसी भी पुनर्चना प्रक्रिया आरंभ कर सकती है, बशर्ते ग्राहक निबंधन और शर्तों से सहमत हो।

4.1.4 एनबीएफसी तब तक किसी खाते की पुनर्चना नहीं करेंगे जब तक पुनर्चना की वित्तीय व्यवहार्यता स्थापित न हो जाए तथा पुनर्चित पैकेज की शर्तों के अनुसार उधारकर्ता से चुकौती प्राप्त करने की अच्छी संभावना न हो। उधारकर्ता के नकद प्रवाह तथा एनबीएफसी द्वारा वित्तेपोषित परियोजना/ गतिविधि की व्यवहारिकता का आंकलन किए बिना किसी पुनर्चना को हमेशा कमजोर ऋण माना जाएगा तथा यह पर्यवेक्षी चिंता/कार्रवाई को आकर्षित करेगा। एनबीएफसी को ऐसे खातों से वसूली के लिए उपायो में गति लाना चाहिए। एनबीएफसी द्वारा व्यवहार्यता का निर्धारण उनके द्वारा निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता बेंचमार्क के आधार पर होना चाहिए तथा इसे हर मामले के गुण-दोष को विचार में लेते हुए मामला-दर-मामला आधार पर लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मापदंडों

के भीतर विनियोजित पूंजी पर प्रतिफल, ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात, प्रतिफल की आंतरिक दर और निधियों की लागत के बीच अंतराल तथा पुनर्चित अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले अपेक्षित प्रावधान की राशि को शामिल किया जा सकता है। भिन्न आर्थिक क्षेत्र होने के कारण कार्यनिष्पादन का भिन्न सूचक होता है, अतः यह अपेक्षित है कि एनबीएफसी द्वारा इन बेंचमार्क को समुचित संशोधन के साथ अपनाया जाए। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि एनबीएफसी आधारित स्वीकार्य व्यवहारिकता मापदंड तथा उनके द्वारा निर्धारित प्रत्येक मापदंड द्वारा व्यवहारिकता को निर्धारित किया जाए। सीडीआर पद्धति द्वारा गैर-सीडीआर मामलों में विशिष्ट सेक्टर के खातों का पुनर्चना करने हेतु व्यवहारिकता मापदंड के लिए अपनाई जाने वाली बेंचमार्क अनुबंध -1 में दिया गया है। एनबीएफसी उचित समायोजन के साथ, यदि कोई हो तो, समुचित रूप से इसे अपनाए।

4.1.5 उधारकर्ताओं ने कपट या कदाचार किया है वे पुनर्चना के पात्र नहीं होंगे.

4.1.6 बीआइएफआर मामलों की पुनर्चना बिना उनके स्पष्ट अनुमोदन के नहीं की जा सकती। सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चित अग्रिमों के मामले में सीडीआर कोर ग्रुप/एसएमई ऋण पुनर्चना प्रणाली के मामले में अग्रणी बैंक तथा अन्य मामलों में अलग-अलग एनबीएफसी यह सुनिश्चित करने के बाद कि पैकेज के कार्यान्वयन के पहले बीआइएफआर से अनुमोदन प्राप्त करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं, ऐसे मामलों में पुनर्चना के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।

4.2 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

अग्रिमों की पुनर्चना निम्नलिखित चरणों में हो सकती है:

(ए) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन आरंभ होने के पहले;

(बी) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन के आरंभ होने के बाद लेकिन आस्ति के 'अवमानक' वर्गीकरण के पहले;

(सी) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन के आरंभ होने के बाद और आस्ति के 'अवमानक' या 'संदिग्ध' वर्गीकरण के बाद

4.2.1 पुनर्चना के बाद 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत खातों को तुरंत 'अवमानक आस्तियों' के रूप में पुनः वर्गीकृत करना चाहिए।

4.2.2 पुनर्चना के बाद अनर्जक आस्तियों का वही आस्ति वर्गीकरण रहेगा जो पुनर्चना के पहले था तथा पुनर्चना के पूर्व चुकौती अनुसूची के संदर्भ में विद्यमान आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार और भी घटकर न्यूनतर आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में चला जाएगा।

4.2.3 एनपीए के रूप में वर्गीकृत मानक खाता यदि एनबीएफसी द्वारा पुनर्चना के समय उस श्रेणी में बना रहता है तो ऐसी स्थिति में उसे केवल तब अपग्रेड किया जाए जब "विशिष्ट अवधि" (अनुबंध- 2)

के दौरान खाते में सभी अतिदेय ऋण/सुविधा का कार्यनिष्पादन संतोषजनक हो जैसे उस अवधि के दौरान नियम और शर्तों के अनुरूप खाते में मूलधन तथा ब्याज की सभी सुविधाएं सेवित हो।

4.2.4 लेकिन जिन मामलों में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद संतोषजनक कार्य निष्पादन नहीं देखा गया है, उन मामलों में पुनर्चित खाते का आस्ति वर्गीकरण पुनर्चना के पूर्व की चुकौती अनुसूची से संबंधित प्रयोज्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होगा।

4.2.5 विशिष्ट अवधि (अनुबंध -2) के दौरान किसी अतिरिक्त वित्तपोषण को, अनुमोदित पुनर्चना पैकेज के अंतर्गत 'मानक आस्ति' माना जाएगा। परंतु ऐसे खातों के मामले में जिन्हें पुनर्चना के पहले 'अवमानक' और 'संदिग्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, अतिरिक्त वित्तपोषण की ब्याज आय नकदी आधार पर ही मान्य होनी चाहिए। उपर्युक्त विनिर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के अंत में यदि पुनर्चित आस्ति श्रेणी उन्नयन के लिए पात्र नहीं होती है तो अतिरिक्त वित्तपोषण को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें पुनर्चित ऋण है।

4.2.6 यदि कोई पुनर्चित आस्ति पुनर्चना के बाद मानक आस्ति है तथा बाद में उसकी पुनः पुनर्चना की जाती है तो उसे अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यदि पुनर्चित आस्ति अवमानक या संदिग्ध आस्ति है तथा बाद में उसकी पुनः पुनर्चना की जाती है तो उसके आस्ति वर्गीकरण की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस दिन वह पहली बार अनर्जक आस्ति बनी। परंतु दूसरी बार या दो से अधिक बार पुनर्चित ऐसे अग्रिमों को, संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन चालू पुनर्चना पैकेज की शर्तों के अनुसार विशिष्ट अवधि (अनुबंध -2) के बाद मानक संवर्ग में वर्गोन्नत किया जा सकता है।

4.3 आय निर्धारण मानदंड

पैरा 4.2.5, 5.2 और 6.2 के प्रावधानों के अधीन, 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत पुनर्चित खातों की ब्याज आय को उपचय आधार पर तथा 'अनर्जक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत खातों के मामले में नकदी आधार पर आय निर्धारण करना चाहिए।

4.4 प्रावधानीकरण मानदंड

4.4.1 पुनर्चित अग्रिमों के लिए प्रावधान

(i) एनबीएफसी विद्यमान प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार पुनर्चित अग्रिमों के लिए प्रावधान रखेंगे।

(ii) मानक अग्रिमों में वर्गीकृत पुनर्चित खाते पुनर्चना की तारीख से पहले दो वर्षों के लिए उच्च प्रावधान (समय समय पर निर्धारित के अनुसार) के प्रति आकर्षित करेंगे। पुनर्चित के बाद ब्याज/मूलधन का भुगतान के अधिस्थगन के मामले में, ऐसे अग्रिम अधिस्थगन अवधि

तथा उसके बाद दो वर्षों की अवधि को कवर करने के लिए निर्धारित उच्च प्रावधान को आकर्षित करेगी।

(iii) अनर्जक अग्रिम के रूप में वर्गीकृत पुनर्चित खातों को जब मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जाता है तब अपग्रेडेशन की तारीख से एक वर्ष के लिए उच्च प्रावधान (समय समय पर निर्धारित के अनुसार) को आकर्षित करती है।

(iv) 24 जनवरी 2014 से पुनर्चित मानक अग्रिमों पर उक्त उच्च प्रावधान नए पुनर्चित मानक खातों (फ्लो) के संबंध में 5 प्रतिशत होगा तथा 23 जनवरी 2014 को स्टॉक पुनर्चित मानक खातों को निम्नलिखित के अनुसार क्रमवार किया जाएगा।

- * 2.75 प्रतिशत- 31 मार्च 2014 से प्रभावी
- * 3.50 प्रतिशत- 31 मार्च 2015 से प्रभावी (2014-15 के चार तिमाहियों में बांटा गया)
- * 4.25 प्रतिशत-- 31 मार्च 2016 से प्रभावी (2015-16 के चार तिमाहियों में बांटा गया)
- * 5 प्रतिशत - 31 मार्च 2017 से प्रभावी (2016-17 के चार तिमाहियों में बांटा गया)

4.4.2 पुनर्चित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान

(i) पुनर्चना के अंग के रूप में ब्याज दर में कमी और/अथवा मूल ऋण राशि की चुकोती की अवधि में परिवर्तन के कारण अग्रिम के उचित मूल्य में कमी आएगी। मूल्य में ऐसी कमी एनबीएफसी के लिए एक आर्थिक हानि है और इसका एनबीएफसी के बाजार मूल्य पर असर पड़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि एनबीएफसी अग्रिम के उचित मूल्य में आयी कमी की माप करें तथा लाभ और हानि खाते में नामे डालकर इसके लिए प्रावधान करें। ऐसा प्रावधान ऊपर पैरा 4.4.1 में निर्दिष्ट विद्यमान प्रावधानीकरण मानदंड के अनुसार किये गये प्रावधान के अतिरिक्त होगा तथा उसे सामान्य प्रावधानों के खाते से अलग खाते में रखा जाना चाहिए।

इस प्रयोजन के लिए अग्रिम के उचित मूल्य में कमी की गणना पुनर्चना के पूर्व तथा बाद में ऋण के उचित मूल्य के बीच के अंतर के रूप में की जानी चाहिए। पुनर्चना के पूर्व ऋण के उचित मूल्य की गणना अग्रिम पर प्रभारित की गई पुनर्चना के पूर्व विद्यमान ब्याज दर तथा पुनर्चना की तारीख को एनबीएफसी का स्पष्ट ऋण दर जैसे उधारकर्ता पर लागू ऋण करार के अनुसार प्रभारित ब्याज दर जिसके अनुसार अविलम्ब प्रदान किया गया था, जैसा कि संबंधित उधारकर्ता पर लागू है, योग के रूप में की जाएगी। पुनर्चना के बाद ऋण के उचित मूल्य की गणना अग्रिम पर पुनर्चना के पश्चात् प्रभारित की गई ब्याज दर तथा पुनर्चना की तारीख को उधारकर्ता पर लागू होता एनबीएफसी के स्पष्ट ऋण दर के समतुल्य

दर पर बढ़ाकृत मूलधन को दर्शानेवाले नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य तथा पुनर्चना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उचित अवधि प्रीमियम तथा ऋण जोखिम प्रीमियम के योग के रूप में की जाएगी।

उपर्युक्त फॉर्मूला ब्याज दर चक्र के साथ ऋणों के वर्तमान मूल्यों में होनेवाली कमी के उतार-चढ़ावों को नियंत्रित करता है तथा उसका भविष्य में नियमित रूप से एनबीएफसी को अनुपालन करना होगा। साथ ही, इस बात को दोहराया जाता है कि उपर्युक्त के अनुसार प्रावधानों की आवश्यकता एनबीएफसी की कार्रवाई के कारण होती है क्योंकि ऐसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप पुनर्चना किए जाने पर ऋण की संविदागत शर्तों में परिवर्तन होता है जो वित्तीय रियायतों के स्वरूप की हैं। ये प्रावधान अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत खाते के आस्ति वर्गीकरण से जुड़े हुए प्रावधानों से अलग हैं और ऋण की गुणवत्ता में हास के कारण हुई क्षति को प्रतिबिम्बित करते हैं। इस प्रकार ये दो प्रकार के प्रावधान एक-दूसरे का स्थानापन्न नहीं हैं।

ii. पुनर्चना पर मूल्यांकन राशि को ऋण/इक्विटी लिखत में परिवर्तन हेतु, वर्तमान निवेश के तहत धारण करने की आवश्यकता है तथा इसका मूल्यांकन, सामान्य मूल्यांकन के अनुसार किया जाएगा। अतः उचित मूल्य में क्षरण के उद्देश्य तक पहुंचने के प्रयोजन से ऋण/इक्विटी में परिवर्तित नहीं किया जाएगा और एनपीवी के भाग के लिए मूलधन की गणना अलग से की जाएगी। तथापि एनबीएफसी में शामिल कुल हानि, ऋण/इक्विटी के परिवर्तन पर मूल्यांकन हानि सहित एनपीवी के उक्त भाग के लिए होगा।

अतः एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि वे पुनर्चित खातों के उचित मूल्य में हास की गणना सटिक रूप में करें क्योंकि यह ना केवल उनके द्वारा बनाया गया आवश्यक प्रावधानीकरण का वहन करता है बल्कि प्रोमोटर्स से विशिष्ट आवश्यक राशि का भी वहन करेगा (संदर्भ पैरा 7.2.2.iv)। इसके अतिरिक्त एनबीएफसी के तहफ से किसी वित्तीय अभियांत्रिक को कृत्रिम उधारदाता बनकार निवल वर्तमान मूल्य के नकद प्रवाह को कम नहीं किया जाना चाहिए। एनबीएफसी को यह भी सूचित किया जाता है कि पुनर्चित खातों के उचित मूल्य में हास की गणना को सुनिश्चित करने हेतु एक पर्याप्त जांच और तुलन स्थापित किया जाए।

(iii) यदि अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले कोई जमानत ली जाती है तो जमानत की परिपक्वता तक उसका मूल्य 1 रुपया माना जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि लाभ और हानि खाते में आर्थिक क्षति प्रभारित करने का प्रभाव समाप्त नहीं होगा।

(iv) उचित मूल्य में कमी की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को पुनः की जानी चाहिए, जब तक कि सभी चुकौती दायित्व संतोषजनक रूप से पूरे नहीं कर लिये जाते हैं तथा खाते के बकाये की पूरी चुकौती नहीं हो जाती है। ऐसा इसलिए किया जाना है ताकि

उधारकर्ताओं पर प्रभारित स्पष्ट ब्याज दर, अवधि प्रीमियम और उधारकर्ता की ऋण श्रेणी में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य में आए परिवर्तन को गणना में शामिल किया जा सके। इसके फलस्वरूप, एनबीएफसी प्रावधान में आयी कमी को पूरा कर सकते हैं या अलग खाते में रखे अतिरिक्त प्रावधान को रिवर्स कर सकते हैं।

(v) यदि विशेषज्ञता/समुचित इनफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में दिये गये अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी की गणना सुनिश्चित करना एनबीएफसी के लिए कठिन हो तो उचित मूल्य में कमी की राशि की गणना के लिए ऊपर निर्धारित क्रियाविधि के विकल्प के रूप में एनबीएफसी उचित मूल्य में कमी की राशि की गणना नोशनल आधार पर कर सकते हैं तथा उन सभी पुनर्चित खातों के मामले में जहां एनबीएफसी का कुल बकाया एक करोड़ रुपये से कम हो कुल एक्सपोजर के पांच प्रतिशत पर प्रावधान कर सकते हैं ।

4.4.3 किसी खाते के लिए अपेक्षित कुल प्रावधान (सामान्य प्रावधान तथा अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले प्रावधान) की अधिकतम राशि बकाया ऋण राशि का 100% है।

5. मूल ऋण राशि को ऋण/ईक्विटी लिखत में परिवर्तन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

5.1 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

पुनर्चना के अंग के रूप में बकाया मूल ऋण राशि के एक हिस्से को ऋण या ईक्विटी लिखत में परिवर्तित किया जा सकता है । इस प्रकार निर्मित ऋण/ईक्विटी लिखत को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें पुनर्चित अग्रिम है । इन लिखतों के आस्ति वर्गीकरण में आगे आनेवाले परिवर्तन भी पुनर्चित अग्रिम के परवर्ती आस्ति वर्गीकरण पर आधारित होंगे। इसके अतिरिक्त इन लिखतों में आस्ति वर्गीकरण का परिचालन अनुवर्ती पुनर्चित अग्रिमों के निर्धारण के आधार पर भी होगा।

5.2 आय निर्धारण मानदंड

5.2.1 मानक खाते

‘मानक’ रूप में वर्गीकृत पुनर्चित खातों के मामले में इन लिखतों द्वारा निर्मित आय, यदि कोई हो, को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाए।

5.2.2 अनर्जक खाते

अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्चित खातों के मामले में इन लिखतों द्वारा निर्मित आय, यदि कोई हो, का निर्धारण केवल नकद आधार पर किया जाए।

5.3 मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण मानदंड

इन लिखतों को वर्तमान निवेश के अंतर्गत धारित किया जाए तथा सामान्य मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार इनका मूल्यांकन किया जाए। मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत ईक्विटी का मूल्यांकन यदि उसे कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर अथवा यदि नहीं किया गया हो तो कंपनी के अद्यतन तुलन-पत्र से सुनिश्चित उसके विश्लेषित मूल्य पर (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि यदि कोई हो, पर ध्यान दिए बिना) किया जाए। अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध न होने पर शेयरों का 1 रुपए पर मूल्यांकन किया जाए। अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत ईक्विटी लिखत का यदि उसे कोट किया हो तो बाजार मूल्य पर मूल्यांकन किया जाए और ऐसे मामले में जहां ईक्विटी कोट नहीं की गयी है, उसे 1 रुपए पर मूल्यांकित किया जाए। इन लिखतों पर मूल्यहास को वर्तमान निवेश श्रेणी के अंतर्गत धारित किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों में हुए मूल्य वर्धन के बदले समायोजित नहीं किया जाए।

6. अदत्त ब्याज का 'निधिक ब्याज मीयादी ऋण' (एफआइटीएल) ऋण अथवा ईक्विटी लिखतों में परिवर्तन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

6.1 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

अदत्त ब्याज के परिवर्तन से निर्मित एफआइटीएल/ ऋण अथवा ईक्विटी लिखत को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा जिसमें पुनर्व्यवस्थित अग्रिम का वर्गीकरण किया गया है। एफआइटीएल/ऋण अथवा ईक्विटी लिखतों के आस्ति वर्गीकरण में अगला उतार-चढ़ाव भी पुनर्व्यवस्थित अग्रिम के परवर्ती आस्ति वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

6.2 आय-निर्धारण मानदंड

6.2.1 इन लिखतों से प्राप्त आय यदि कोई हो को, इन लिखतों को यदि 'मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो उपचित आधार पर, और अनर्जक आस्ति के रूप में जिनका वर्गीकरण किया गया है उस मामले में नकद आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

6.2.2 अप्राप्त आय का प्रतिनिधित्व करने वाले एफआइटीएल/ऋण अथवा ईक्विटी लिखत के संबंध में "फुटकर देयता खाता (ब्याज का पूंजीकरण)" शीर्ष वाले खाते में तदनुसूची जमा होनी चाहिए।

6.2.3 अप्राप्त ब्याज के कोट की गई ईक्विटी में परिवर्तन के मामले में ब्याज से प्राप्त आय का मानक श्रेणी में उक्त खाते के उन्नयन के बाद ऐसे उन्नयन की तारीख को ईक्विटी में परिवर्तित ब्याज की राशि से अनधिक ईक्विटी के बाजार मूल्य पर निर्धारण किया जाएगा।

6.2.4 एफआइटीएल के मामले में चुकौती के बाद अथवा ऋण/ ईक्विटी लिखतों की बिक्री /मोचन से राशि प्राप्त होने के बाद ही, प्राप्त राशि को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाएगा और उसी समय 'फुटकर देयताएं खाते (ब्याज का पूंजीकरण)' में शेष को कम किया जाएगा।

6.3 मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण मानदंड

मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण मानदंड उपर्युक्त पैरा 12.3 के अनुसार होंगे। मूल्यांकन पर होने वाले मूल्यहास को, यदि कोई हो, पुष्टकर देयता (ब्याज का पूंजीकरण) खाते में प्रभारित किया जाए।

7. आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक व्यवहार

7.1 इस संबंध में पैरा 4 में निर्धारित प्रावधानों में संशोधन के अनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, गैर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं तथा सीडीआर पद्धति/एसएमई कर्ज पुनर्चना पद्धति के तहत पुनर्चित अग्रिम और सहायत संघ में कर्ज पुनर्चित/अनेक उधार व्यवस्था (अग्रिम की निम्नलिखित श्रेणियों को छोड़कर) के संबंध में आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक व्यवहार उपलब्ध होगा, बशर्ते निम्नलिखित पैरा 7.2 में विनिर्दिष्ट कुछ शर्तों अनुपालन के अधीन:

- i. उपभोक्ता तथा व्यक्तिगत अग्रिम
- ii. पूंजी बाजार एक्सपोजर के रूप में वर्गीकृत अग्रिम
- iii. वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर के रूप में वर्गीकृत अग्रिम;

इन तीन श्रेणियों के खातों तथा पैरा 7.2 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न करने वाले अन्य खातों का आस्ति वर्गीकरण इस संबंध में उपर्युक्त पैरा 4 में वर्णित विवेकपूर्ण मानदंडों की परिधि में आएगा।

7.2 विशेष विनियामक ढांचे के तत्व

विशेष विनियामक ढांचे में दो निम्नलिखित घटक हैं :

- (i) पुनर्चना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन
- (ii) पुनर्चित खाते के आस्ति वर्गीकरण को पुनर्चना पूर्व आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में ही रखना

7.2.1 पुनर्चना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन

पैरा 4.1.2 में दिए गए अनुसार अग्रिम की पुनर्चना का आवेदन एनबीएफसी के पास लंबित होने की अवधि के दौरान, सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू होना जारी रहेगा। आस्ति के पुनर्वर्गीकरण की प्रक्रिया आवेदन विचाराधीन होने के कारण रुकनी नहीं चाहिए। तथापि, पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में एनबीएफसी यदि निम्नलिखित समय अनुसूची के अनुसार अनुमोदित पैकेज का कार्यान्वयन करता है तो आस्ति वर्गीकरण स्तर को उस स्तर पर पुनः स्थापित किया जाएगा जो स्तर सीडीआर प्रणाली की परिधि में आनेवाले

मामलों के संबंध में सीडीआर कक्ष को संपर्क करने के समय अथवा सीडीआर से इतर मामलों में एनबीएफसी द्वारा पुनर्रचना आवेदन प्राप्त करने के समय विद्यमान था:

- (i) सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत अनुमोदन की तारीख से 120 दिन के भीतर।
- (ii) सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचित मामलों से अन्य मामलों में एनबीएफसी द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तारीख से 120 दिन के भीतर

7.2.2 आस्ति वर्गीकरण लाभ

पैरा 4 में निर्धारित विवेकपूर्ण ढांचे के अनुपालन के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन:

- (i) पैरा 4.2.1 के आशोधन में पुनर्रचना के बाद किसी मौजूदा 'मानक आस्ति' का दर्जा घटाकर उसे अवमानक श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।
- (ii) पैरा 4.2.2 के आशोधन में निर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन प्रदर्शित करने पर निर्दिष्ट अवधि के दौरान अवमानक/संदिग्ध खातों के आस्ति वर्गीकरण का दर्जा पुनर्रचना करने पर कम नहीं होगा।

तथापि, ये लाभ निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन उपलब्ध होंगे:

- (i) एनबीएफसी को प्राप्य राशियां अनुबंध- 2 में परिभाषित किए गए अनुसार 'पूरी तरह रक्षित' हैं। मूर्त जमानत द्वारा पूरी तरह रक्षित होने की शर्त बुनियादी सुविधा परियोजनाएं बशर्ते इन परियोजनाओं से अर्जित नकदी प्रवाह अग्रिम की चुकौती के लिए पर्याप्त हैं, वित्तपोषण करने वाले एनबीएफसी के पास नकदी प्रवाहों के निलंबन के लिए उचित प्रणाली स्थापित है और उनके पास इन नकदी प्रवाहों पर प्रथम दावा करने का स्पष्ट तथा कानूनन अधिकार के मामलों में लागू नहीं होगा
- (ii) यदि वह इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा देने वाले कार्य कर रही है तो यूनिट 8 वर्ष की अवधि में अर्थक्षम होती है और अन्य इकाइयों के मामले में 5 वर्ष की अवधि में।
- (iii) पुनर्रचित अग्रिम की चुकौती अवधि, यदि कोई अधिस्थगन अवधि हो तो उसे मिलाकर, संरचनात्मक अग्रिमों के मामले में 15 वर्ष और अन्य मामले में 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (iv) प्रोमोटर्स का त्याग तथा उनके द्वारा लाया गया अतिरिक्त निधि एनबीएफसी के त्याग का न्यूनतम 20प्रतिशत अथवा पुनर्रचित कर्ज का 20% जो भी उच्च हो, होना चाहिए। यह निर्धारण न्यूनतम है तथा एनबीएफसी परियोजना और प्रोमोटर्स का उच्च त्याग राशि की क्षमता के प्रति जोखिम के आधार पर प्रोमोटर्स के उच्च त्याग का पर निर्णय ले सकती है।

इसके अतिरिक्त ऐसे उच्च त्याग हमेशा बड़े खातों के लिए पर किया जाता है विशेषकर सीआरडी खातों में। प्रमोटर्स त्याग को हमेशा उधारकर्ता के हित के लिए पुनर्चना करते समय लाना चाहिए। एनबीएफसी त्याग का अर्थ है” अग्रिम के उचित मूल्य में कटौती” अथवा “कुल त्याग” जिसकी गणना प्रगणित कार्य प्रणाली के प्रति उक्त पैरा 4.2.2(i) और (ii) में विनिर्दिष्ट के अनुसार किया जाना चाहिए।

(v) प्रवर्तक का अंशदान अनिवार्य रूप से नकद लाया जाना आवश्यक नहीं है और उसे ईक्विटी की डि-रेटिंग, प्रवर्तक द्वारा बे-जमानती ऋण के ईक्विटी में संपरिवर्तन तथा ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में लाया जा सकता है।

(vi) विचाराधीन पुनर्चना अनुबंध -2 में वर्णित “आवर्ती पुनर्चना” नहीं है।

7.2.3. कार्य समूह (श्री बी महापात्रा की अध्यक्षता में) की सिफारिशों के तर्ज पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं के लिए पुनर्चना के मौजूदा विवेकपूर्ण मानदण्ड की समीक्षा करने पर पुनर्चना पैकेज का त्वरित कार्यान्वयन के लिए पुनर्चना को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन तथा आस्ति वर्गीकरण लाभ (उक्त पैरा 7.2.1 तथा 7.2.2) शर्तों को इंफ्रास्ट्रक्चर तथा गैर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना ऋण के संबंध में डीसीसीओ में परिवर्तन संबंधित प्रावधानों को छोड़कर प्रभावी 1 अप्रैल 2015 से सभी पुनर्चना के लिए आहरित किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि प्रभावी 1 अप्रैल 2015 से पुनर्चना पर मानक खाता (डीसीसीओ में परिवर्तन के अतिरिक्त कारणों के लिए) को तत्काल पुनर्चना पर अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया जाए तथा पुनर्चना पर अनर्जक आस्ति को उस आस्ति वर्गीकरण में रखा जाए जैसा कि उसे पुनर्चना के पूर्व रखा गया था तथा पूर्व पुनर्चित चुकौती अनुसूची के संदर्भ में मौजूदा आस्ति वर्गीकरण नियमों के अनुसार अगले कम आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में किया जाएगा।

8. विविध

8.1 एनबीएफसी को परिवर्तनीयता (ईक्विटी में) के विकल्प संबंधी मामले पर पुनर्चना कार्य के एक भाग के रूप में निर्णय लेना होगा। इसके अनुसार एनबीएफसी को सेबी के संबंधित विनियमों के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, पुनर्चित खातों के कुछ हिस्से को ईक्विटी में परिवर्तित करने का अधिकार रहेगा।

8.2 कर्ज का अधिमानी शेयर में परिवर्तन को केवल अंतिम विकल्प में किया जाना चाहिए तथा ऐसे कर्ज का इक्विटी/अधिमानी शेयर में परिवर्तन, किसी भी मामले में, को अधिकतम सीमा तक प्रतिबंधित किया जाए (पुनर्चित कर्ज का 10 प्रतिशत कहा जाए)। इसके अतिरिक्त, कर्ज का इक्विटी में परिवर्तन केवल सूचीबद्ध कंपनी के मामले में किया किया जाना चाहिए।

8.3 एनबीएफसी, पुनर्भुगतान और भुगतानपूर्व ऋण लेने के अधिकार में तेजी लाने के लिए अमुमोदित पुनर्चना पैकेजों के लेनदार के अधिकारों को शामिल करने पर विचार कर सकती

है। इसके अतिरिक्त सभी पुनर्चना पैकेज में आवश्यक रूप से “क्षतिपूर्ति का अधिकार” क्लॉज को शामिल किया जाए तथा यह उधारकर्ता के निश्चित कार्यनिष्पादन मानदंड पर आधारित होना चाहिए। किसी भी मामले में, न्यूनतम 75 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि ऋणदाता से वसूल किया जाना चाहिए तथा कुछ मामले जहां ऋण दर को केवल पुनर्चना सुविधा के लिए विस्तारित किया गया है वहां 100 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि वसूल किया जाए।

8.4 जैसा कि निर्धारित व्यक्तिगत गारंटी प्रोमोटर्स के “स्कीन इन द गेम” अथवा पुनर्चना पैकेज के प्रति वचनबद्धता को सुनिश्चित करेगा अतः सभी पुनर्चना के मामले में प्रोमोटर्स प्रोमोटर्स का व्यक्तिगत गारंटी लिया जाए तथा कारपोरेट गारंटी को व्यक्तिगत गारंटी के प्रतिपूरक के रूप में नहीं माना जाए। तथापि कारपोरेट गारंटी को उन मामलों के लिए स्वीकार किया जाए जहां कंपनी का प्रोमोटर्स व्यक्तिक न हो किंतु अन्य कारपोरेट निकाय हो अथवा जहां व्यक्तिगत प्रोमोटर्स को स्पष्ट रूप से पहचान नहीं किया जा सके।

9. प्रकटीकरण

मार्च 2014 वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एनबीएफसी को “ खातों पर टिप्पणियां” के तहत अपने वार्षिक तुलन पत्र को प्रकाशित करना होगा, पुनर्चित ऋण खातों की संख्या तथा राशि से संबंधित सूचना और पुनर्चित अग्रिम के उचित मूल्य में राशि की कमी को अनुबंध 4 में दिए गए फार्मेट में देना होगा। सीडीआर पद्धति, एसएमई कर्ज पुनर्चना पद्धति तथा अन्य श्रेणियों के तहत पुनर्चित अग्रिम के लिए अलग अलग सूचना की आवश्यकता होगी। एनबीएफसी को सभी उधारकर्ताओं के खातों/सुविधाओं की कुल बकाया राशि को आवश्यक रूप से प्रकट करना होगा जिसका खाता पुनर्चित भाग अथवा सुविधा के साथ पुनर्चित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी उधारकर्ता के एक खाता/सुविधा को यदि पुनर्चित किया गया है तो ऐसी स्थिति में एनबीएफसी को उस उधारकर्ता के सभी सुविधा/खातों से संबंधित संपूर्ण बकाया राशि को भी प्रकट करना होगा। प्रकटीकरण फार्मेट अनुबंध -4 में दिया गया है जिसमें कतिपय निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. संचयी आधार पर पुनर्चित खातों का ब्योरा, मानक खातों को छोड़कर, जिससे उच्च प्रावधान तथा जोखिम भार (यदि लागू होतो) प्रभावित होते हैं;
- ii. विभिन्न श्रेणियों के तहत पुनर्चित खातों पर किया गया प्रावधान , तथा
- iii. पुनर्चित खातों के परिचालन का ब्योरा

इसका अर्थ यह है कि एक बार पुनर्चित अग्रिम (मानक के रूप में वर्गीकृत अथवा अनर्जक आस्ति श्रेणी से नये सिरे से अपग्रेडेशन) उच्च प्रावधान से निर्धारित अवधि के दौरान संतोषजक कार्यनिष्पादन के सामान्य स्तर पर परिवर्तित होने पर, ऐसे अग्रिमों को एनबीएफसी द्वारा उनके वार्षिक तुलन पत्र में “ खातों पर टिप्पणियां” में पुनर्चना के तहत

और प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, ऐसे पुनर्चना खातों पर पुनर्चना खातों के उचित मूल्य में हास का प्रावधान को एनबीएफसी द्वारा मौजूदा निदेशों के अनुसार बनाए रखना चाहिए।

10. सीडीआर पद्धति गैर औद्योगिक गतिविधि करने वाले कार्पोरेट्स के लिए भी उपलब्ध होगा, यदि वे इस उद्देश्य के लिए पुनर्चना हेतु निर्धारित मापदंड के तहत पात्र हैं तो। इसके अतिरिक्त एनबीएफसी को सहायक/विविध ऋण खातों के मामले में, जो सीडीआर पद्धति के तहत रक्षित नहीं है, स्वयं / क्रेडिटर्स के साथ समन्वय कर मजबूत बनने की प्रेरणा दिया जाता है।

यह पुनः कहा जाता है कि पुनर्चना का मूल उद्देश्य समस्याग्रस्त खातों को हमेशा ठीक बनाये रखना नहीं है बल्कि इकाइयों का आर्थिक मूल्य को संरक्षित करने के लिए है। इसे व्यवहार्यता का ध्यांपूरक मूल्यांकन, खातों की कमजोरी को त्वरित पहचानना और पुनर्चना पैकेजों का समयबद्ध कार्यान्वयन से एनबीएफसी और उधारकर्ता द्वारा इसे पाया जा सकता है।

व्यवहार्यता मानदंड के लिए बोर्ड बेंचमार्क

नियोजित पूंजी पर रिटर्न कम से कम 5 वर्षों का सरकारी प्रतिभूति यील्ड धन 2 प्रतिशत होनी चाहिए।

कर्ज सेवा कवरेज औसत 5 वर्ष की अवधि से 1.25 से अधिक होनी चाहिए जिसमें ईकाइ व्यवहार्य बनी तथा वर्ष दर वर्ष आधार पर अनुपात 1 से उपर होना चाहिए। 10 वर्ष के भुगतान अवधि के लिए सामान्य कर्ज सेवा कवरेज अनुपात लगभग 1.33 होनी चाहिए।

आंतरिक प्रतिलाभ दर तथा पूंजी की लागत के बीच का बेंचमार्क अंतर कम से कम 1 प्रतिशत होना चाहिए।

परिचालन तथा नकद लाभ-अलाभ बिन्दु पर कार्य किया जाना चाहिए तथा इसे औद्योगिक मानक के तुलनीय होना चाहिए।

ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर कंपनी का चलन तथा भविष्य परिकल्पना को औद्योगिक के साथ तुलना किया जाना चाहिए। अतः भूतकाल और भविष्य ईबीआईडीटीए का व्यवहार्य का अध्ययन किया जाए और औद्योगिक औसत के साथ तुलना किया जाए।

निम्न वर्णित ऋण जीवन अनुपात (एलएलआर) 1.4 होना चाहिए, जो सेवित ऋण राशि में 40% की गुंजाइश प्रदान करेगी।

ऋण जीवन अवधि के दौरान (ब्याज और मूलधन सहित) कुल उपलब्ध नकद
प्रवाह(एसीएफ) का वर्तमान मूल्य

एलएलआर =

अधिकतम ऋण राशि

(i) **अग्रिम**

‘अग्रिम’ शब्द का अर्थ होगा सभी प्रकार की ऋण सुविधाएं जिनमें नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मीयादी ऋण, भुनाए/खरीदे गए बिल, आढतीय प्राप्य राशियां आदि तथा ईक्विटी स्वरूप के छोड़कर अन्य निवेश शामिल होंगे।

(ii) **पूरी तरह रक्षित**

जब एनबीएफसी को देय राशियां (पुनर्रचित ऋण की शर्तों के अनुसार मूलधन तथा प्राप्य ब्याज का वर्तमान मूल्य), उन राशियों के संबंध में एनबीएफसी के पक्ष में विधिवत् प्रभारित जमानत के मूल्य द्वारा पूरी तरह रक्षित हैं, तब बैंक को देय राशियों को पूरी तरह रक्षित समझा जाता है। जमानत वसूली योग्य मूल्य का मूल्यांकन करते समय प्राथमिक तथा संपार्श्विक प्रतिभूतियों की भी गणना की जाएगी, बशर्ते ऐसी प्रतिभूतियां मूर्त स्वरूप की हैं और प्रवर्तक/अन्यों की गारंटी आदि जैसे अमूर्त रूप में नहीं हैं। तथापि, इस प्रयोजन के लिए बैंक की गारंटियों, राज्य सरकार की गारंटियों तथा केंद्र सरकार की गारंटियों को मूर्त जमानत के समतुल्य माना जाएगा।

(iii) **पुनर्रचित खाते**

पुनर्रचित खाता ऐसा खाता है जहां एनबीएफसी उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक अथवा विधिक कारणों के लिए उधारकर्ता को ऐसी रियायतें प्रदान करता है जिन्हें प्रदान करने पर एनबीएफसी अन्यथा विचार न करता। पुनर्रचना में सामान्यतः अग्रिमों/जमानत की शर्तों में संशोधन किया जाएगा जिसमें सामान्यतः अन्य बातों के साथ चुकौती की अवधि/चुकौती योग्य राशि/किस्तों की राशि/ब्याज की दर (प्रतियोगी कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से) में परिवर्तन शामिल होगा। तथापि, फ्लोटिंग ऋण दर के भुगतान की अवधि को ब्याज दर पुनर्निर्धारण पर विस्तारित किया गया, ताकि ईएमआई अपरिवर्तित रहें, बशर्ते कि यह खाता के श्रेणी पर एकरूपतासे लागू हो और खाता को ‘पुनर्रचना खाता’ के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में संपूर्ण श्रेणी के संबंध में व्यक्तिगत उधारकर्ता के प्रति ईएमआई विस्तार अथवा स्थगन को ‘पुनर्रचना खाता’ को वर्गीकृत खाता के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

अल्प अवधि ऋण के रोल ओवर के मामले में, जहां व्यवस्थित पूर्व मूल्यांकन मंजूरी किया गया था तथा उधारकर्ता के वास्तविक आवश्यकता के आधार पर रोल ओवर को मंजूरी दी गई थी तथा उधारकर्ता के क्रेडिट कमजोरी के कारण कोई रियायत नहीं दिया गया था, ऐसी स्थिति में खातों को पुनर्रचना खाते के रूप में विचार नहीं किया जाए। तथापि ऐसे खाते यदि दो से अधिक बार रोल ओवर किया गया है तब तीररे और उससे अगले रोल ओवर के लिए खाता को पुनर्रचित माना जाएगा। इसके साथ साथ, एनबीएफसी को ऐसी सुविधा मंजूर करते समय सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उधारकर्ता अन्य बैंक/सहायता संघ के क्रेडिटर से अथवा विविध बैंकिंग के

तहत इस सुविधा को प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त, इस प्रावधान के उद्देश्य से अल्प अवधि ऋण को नियमित कार्यशील पूंजी ऋण जैसे परिक्रामी नकद ऋण अथवा कार्यशील पूंजी मांग ऋण के रूप में शामिल कर मूल्यांकित नहीं किया जाएगा।

(iv) पुनरावृत्त पुनर्चित खाते

जब कोई एनबीएफसी किसी खाते की दूसरी (अथवा उससे अधिक) बार पुनर्चना करता है तो उस खाते को पुनरावृत्त पुनर्चित खाता' समझा जाएगा। तथापि, पहली पुनर्चना की शर्तों के अंतर्गत प्रदान की गई रियायतों की अवधि समाप्त होने के बाद यदि दूसरी पुनर्चना की जाती है तो उस खाते को 'पुनरावृत्त पुनर्चित खाता' नहीं समझा जाएगा।

(v) एसएमई

लघु तथा मध्यम उद्यम समय-समय पर संशोधित ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के 4 अप्रैल 2007 के परिपत्र ग्राआऋवि. पीएलएनएफएस. बीसी. सं. 63.06.02/2006-07 में परिभाषित उपक्रम है।

(vi) निर्दिष्ट अवधि

निर्दिष्ट अवधि का अर्थ है पुनर्चना पैकेज के नियम के तहत ऋण सुविधा के लिए लम्बी अवधि का अधिस्थगन पर पुनर्चना पैकेज की शर्तों के अनुसार ब्याज अथवा मूल धन की किस्त की पहली अदायगी देय होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि।

(vii) संतोषजनक कार्यनिष्पादन

निर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन का अर्थ उस अवधि के दौरान निम्नलिखित शर्तों का पालन किए जाने से है

(viii) कृषीतर मीयादी ऋण खाते

कृषीतर मीयादी ऋण खातों के मामलों में, कोई भुगतान उस समय अवधि के दिनों से अधिक समय के लिए बकाया नहीं होना चाहिए, जिसके लिए उसे एनपीए में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर कोई बकाया नहीं होना चाहिए।

* नोट :

(i) ईएमआई अपरिवर्तन को बनाये रखते हुए गृह ऋण के संबंध में भुगतान अवधि को विस्तारित करते समय, एनबीएफसी को विस्तारित समयवधि सहित पूरे भुगतान अवधि के दौरान उधारकर्ता के भुगतान /राजस्व अर्जन क्षमता के प्रति स्वयं को संतुष्ट करना होगा।

(ii) एनबीएफसी ऐसे उधारकर्ता के भुगतान अवधि को विस्तारित नहीं करेगी जहां विस्तारित अवधि के बाद भी भुगतान के संबंध में चिंताएं व्याप्त हो, यद्यपि ईएमआई अपरिवर्तन को बनाये रखते हुए उधारकर्ता अवधि में विस्तार की इच्छा रखता हो।

(iii) एनबीएफसी को ऐसे उधारकर्ता को उच्च ईएमआई का विकल्प प्रदान किया जाए जो मूल भुगतान अवधि के अनुसार गृह ऋण का भुगतान करना चाहते हैं।

**सहायता संघीय/बहु बैंकिंग/समूहन व्यवस्थाओं के अंतर्गत
अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए संगठनात्मक ढांचा**

ए. कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) प्रणाली

1.1 उद्देश्य

कंपनी ऋण पुनर्रचना के ढांचे का उद्देश्य औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआइएफआर), ऋण वसूली अधिकरण (डी आर टी) तथा अन्य कानूनी कार्यवाही की परिधि से बाहर समस्याओं का सामना कर रही, संभाव्य क्षमता वाली कंपनियों के कंपनी ऋणों की पुनर्रचना के लिए समय पर और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित करना है, जो सभी संबंधित संस्थाओं के लिए लाभदायक हो। विशेष रूप से ढांचे का लक्ष्य संभाव्य क्षमता वाली उन कंपनियों को बचाना होगा जो कतिपय आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रभावित हों और इसका उद्देश्य ऋणदाताओं तथा अन्य हितधारकों की हानियों को सुव्यवस्थित और समन्वित पुनर्रचना कार्यक्रम के माध्यम से कम से कम करना भी है।

1.2 व्याप्ति

एक से अधिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधाओं का लाभ उठानेवाले उधारकर्ताओं के अग्रिमों की समन्वयित तरीके से पुनर्रचना करने के लिए सीडीआर प्रणाली को तैयार किया गया है। सीडीआर प्रणाली एक संगठनात्मक ढांचा है जिसे एक से अधिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से वित्त लेनेवाले बड़े उधारकर्ताओं के पुनर्रचना के प्रस्तावों के तेजी से निपटान के लिए एक स्थायी रूप दिया गया है। यह प्रणाली किसी भी प्रकार के कार्य करनेवाले सभी उधारकर्ताओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध होगी

- ए) उधारकर्ता उधार देने की बहु बैंकिंग/समूहन/सहायता संघीय प्रणाली के अंतर्गत एक से अधिक बैंक/वित्तीय संस्थाओं से उधार सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।
- बी) कुल बकाया एक्सपोजर (निधि आधारित तथा निधीतर आधारित) 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।

हमारे देश में कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली का ढांचा तीन स्तरीय होगा:

- कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच और उसका मुख्य समूह
- कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह
- कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष

2. कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच

2.1 कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच इस प्रणाली में भाग लेने वाली सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों का प्रतिनिधिक सामान्य निकाय (बॉडी) होगा। सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को अपने हित में इस प्रणाली में भाग लेना चाहिए। कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच स्वयं में एक अधिकार प्राप्त निकाय होगा, जो नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करेगा तथा कंपनी ऋण पुनर्रचना की प्रगति पर निगरानी रखेगा।

2.2 यह मंच ऋणदाताओं और ऋणकर्ताओं दोनों के लिए (परामर्श द्वारा) सभी संबंधित संस्थाओं के हित में ऋण पुनर्रचना योजनाएं बनाने के लिए नीतियां और दिशानिर्देश परस्पर सहमति से और सामूहिक रूप से विकसित करने के लिए एक आधिकारिक मंच प्रदान करेगा।

2.3 कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड; अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक; प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक निदेशक, आइसीआइसीआइ बैंक; अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ और साथ ही प्रणाली में स्थायी सदस्य के रूप में भाग लेने वाले सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शामिल होंगे। चूंकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम जैसी संस्थाओं को कुछ ऋणकर्ताओं के संबंध में ऋण जोखिम उठाने पड़े होंगे, अतः ये संस्थाएं कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली में भाग ले सकती हैं। यह मंच एक वर्ष की अवधि के लिए अपना अध्यक्ष चुनेगा और बाद के वर्षों में क्रमिक रूप से चयन का सिद्धांत अपनाया जायेगा। परंतु यह मंच कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच को मार्गदर्शन देने और मंच के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्णकालिक अधिकारी के रूप में एक कार्यकारी अध्यक्ष रखने का निर्णय कर सकता है। रिज़र्व बैंक, कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच और मुख्य समूह का सदस्य नहीं होगा। इसकी भूमिका विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करने तक सीमित होगी।

2.4 कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच की बैठक हर छः महीने में कम से कम एक बार होगी और मंच कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करेगा और उस पर निगरानी रखेगा। यह मंच ऋण की पुनर्रचना के लिए कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) कक्ष द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ और दिशानिर्देश जिनमें पुनर्रचना के लिए महत्वपूर्ण मानदंड शामिल हैं (उदाहरण के लिए पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत किसी इकाई के सक्षम हो जाने की अधिकतम अवधि, प्रवर्तकों के न्यूनतम स्तर के त्याग आदि) भी निर्धारित करेगा तथा उनके सुचारू रूप से कार्य निष्पादन और ऋण पुनर्रचना के लिए निर्धारित समय अनुसूचियों का पालन सुनिश्चित करेगा। यह मंच कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह और ऋण पुनर्रचना कक्ष के अलग-अलग निर्णयों की भी समीक्षा करेगा। कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच उन मामलों के निपटान के लिए विशेष व्यवहार हेतु दिशानिर्देश भी बना सकता है जो जटिल हैं तथा जिनमें उनपर कार्रवाई के लिए निर्दिष्ट समय-सीमा से अधिक देरी होने की संभावना है।

2.5 कंपनी ऋण पुनर्रचना का मुख्य समूह (कोर ग्रुप) कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच में से बनाया जायेगा, जो स्थायी मंच की ओर से बैठकों के संयोजन और नीति संबंधी निर्णय लेने में स्थायी

मंच की सहायता करेगा। इस मुख्य समूह में आइडीबीआइ, भारतीय स्टेट बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक लि., बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक होंगे तथा भारतीय बैंक संघ के उपाध्यक्ष भी होंगे जो भारत में विदेशी बैंकों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

2.6 कंपनी ऋण पुनर्रचना मुख्य समूह ऋण की पुनर्रचना के लिए कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) कक्ष द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करेगा। इन दिशा-निर्देशों में कंपनी ऋण पुनर्विन्यास अधिकारप्राप्त समूह की कार्यप्रणाली में अनुभव की गयी परिचालन संबंधी कठिनाइयों को उपयुक्त रूप से दूर करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। कंपनी ऋण पुनर्रचना मुख्य समूह कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली को भेजे जाने वाले मामलों की जांच के लिए पर्ट(PERT) चार्ट भी निर्धारित करेगा तथा समय सीमा को लागू करने के तरीकों पर निर्णय लेगा। कंपनी ऋण पुनर्रचना मुख्य समूह ऐसे दिशा-निर्देश भी निर्धारित करेगा जिनसे यह सुनिश्चित हो कि पुनर्रचना प्रस्ताव तैयार/अनुमोदित करते समय अति आशावादी अनुमान (प्रोजेक्शन) नहीं किये जाते, विशेष रूप से क्षमता के उपयोग, उत्पाद की कीमत, लाभ मार्जिन, मांग, कच्चे माल की उपलब्धता, आगत-निर्गत अनुपात तथा आयातों/अंतरराष्ट्रीय लागत संबंधी प्रतिस्पर्धा के संभावित प्रभाव के संबंध में।

3. कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह

3.1 सीडीआर के अलग-अलग मामलों का निर्णय कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह द्वारा किया जायेगा, जिसमें आइडीबीआइ लि., आइसीआइसीआइ बैंक लि. और भारतीय स्टेट बैंक के कार्यपालक निदेशक के स्तर के प्रतिनिधि स्थायी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के कार्यपालक निदेशक के स्तर के प्रतिनिधि तो होंगे ही जिनका संबंधित कंपनी के प्रति ऋण आदि जोखिम विद्यमान है। जहां स्थायी सदस्य समूह की बैठकों के संचालन को सुसाध्य बनाएंगे, वहीं वोटिंग केवल ऋणदाताओं के ऋण जोखिम के अनुपात में होगी। कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह प्रभावशाली एवं व्यापक आधार वाला हो तथा कुशलतापूर्वक और सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सहभागी संस्थाएं/बैंक वरिष्ठ अधिकारियों के ऐसे पैनल को अनुमोदित करें जो कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह में उनका प्रतिनिधित्व करें और यह सुनिश्चित किया जाये कि वे कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह की बैठकों में भाग लेने के लिए पैनल में से ही अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। इसके साथ ही, एक खाते से संबंधित बैठक में भाग लेने वाले नामिती को ही उस खाते से संबंधित सभी बैठकों में बिना चूके भाग लेना चाहिए, न कि उनके प्रतिनिधियों को।

3.2 कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से वरिष्ठ स्तर का होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित बैंक/ वित्तीय संस्था त्याग सहित ऋण पुनर्रचना की आवश्यक वचनबद्धताओं का पालन करती है। सहभागी संस्थाओं/बैंकों के संबंधित बोर्डों द्वारा कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह के प्रतिनिधियों के

पक्ष में सामान्य प्राधिकरण होना चाहिए, जिसमें अलग-अलग कंपनियों के ऋण पुनर्चना के संबंध में संगठन की ओर से निर्णय लेने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया हो।

3.3 उक्त अधिकारप्राप्त समूह सीडीआर कक्ष द्वारा उसे प्रस्तुत पुनर्चना के अनुरोधों के सभी मामलों की प्रारंभिक रिपोर्ट पर विचार करेगा। अधिकारप्राप्त समूह द्वारा यह निर्णय किये जाने के बाद की प्रथम दृष्टि में कंपनी की पुनर्चना संभव है और स्थायी मंच द्वारा बनायी गयी नीति और दिशा-निर्देशों के अनुसार यह उद्यम संभाव्य रूप से अर्थक्षम है, तो सी डी आर कक्ष द्वारा प्रमुख संस्थान के सहयोग से विस्तृत पुनर्चना पैकेज तैयार किया जायेगा। तथापि, यदि प्रमुख संस्थान के सामने विस्तृत पुनर्चना पैकेज कार्यक्रम बनाने में कठिनाई आती है तो सहभागी बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को ऐसी वैकल्पिक संस्था/बैंक का निर्णय लेना चाहिए जो अधिकारप्राप्त समूह की पहली बैठक में, जब कंपनी ऋण पुनर्चना कक्ष की प्रारंभिक रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा हो, विस्तृत पुनर्चना कार्यक्रम तैयार करेगा।

3.4 कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह को ऋण की पुनर्चना के प्रत्येक मामले को देखने, कंपनी की अर्थक्षमता तथा पुनर्व्यवस्था की संभावना की जांच करने तथा 90 दिन की विनिर्दिष्ट अवधि अथवा अधिकारप्राप्त समूह को मामला प्राप्त होने के अधिक से अधिक 180 दिन के भीतर पुनर्चना पैकेज को अनुमोदित करने का कार्य सौंपा जायेगा। कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह निम्नलिखित उदाहरणस्वरूप मानदंडों के आधार पर स्वीकार्य व्यवहार्यता आधार (बैंचमार्क) स्तर निश्चित करेगा, जो अलग-अलग मामले के गुणदोषों के आधार पर प्रत्येक मामले के आधार पर लागू होंगे

- * लगायी गयी पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई)
- * ऋण शोधन व्याप्ति अनुपात (डीएससीआर)
- * प्रतिफल की आंतरिक दर और निधि की लागत के बीच अंतर
- * परित्याग (सेक्रीफाइस) की सीमा

3.5 प्रत्येक बैंक /वित्तीय संस्था के बोर्ड द्वारा अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारी और/या कार्यपालक निदेशक को प्राधिकृत किया जाना चाहिए कि वह कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली के पास आने वाले मामलों के संदर्भ में नियंत्रण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं सहित पुनर्चना पैकेज कार्यक्रम के बारे में निर्णय ले सके। कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह प्रत्येक ऋण खाते के संदर्भ में दो या तीन बार मिलेगा। इससे सहभागी सदस्यों को उन मामलों के संदर्भ में जहां पुनर्चना के जटिल महत्वपूर्ण मानदंड उन्हें दिये गये प्राधिकार की सीमा से ऊपर हैं, आवश्यकता होने पर अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारी/कार्यपालक निदेशक से उचित प्राधिकार की मांग करने का अवसर प्राप्त होगा।

3.6 कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह के निर्णय अंतिम होंगे। यदि ऋण की पुनर्चना अर्थक्षम और संभाव्य पायी जाये और अधिकारप्राप्त समूह द्वारा स्वीकार की जाये, तो कंपनी को पुनर्चना प्रणाली में रखा जायेगा। तथापि, यदि पुनर्चना को अर्थक्षम नहीं पाया जाये, तो लेनदार

प्राप्य राशि की तत्काल वसूली और/या समापन या कंपनी को बंद करने के लिए सम्मिलित रूप से या अलग-अलग आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

4. कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष (सीडीआर कक्ष)

4.1 सीडीआर स्थायी मंच तथा सीडीआर अधिकारप्राप्त समूह को उनके सभी कार्यों में एक कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी। यह सीडीआर कक्ष ऋणकर्ताओं/ऋणदाताओं से प्राप्त प्रस्तावों की, प्रस्तावित पुनर्रचना योजना और अन्य सूचना मंगवाकर प्रारंभिक संवीक्षा करेगा और मामले को सीडीआर अधिकारप्राप्त समूह के समक्ष एक महीने के भीतर रखेगा, ताकि यह निर्णय किया जा सके कि प्रथम दृष्टि में पुनर्रचना संभाव्य है या नहीं। यदि संभाव्य है, तो सीडीआर कक्ष ऋणदाताओं की सहायता से विस्तृत पुनर्रचना योजना तैयार करेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो बाहर से विशेषज्ञों को भी कार्य में लगायेगा। यदि मामला प्रथम दृष्टि में संभाव्य नहीं पाया जाता तो ऋणदाता अपनी प्राप्य राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।

4.2 ऋणदाताओं या ऋणकर्ताओं द्वारा कंपनी ऋण पुनर्रचना के सभी मामले सी डी आर कक्ष को भेजे जायेंगे। अग्रणी संस्था /कंपनी के प्रमुख हितधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर प्रारंभिक पुनर्रचना योजना तैयार करें और एक महीने के भीतर सी डी आर कक्ष को प्रस्तुत करें। सीडीआर कक्ष सीडीआर स्थायी मंच द्वारा अनुमोदित सामान्य नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्रचना योजना तैयार करेगा तथा निर्णय के लिए 30 दिन के भीतर अधिकारप्राप्त समूह के समक्ष विचारार्थ रखेगा। अधिकारप्राप्त समूह उसे अनुमोदित कर सकता है या संशोधन का सुझाव दे सकता है, परंतु यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतिम निर्णय 90 दिन की कुल अवधि के भीतर ले लिया जाना चाहिए। तथापि, पर्याप्त कारण होने पर, यह अवधि सीडीआर कक्ष को मामला प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 180 दिन तक बढ़ायी जा सकती है।

4.3 कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच, कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष का कार्यस्थल प्रारंभ में आइडीबीआइ लि. में होगा और उसके बाद यदि आवश्यक समझा जाए तो स्थायी मंच द्वारा निर्णय किये गये स्थान पर अंतरित किया जा सकेगा। प्रशासनिक तथा अन्य लागतों में सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की हिस्सेदारी होगी। हिस्सेदारी का स्वरूप स्थायी मंच द्वारा तय किये गये रूप में होगा।

4.4 सीडीआर कक्ष के लिए पर्याप्त स्टाफ-सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रतिनियुक्त किये जायेंगे। सीडीआर कक्ष बाहर के व्यावसायिकों की सहायता भी ले सकता है। सीडीआर कक्ष सहित कंपनी ऋण पुनर्रचना तंत्र के परिचालन की लागत की पूर्ति मुख्य समूह (कोर ग्रुप) में रहने वाली वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से प्रत्येक द्वारा 50 लाख रुपये की दर से तथा अन्य संस्थाओं और बैंकों से प्रत्येक द्वारा 5 लाख रुपये की दर से अंशदान द्वारा की जायेगी।

5. अन्य विशेषताएं

5.1 पात्रता मानदंड

5.1.1 यह योजना उन खातों पर लागू नहीं होगी, जिनमें केवल एक वित्तीय संस्था या एक बैंक शामिल है। कंपनी ऋण पुनर्चना तंत्र में बैंकों और संस्थाओं द्वारा दिये गये 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के निधि आधारित और गैर निधि आधारित बकाया ऋण आदि जोखिम वाले कंपनी उधारकर्ताओं के बहुविध बैंकिंग खाते/समूहन/सहायता संघीय खाते शामिल होंगे।

5.1.2 श्रेणी 1 सीडीआर प्रणाली केवल उन्हीं खातों पर लागू होगी जिन्हें 'मानक' और 'अवमानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति हो सकती है जहां किसी बैंक द्वारा ऋण का एक छोटा भाग ही संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। इस स्थिति में, यदि खाते को कम-से-कम 90 प्रतिशत ऋणदाताओं की बहियों में (मूल्य के अनुसार) 'मानक'/'अवमानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया हो तो उसे 10 प्रतिशत शेष ऋणदाताओं की बहियों में सी डी आर के लिए पात्र के रूप में खाते का निर्णय करने के प्रयोजन के लिए ही मानक/अवमानक के रूप में माना जायेगा। सीडीआर प्रणाली को भेजने के पूर्व किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए खाते/कंपनी को रुग्ण, अनर्जक आस्ति होने या चूक वाली होने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु अनर्जक आस्ति के अर्थक्षम संभाव्य मामलों को प्राथमिकता मिलेगी। इस दृष्टिकोण से आवश्यक लचीलापन मिलेगा और ऋण पुनर्चना के लिए समय पर हस्तक्षेप किया जा सकेगा। कोई मील का पत्थर निर्दिष्ट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऋण पुनर्चना करने का कार्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा या उनकी सहमति से किया जा रहा है।

5.1.3 जब कि किसी भी बैंक में धोखाधड़ी और कदाचार में लिप्त कार्पोरेटों को सीडीआर तंत्र के अंतर्गत पुनर्चना के लिए अब तक की तरह अपात्र माना जाता रहेगा, प्रमुख समूह, जान बूझकर चूककरनेवालों को वर्गीकृत करने के कारणों की समीक्षा कर सकता है विशेषकर पुराने मामलों में जहां जानबूझकर चूककरने वाले के रूप में एक उधारकर्ता का वर्गीकरण करना पारदर्शी नहीं था तथा इस बात से स्वयं को संतुष्ट कर लेगा कि उधारकर्ता जानबूझकर उधार करने वाली स्थिति को सुधारने की स्थिति में है, बशर्ते सीडीआर तंत्र के अंतर्गत उसे एक अवसर दिया जाए। ऐसे अपवाद स्वरूप मामले सिर्फ प्रमुख समूह के अनुमोदन से ही पुनर्चना के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं। प्रमुख समूह यह सुनिश्चित करे कि धोखाधड़ी या निधि के नाजायज इरादे के लिए विपथन के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.1.4 ऐसे खाते जहां ऋणदाता द्वारा कंपनी के खिलाफ वसूली मुकदमा दायर किया गया है, कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली के अंतर्गत विचार किये जाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली के अंतर्गत मामले को निपटाने के लिए ऋणदाताओं के कम से कम 75 प्रतिशत (मूल्य के

अनुसार) और ऋणदाताओं के 60 प्रतिशत (संख्या के अनुसार) द्वारा कार्रवाई करने का निर्णय लिया हो।

5.1.5 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के मामले कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चना के लिए पात्र नहीं हैं। किंतु उक्त बोर्ड के उच्च मूल्य के मामले उस स्थिति में कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चना के पात्र होंगे जब कंपनी ऋण पुनर्चना मुख्य समूह द्वारा विशेष रूप से उनकी सिफारिश की गयी हो। मुख्य समूह अपवादस्वरूप बीआइएफआर के मामलों की कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली के अंतर्गत विचार किये जाने के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर सिफारिश करेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऋण देनेवाली संस्थाएं पैकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के पहले बी आइ एफ आर से अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करती हैं।

5.2 कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली को मामला भेजना

5.2.1 कंपनी ऋण पुनर्चना तंत्र को मामला निम्नलिखित द्वारा भेजा जा सकता है - (i) किसी एक या अधिक ऐसे जमानती ऋणदाता द्वारा जिसका कार्यकारी पूंजी या मीयादी वित्त में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंश है या (ii) संबंधित कंपनी द्वारा, यदि किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा समर्थित हो जिसका उपर्युक्त (i) में दिये गये अनुसार हित हो।

5.2.2 हालांकि लचीलापन उपलब्ध है, जिसके द्वारा ऋणदाता कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली की परिधि के बाहर पुनर्चना पर विचार कर सकते हैं अथवा जहां आवश्यक हो, वहां कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर सकते हैं, फिर भी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऐसे सभी पात्र मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जिनमें वित्तीय प्रणाली का ऋण आदि जोखिम 100 करोड़ रुपये से अधिक है तथा इस बारे में निर्णय करना चाहिए कि मामला कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली को भेजा जाए या नये वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्चना तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई की जाये या ऋण वसूली न्यायाधिकरण आदि के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जाये।

5.3 कानूनी आधार

5.3.1 सीडीआर प्रक्रिया एक गैर-सांविधिक प्रक्रिया होगी जो ऋणकर्ता - ऋणदाता करार (डीसीए) और अंतर-ऋणदाता करार (आइसीए) पर आधारित स्वैच्छिक प्रणाली होगी। कंपनी ऋण पुनर्चना तंत्र के लिए कानूनी आधार ऋणकर्ता - ऋणदाता करार (डीसीए) और अंतर-ऋणदाता करार द्वारा प्रदान किया जायेगा। ऋणकर्ता को या तो मूल ऋण के दस्तावेज तैयार करते समय (भविष्य के मामलों के लिए) अथवा कंपनी ऋण पुनर्चना कक्ष को मामला भेजते समय ऋणकर्ता - ऋणदाता करार को स्वीकार करना होगा। इसी तरह, स्थायी मंच की अपनी सदस्यता के माध्यम से सीडीआर तंत्र के सभी

सहभागियों को, आवश्यक प्रवर्तन और दंडात्मक शर्तों सहित, निर्धारित नीतियों और दिशानिर्देशों के माध्यम से प्रणाली को परिचालित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी करार करना होगा। ऋणदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित आइसीए प्रारंभ में 3 वर्ष के लिए वैध होगा, जिसे उसके बाद और 3 वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा। विदेशी मुद्रा में देश से बाहर ऋण प्रदान करनेवाले ऋणदाता सीडीआर प्रणाली में भाग नहीं ले सकेंगे। ऐसे ऋणदाता और जीआइसी, एलआइसी, यूटीआइ आदि ऋणदाता जो सीडीआर प्रणाली में शामिल नहीं हुए हैं, किसी कार्पोरेट विशेष की सीडीआर प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए उन्हें कार्पोरेट से संबंधित ऋण आदि जोखिम के लिए लेनदेन-वार आइसीए पर हस्ताक्षर करना होगा।

5.3.2 अंतर-ऋणदाता करार अपेक्षित प्रवर्तन और दंडात्मक शर्तों के साथ ऋणदाताओं के बीच कानूनी बाध्यता का करार होगा, जिसमें ऋणदाताओं को सी डी आर तंत्र के विभिन्न तत्वों का पालन करने का उन्हें वचन देना होगा। साथ ही, ऋणदाताओं को इससे सहमत होना पड़ेगा कि यदि मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत ऋणदाता वर्तमान ऋण (अर्थात् बकाया ऋण) के पुनर्चना पैकेज के लिए सहमत होते हैं, तो वही शेष ऋणदाताओं पर भी बाध्यकारी होगा। चूंकि सीडीआर योजना के वर्ग 1 में मानक और अवमानक खाते ही आते हैं जिनके संबंध में मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत ऋणदाताओं के विचार में सीडीआर पैकेज लागू होने के बाद ये निष्पादक हो सकते हैं, अतः यह अपेक्षा की जाती है कि अन्य सभी ऋणदाता (अर्थात् न्यूनतम मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत से भिन्न) सहमत अतिरिक्त वित्तपोषण सहित समग्र सीडीआर पैकेज में शामिल होने के इच्छुक होंगे।

5.3.3 सीडीआर तंत्र का प्रभाव बढ़ाने के लिए सहायता संघ/समूहन खातों के ऋण करारों में एक खंड जोड़ा जा सकता है, जिससे उन ऋणदाताओं सहित जो सीडीआर तंत्र के सदस्य नहीं हैं, सभी ऋणदाता इस बात के लिए सहमति दें कि वे पुनर्चना आवश्यकता पड़ने पर सीडीआर तंत्र के अंतर्गत अनुमोदित पुनर्चना पैकेज की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

5.3.4 ऋणकर्ता-ऋणदाता करार का एक महत्वपूर्ण तत्व दोनों ओर से 90 दिन या 180 दिनों के लिए बाध्यकारी 'ठहराव' करार होगा। इस खंड के अंतर्गत, ऋणकर्ता और ऋणदाता (ऋणदाताओं) दोनों को कानूनी तौर पर बाध्यकारी 'ठहराव' के लिए सहमत होना पड़ेगा, जिससे दोनों पार्टियों को 'ठहराव' अवधि के दौरान किसी अन्य कानूनी कार्रवाई का सहारा न लेने का वचन देना होगा, ताकि न्यायिक अथवा अन्य किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना आवश्यक ऋण पुनर्चना करने के लिए सीडीआर तंत्र आवश्यक कदम उठा सके। परंतु ठहराव खंड ऋणकर्ता अथवा ऋणदाता द्वारा दूसरे पक्ष के विरुद्ध सिविल कार्रवाई के लिए लागू होगा, न कि किसी आपराधिक कार्रवाई के लिए। इसके अतिरिक्त, ठहराव की अवधि के दौरान बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं (फॉरवर्ड कंट्रैक्ट्स), डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आदि को निश्चित रूप (क्रिस्टेलाइजेशन) दिया जा सकता है, बशर्ते कि उधारकर्ता ऐसा करने के लिए सहमत हो। ऋणकर्ता यह अतिरिक्त वचन भी देगा कि ठहराव की अवधि के दौरान परिसीमन (लिमिटेशन) के प्रयोजन के लिए दस्तावेज की परिसीमन अवधि विस्तारित हुई मानी

जायेगी और यह भी कि वह राहत के लिए किसी अन्य प्राधिकारी के पास नहीं जायेगा और ऋणकर्ता कंपनी के निदेशक यथास्थिति की इस अवधि के दौरान निदेशक मंडल से इस्तीफा नहीं देंगे।

5.4 अतिरिक्त वित्त का बंटवारा

5.4.1 'मानक' या 'अवमानक' खाते के सभी ऋणदाताओं द्वारा समानुपातिक आधार पर अतिरिक्त वित्त, यदि कोई हो, प्रदान करना होगा चाहे वे कार्यशील पूंजी ऋणदाता हों या मीयादी ऋणदाता। किसी आंतरिक कारण से कोई भी ऋणदाता (न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत से बाहर) अतिरिक्त वित्तपोषण नहीं करना चाहता, उस ऋणदाता को पैरा 5.6 के प्रावधानों के अनुसार एक विकल्प उपलब्ध होगा।

5.4.2 अतिरिक्त एक्सपोजर के संबंध में वसूलियों से प्राप्त होनेवाले नकदी प्रवाहों पर अतिरिक्त वित्त प्रदान करनेवाले मौजूदा ऋणदाताओं अथवा नए ऋणदाताओं का विद्यमान वित्त के प्रदाताओं की अपेक्षा पहला अधिकार होगा और पुनर्चना पैकेज में ऐसी व्यवस्था की जाएगी।

5.5 प्रणाली से बाहर होने का विकल्प

5.5.1 जैसा कि पैराग्राफ 5.5.1 में उल्लेख किया गया है, किसी भी ऋणदाता (न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत से बाहर) जो किसी आंतरिक कारण से वित्त नहीं लगाना चाहता के लिए एक विकल्प है। साथ ही, "फ्री राइडर" समस्या से बचने के लिए इस विकल्प को अपनाने के इच्छुक ऋणदाता के लिए कुछ निरुत्साहक कार्रवाई करना जरूरी है। ऐसे ऋणदाता चाहे तो (क) नए या वर्तमान ऋणदाता द्वारा प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त वित्त में से अपने शेयर (हिस्से) की व्यवस्था करे या (ख) सीडीआर पैकेज प्रभावी हो जाने के बाद, प्रथम वर्ष के देय ब्याज को आस्थगित करने के लिए सहमत हो। ऊपर उल्लिखित आस्थगित प्रथम वर्ष का ब्याज, बिना चक्रवृद्धि ब्याज के, ऋणदाता को देय मूलधन की अंतिम किस्त के साथ अदा करना होगा।

5.5.2 इसके अतिरिक्त, प्रणाली से बाहर होने का विकल्प भी न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के अंतर्गत सभी ऋणदाताओं के लिए उपलब्ध रहेगा बशर्ते खरीदार, अधिकारप्राप्त समूह द्वारा अनुमोदित पुनर्चना पैकेज का पालन करने के लिए सहमत हो। वर्तमान ऋणदाताओं को उधारकर्ता को उनके विद्यमान ऋण आदि जोखिम के स्तर पर रहने दिया जाए बशर्ते वे वर्तमान ऋणदाताओं के साथ या अतिरिक्त वित्त के अपने अंश को वहन करनेवाले नए ऋणदाताओं के साथ गठजोड़ करे।

5.5.3 पैकेज से बाहर जाने की इच्छा रखने वाले ऋणदाताओं को एक विकल्प है कि वे अपने विद्यमान शेयर, वर्तमान ऋणदाताओं या नए ऋणदाताओं को एक उचित मूल्य पर बेच सकते हैं, जो वर्तमान ऋणदाता और भारग्रहण करनेवाले नए ऋणदाता के बीच आपसी समझौते से तय किया जाएगा। नए ऋणदाताओं को चुकौती और प्राप्य राशि की सर्विसिंग के लिए समान स्थान पर रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने वर्तमान ऋणदाता से विद्यमान प्राप्य राशि खरीदी है।

5.5.4 प्रणाली से बाहर जाने के विकल्प को अधिक लचीला बनाने के लिए पुनर्रचना पैकेज के एक हिस्से के तौर पर जहां आवश्यक हो वहां 'एक मुश्त निपटान' करने पर भी विचार किया जा सकता है। यदि उधारकर्ता द्वारा किसी ऋणदाता के किसी खाते को सीडीआर तंत्र में भेजने से पहले 'एक मुश्त निपटान' के अधीन कर दिया जाता है, तो पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत ऐसे किसी भी 'एक मुश्त निपटान'की पूरित प्रतिबद्धता को नहीं उलटा जाए। ऐसे 'एक मुश्त निपटान' से निकलने वाली आगे की भुगतान प्रतिबद्धताओं को पुनर्रचना पैकेज में फैक्टर किया जाएगा।

5.6 श्रेणी 2 सीडीआर प्रणाली

5.6.1 ऐसे मामले भी हुए हैं जहां परियोजना को ऋणदाताओं द्वारा संभाव्यता वाली परियोजना के रूप में माना गया, परंतु खातों को सी डी आर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचना के लिए इसलिए नहीं लिया जा सका कि वे 'संदिग्ध' की श्रेणी में आते थे। अतः सीडीआर की दूसरी श्रेणी का ऐसे मामलों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रारंभ किया गया जहां खातों को ऋणदाता द्वारा बहियों में 'संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा ऋणदाताओं का न्यूनतम 75 प्रतिशत (मूल्य के आधार पर) और 60 प्रतिशत (संख्या के आधार पर) खातों की संभाव्यता से संतुष्ट होकर ऐसे पुनर्रचना के लिए सहमत है:

- (i) ऋण पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत ऋणदाता के लिए यह बाध्यता नहीं होगी कि वह पैकेज द्वारा निर्धारित अतिरिक्त वित्तपोषण को स्वीकार करे और ऋण देने अथवा न देने का निर्णय प्रत्येक ऋणदाता बैंक/वित्तीय संस्था पर अलग से निर्भर होगा। दूसरे शब्दों में, सीडीआर तंत्र के प्रस्तावित केवल विद्यमान ऋण ही पुनर्व्यवस्थापित किया जायेगा और यह प्रायोजक पर निर्भर है कि अतिरिक्त वित्तपोषण की व्यवस्था विद्यमान ऋणदाताओं से की जाये अथवा नये ऋणदाताओं से।
- (ii) सीडीआर प्रक्रिया संबंधी अन्य सभी मानदंड, जैसे कि ठहराव खंड, सीडीआर के अंतर्गत पुनर्रचना लंबित रहने की अवधि के दौरान आस्ति वर्गीकरण की स्थिति आदि इस श्रेणी के लिए भी लागू होते रहेंगे।

5.6.2 कोई एकल मामला भारतीय रिज़र्व बैंक को न भेजा जाए। सीडीआर कोर समूह यह निर्णय ले सकता है कि कोई विशिष्ट मामला सीडीआर दिशा-निर्देशों के अधीन आता है अथवा नहीं।

5.6.3 सीडीआर प्रणाली की अन्य सभी विशिष्टताएं जो प्रथम श्रेणी के लिए प्रयोज्य हैं, वे सभी दूसरी श्रेणी के अंतर्गत पुनर्व्यवस्थापित मामलों के लिए भी लागू होंगी।

5.7 'प्रतिदान का अधिकार' खंड का समावेश

सीडीआर अनुमत सभी पैकेजों में त्वरित गति से चुकौती करने के ऋणदाताओं के अधिकार और समय से पहले भुगतान करने के उधारकर्ताओं के अधिकार को शामिल करना चाहिए। सभी पुनर्रचना पैकेज में आवश्यक रूप से "क्षतिपूर्ति का अधिकार" क्लॉज को शामिल किया जाए तथा यह उधारकर्ता

के निश्चित कार्यनिष्पादन मानदंड पर आधारित होना चाहिए। किसी भी मामले में, न्यूनतम 75 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि ऋणदाता से वसूल किया जाना चाहिए तथा कुछ मामले जहां ऋण दर को केवल पुनर्चना सुविधा के लिए विस्तारित किया गया है वहां 100 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि वसूल किया जाए।

बी. लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए ऋण पुनर्चना प्रणाली

लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) द्वारा लिए गए ऋणों की पुनर्चना के लिए सीडीआर प्रणाली से काफी सरल प्रणाली विद्यमान है। सीडीआर प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के परिचालनगत नियम संबंधित बैंकों को ही बनाने हैं। यह प्रणाली उन सभी उधारकर्ताओं पर लागू होगी जिनका बहु/सहायता संघीय बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये तक का निधिक तथा निधीतर बकाया है। इस व्यवस्था के मुख्य तत्व निम्नानुसार हैं

- i) इस प्रणाली के अंतर्गत बैंक अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के भीतर एसएमई के लिए एक ऋण पुनर्चना योजना बना सकते हैं। बैंक चाहें तो एसएमई के भीतर ही भिन्न क्षेत्रों के उधारकर्ताओं के लिए भिन्न नीतियां बना सकते हैं।
- ii) योजना बनाते समय बैंक यह सुनिश्चित करें कि योजना समझने में आसान है और उसमें कम-से-कम इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं।
- iii) योजना का मुख्य आधार यह है कि जिस बैंक का अधिकतम बकाया है वह बैंक बकाया राशि में जिस बैंक का दूसरा क्रम है के साथ मिलकर पुनर्चना पैकेज बना सकता है।
- iv) बैंकों को अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की अधिकतम अवधि के भीतर पुनर्चना पैकेज बनाकर उसका कार्यान्वयन करना चाहिए।
- v) एसएमई ऋण पुनर्चना प्रणाली किसी भी प्रकार का कार्य करनेवाले सभी उधारकर्ताओं को उपलब्ध होगी।
- vi) एसएमई खातों के पुनर्वास तथा पुनर्चना में हुई प्रगति की बैंक तिमाही आधार पर समीक्षा करेंगे और बोर्ड को अवगत करायें।

पुनर्रचित खातों का प्रकटीकरण

| (रू करोड़ में) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|-----------|----------------------|----------|------|----|----|------------------------------------|----------|------|----|----|------|----------|------|----|----|-----|----------|------|----|----|
| क्र म | पुनर्रचना का प्रकार | | सीडीआर पद्धति के तहत | | | | | एसएमई कर्ज पुनर्रचना पद्धति के तहत | | | | | अन्य | | | | | कुल | | | | |
| | आस्ति वर्गीकरण | | मान | उप | संदि | हा | कु | मान | उप | संदि | हा | कु | मान | उप | संदि | हा | कु | मान | उप | संदि | हा | कु |
| | Details ? | | क | मान क | गध | नी | ल | क | मान क | गध | नी | ल | क | मान क | गध | नी | ल | क | मान क | गध | नी | ल |
| 1 | वित्तीय वर्ष 1 | उधारकर्ता | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अप्रैल को | ओं की | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | पुनर्रचित | संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | खाते (| अतिदेय | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | प्रारंभिक | राशि | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | आंकड़े)* | उन किया गया प्रावधान | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | वर्ष के दौरान की गई नई पुनर्चना | उधारकर्ताओं की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | अतिदेय राशि | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | उन किया गया प्रावधान | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | वित्तीय वर्ष के दौरान | उधारकर्ताओं की | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | मानक श्रेणी | संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | पुनर्रचना कर | अतिदेय | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अद्यतन | राशि | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | किया गया | उन किया | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | गया | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | प्रावधान | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | पुनर्रचना | उधारकर्ता | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | मानक अग्रिम | ओं की | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जो वित्तीय | संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | वर्ष की | अतिदेय | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | समाप्ति पर | राशि | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | उच्च | उन किया | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | प्रावधानीकर | गया | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>ण तथा/या अतिरिक्त जोखिम भार को प्रभावित करने से रोकता हो और उसे अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में पुनर्चना मानक अग्रिम के रूप में नहीं दर्शाया जाए।</p> | <p>प्रावधान</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | <p>वित्तीय वर्ष</p> | <p>उधारकर्ता</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | के दौरान निम्न ग्रेड किया गया पुनर्चना खाते | ओं की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | अतिदेय राशि | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | उन किया गया प्रावधान | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | वित्तीय वर्ष के दौरान बढ़े खाते में डाले गए पुनर्चना खाते | उधारकर्ता ओं की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | अतिदेय राशि | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | वित्तीय वर्ष | उधारकर्ता | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| के 31 मार्च को पुनर्चित खाते (समाप्ति आंकड़े*) | ओं की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अतिदेय राशि | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | उन किया गया प्रावधान | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * मानक पुनर्चना खातों को छोड़कर जो उच्च प्रावधानीकरण अथवा जोखिम भार को प्रभावित नहीं करती हैं (यदि लागू हों) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

परिपत्र/अधिसूचनाओं की सूची

| क्रम | परिपत्र/अधिसूचना संख्या | दिनांक |
|------|---|-----------------|
| 1 | अधिसूचना.सं.गैबेंपवि 213/सीजीएम(एसआर)-2010 | 12 फरवरी 10 |
| 2 | अधिसूचना.सं.गैबेंपवि.(नीप्र)221/सीजीएम(यूएस)-2011 | 5-जनवरी -11 |
| 3 | अधिसूचना.सं.गैबेंपवि .235/ सीजीएम(यूएस)--2011 | 2 दिसम्बर 11 |
| 4 | अधिसूचना.सं.गैबेंपवि 254/सीजीएम(सीआरएस) 2012 | 28- दिसम्बर -12 |
| 5 | अधिसूचना.सं.गैबेंपवि.251/सीजीएम(यूएस)-2012 | 14-सितम्बर-12 |
| 6 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि.(नीप्र)202/ सीजीएम (पीके)-2008 | 29-अक्तूबर -08 |
| 7 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि.223/ सीजीएम (यूएस)-2011 | 17- जनवरी -11 |
| 8 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि.200/ सीजीएम (पीके)-2008 | 1-अगस्त-08 |
| 9 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि.218/ सीजीएम (यूएस)-2010 | 1- दिसम्बर -10 |
| 10 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि.209/ सीजीएम (एसआर)-2009 | 22- अक्तूबर -09 |
| 11 | अधिसूचना. गैबेंपवि.PD.No.247/ सीजीएम (यूएस)-2012 | 23-जुलाई-12 |
| 12 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि.206/ सीजीएम (एसआर)-2009 | 26-मई-09 |
| 13 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि.242/ सीजीएम (यूएस)-2012 | 21-मार्च-12 |
| 14 | अधिसूचना. गैबेंपवि. नीप्र.No.238/ सीजीएम (यूएस)-2011 | 26- दिसम्बर -11 |
| 15 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि (नीप्र).249/ सीजीएम (यूएस)-2012 | 1- अगस्त -12 |
| 16 | अधिसूचना. गैबेंपवि. नीप्र.No.240/ सीजीएम (यूएस)-2011 | 30- दिसम्बर -11 |
| 17 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि (नीप्र).241/ सीजीएम (यूएस)-2012 | 21- मार्च -12 |
| 18 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि (नीप्र).214/ सीजीएम (यूएस)-2010 | 9- जुलाई -10 |
| 19 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि.(नीप्र)244/ सीजीएम (यूएस)-2012 | 11- मई -12 |
| 20 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि (नीप्र).246/ सीजीएम (यूएस)-2012 | 30- मई -12 |
| 21 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि.228/ सीजीएम (यूएस)-2011 | 30- मार्च -11 |
| 22 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि (नीप्र).256/ सीजीएम (सीआरएस)2013 | 11-जून-13 |
| 23 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि.266/पीसीजीएम(एनएसवी)-2013 | 29-नवम्बर -13 |
| 24 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि.267/पीसीजीएम(एनएसवी)-2014 | 1- जनवरी -14 |
| 25 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि (नीप्र).270/पीसीजीएम(एनएसवी)-2014 | 8- जनवरी -14 |
| 26 | गैबेंपवि.कंपरि नीप्र.सं.326/03.10.01/2012-13 | 27- मई -13 |
| 27 | अधिसूचना.सं.264 गैबेंपवि. नीप्र | 16- सितम्बर -13 |
| 28 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि (नीप्र).274/ सीजीएम (एनएसवी)-2014 | 7-अप्रैल -14 |
| 29 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि (नीप्र).256/ सीजीएम (सीआरएस)2013 | 11- जून -13 |
| 30 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि (नीप्र)No 272 | 23- जनवरी -14 |
| 31 | अधिसूचना.सं. गैबेंपवि (नीप्र): 262 / 2013-14 | 3- सितम्बर -13 |